2

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)

कोयला मंत्रालय

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-21)

दूसरा प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोकसभा

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दूसरा प्रतिवेदन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
(2020-2021)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)

कोयला मंत्रालय

29.01.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
29.01.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
जनवरी, 2021/ माघ, 1942 (शक)

विषयसूची

पृष्ठ सं.

समिति (2020-2021) की संरचना

समिति (2019-2020) की संरचना

प्राक्कथन

संक्षेपाक्षर

प्रतिवेदन

भाग-एक

अध्याय-एक

कंपनी का ब्यौरा

एक. भारत में कोयला खनन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि.....1

दो. स्वतंत्रता पश्चात् विकास.....1

तीन. सीसीएल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि.....2

चार. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की स्थापना.....3

पांच. सीसीएल कमांड एरिया के कोलफील्ड्स का प्रचालन.....3

छह. विजन, मिशन और उद्देश्य.....4

सात. सीसीएल की भावी योजना.....5

आठ. कोयला क्षेत्र का भविष्य.....5

अध्याय दो

निदेशक मण्डल

एक. संरचना.....7

दो. सीसीएल के बोर्ड में स्थायी रूप से आमंत्रित व्यक्ति.....7

तीन. सचिवालयीय लेखापरीक्षा टिप्पणियां.....9

अध्याय तीन

कंपनी का कार्य-निष्पादन

एक. वास्तविक कार्य-निष्पादन.....10

दो. वित्तीयकार्य-निष्पादन.....18

अध्याय चार

जनशक्ति प्रबंधन

एक. जनशक्ति और मानव संसाधन नीति.....22
दो. ग्रीनफील्ड्स परियोजनाओं में जनशक्ति.....23
तीन. जनशक्ति और लाभप्रदता के मध्य सह-संबंध.....23

अध्याय पांच

उच्च क्षमता वाली परियोजनाएं तथा कोयला धोवनशालाएं

एक. उच्च क्षमता वाली परियोजनाओं का ब्यौरा.....26
दो. उच्च क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए निगरानी तंत्र.....27
तीन. कोयला धोवनशालाएं.....29
चार. वर्ष 2018-19 के दौरान धोवनशालाओं का प्रदर्शन.....29
पांच. कोकिंग कोल धोवनशालाओं का प्रदर्शन.....29
छह. गैर- कोकिंग कोल धोवनशालाओं का प्रदर्शन.....30
सात. नई धोवनशालाओं की स्थापना के संबंध में उपलब्धियां....31
आठ. नई धोवनशालाओं की स्थापना के लिए वित्तीय संरचना तथा सीसीएल की भूमिका.....31

अध्याय छह

प्रौद्योगिकी का उपयोग

एक. प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें.....34
दो. खनिज संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग.....35
तीन. लॉन्गवॉल प्रौद्योगिकी.....35
चार. हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम).....36

अध्याय सात

पर्यावरण संबंधी समस्याएं

एक. पर्यावरण को बनाए रखना.....41
दो. वृक्षारोपण.....42
तीन. ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी संबंधी पहल.....45
चार. थोरियम आधारित विद्युत संयंत्र.....46

पांच. स्लरी प्रबंधन.....46
छह. रिजेक्ट्स का पुन:चक्रण.....47

अध्याय आठ

पुनर्स्थापन, पुनर्वास और मुआवजे से संबंधित मुद्दे

एक. पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति, 2012.....49
दो. प्रभावित परिवारों के लिए रोजगार की व्यवस्था.....51
तीन. उन लोगों/परिवारों का ब्यौरा जिन्हें मुआवजा दिया गया.....52

अध्याय नौ

सतर्कता पहलें

एक. सतर्कता विभाग की भूमिका.....54
दो. सतर्कता संबंधी संरचना और कार्यात्मक सेट-अप.....54
तीन. व्हिसलब्लोअर नीति और आचार संहिता.....55
चार. सतर्कता विभाग का प्रदर्शन.....57
पांच. शिकायत निवारण प्रणाली-समाधान केन्द्र.....59

अध्याय दस

सुरक्षा संबंधी मुद्दे

एक. वर्ष 2014-2020 के दौरान सुरक्षा के अंतर्गत प्रदर्शन.....62
दो. वर्ष 2008-2019 के दौरान सुरक्षा संबंधी बजट प्रावधान....64
तीन. दुर्घटना के मामलों में दिया गया मुआवजा.....65
चार. सुरक्षा समितियां.....67
पांच. खान प्रचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने
के लिए किए गए उपाय.....68

अध्याय ग्यारह

सीएसआर पहलें

एक. सीएसआर व्यय.....73
दो. सीएसआर कार्यकलाप-वार व्यय.....74
तीन. उत्कृष्ट और ऐतिहासिक सीएसआर पहलें/योजनाएं.....76
चार. सीएसआर और सामुदायिक विकास.....78

पांच. सीएसआर निधियों का अव्ययित शेष.....80

छह. कंपनी की भावी सीएसआर योजनाएं.....81

भाग-दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें.....82

परिशिष्ट

एक. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-20) की 13**.11.2019** को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश

दो. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-20) की 17**.02.2020** को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश

तीन. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-20) की 02**.03.2020** को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश

चार. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-21) की 07.01.2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-21) की संरचना

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
3. श्री सी.पी. जोशी
4. श्रीमती कनिमोझी
5. श्री कानुमुरू रघुराम कृष्णराजू
6. श्रीमती पूनमबेन माडम
7. श्री अर्जुन लाल मीणा
8. श्री जनार्दन मिश्र
9. श्री राम मोहन किंजरापु
10. प्रो. सौगत राय
11. श्री अरविन्द कुमार शर्मा
12. श्री रवनीत सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री उदय प्रताप सिंह
15. श्री रामदास तडस

<u>राज्य सभा</u>

16. श्री प्रसन्न आचार्य
17. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
18. श्री अनिल देसाई
19. श्री जोगिनीपल्ली संतोष कुमार
20. श्री ओम प्रकाश माथुर
21. श्री सुरेद्र सिंह नागर
22. श्री एम.शनमुगम

<u>सचिवालय</u>

श्री आर.सी.तिवारी	-	संयुक्त सचिव
श्री श्रीनिवासुलु गुंडा	-	निदेशक
श्री जी.सी. प्रसाद	-	अपर निदेशक
श्री अरित्र दास	-	सहायक कार्यकारी अधिकारी

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-20) की संरचना

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - सभापति

लोक सभा

2. कुंवर दानिश अली
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्रीमती कनिमोझी
6. श्री कानुमुरू रघुराम कृष्णराजू
7. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
8. श्री अर्जुन लाल मीणा
9. श्री जनार्दन मिश्र
10. प्रो. सौगत राय
11. श्री अरविन्द कुमार शर्मा
12. श्री रवनीत सिंह
13. श्री सुशील कुमार सिंह
14. श्री उदय प्रताप सिंह
15. श्री रामदास तडस

राज्य सभा

16. श्री प्रसन्न आचार्य
17. डॉ. अनिल जैन
18. मोहम्मद अली खान
19. श्री ओम प्रकाश माथुर
20. श्री महेश पोद्दार
21. श्री ए.के. सेल्वाराज
22. श्री सुरेद्र सिंह नागर

प्राक्कथन

1. मैं, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-21) की सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) संबंधी यह दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।

2. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-20) ने व्यापक जांच हेतु उक्त विषय का चयन किया था । चूंकि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-20) के कार्यकाल के दौरान इस विषय की जांच निष्कर्षहीन रही, इसलिए वर्तमान समिति ने इस विषय को आगे जारी रखने का निर्णय लिया ताकि अधूरे कार्य को पूरा किया जा सके ।

3. समिति (2019-20) को शुरू में 13 नवंबर 2019 को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के प्रतिनिधियों ने इस विषय के बारे में जानकारी दी थी । इसके बाद, 17 फरवरी, 2020 को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-20) ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया और 02 मार्च, 2020 को कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया ।

4. समिति (2020-21) ने दिनांक 07 जनवरी 2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

5. समिति, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों को उसके समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने और विषय की जांच के संबंध में उसके समक्ष अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती है ।

6. समिति इस विषय की जांच में पूर्ववर्ती समिति को उसके द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद देती है ।

7. संदर्भ और सुविधा हेतु समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
07 जनवरी, 2021
17 पौष, 1942 (शक)

मीनाक्षी लेखी
सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

संक्षेपाक्षर

एनसीडीसी	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड
बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
टीआईएससीओ	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
आईआईएससीओ	इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी
सीएएमएल	कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड
एमटी	मिलियन टन
एमटीवाई	मिलियन टन प्रतिवर्ष
एफवाई	वित्तीय वर्ष
पीबीटी	कर पूर्व लाभ
पीएटी	कर पश्चात लाभ
ओसी	ओपन कास्ट (माइनिंग)
एनसीएसटी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
डीएवी	दयानंद एंग्लो वेदिक
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
सीएपीईएक्स	पूंजीगत व्यय
सीएचपी	कोलहैंडलिंग प्लांट
जीएचजी	ग्रीनहाउस गैस
बीटी	बिलियन टन
सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड
एनसीडब्ल्यूए	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता

सीएजीआर	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
ईसी	पर्यावरण अनापत्ति
एफसी	वन अनापत्ति
ओएमएस	प्रति व्यक्ति उत्पादन प्रति शिफ्ट (आउटपुट पर मैनशिफ्ट)
सीपीटी	कोन पेनीट्रेशन टेस्ट
एसपीटी	स्टैन्डर्ड पेनीट्रेशन टेस्ट
ओबी	ओवरबर्डन
पीएम	पर्टिकुलेट मैटर
सीएएक्यूएमएस	सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (कंटीन्युअस एमबिएंट एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग सिस्टम)
आरएफआईडी	रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेशन
सीएमपीडीआईएल	केन्द्रीय खान आयोजना एवं डिजाइन संस्थान (सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्ट्टीट्यूट)
ओसीपी	ओपन कास्ट परियेाजनाएं
ओडीएफ	खुले में शौच मुक्त
एसडी	सतत् विकास
एसवीए	स्वच्छ विद्यालय अभियान
सीसीएलक्यूआरटी	सीसीएल त्वरित प्रतिक्रिया दल
एनसीएल	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ईसीएल	इर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड
बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

एसईसीएल	साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
एनईसी	नॉर्थ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
एसओपीएस	मानक प्रचालन प्रक्रियाएं
सीवीसी	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
सीटीई	मुख्य तकनीकी परीक्षक
डीपीई	लोक उद्यम विभाग
पीएमएस	निष्पादन प्रबंधन प्रणाली
जेसीसी	संयुक्त परामर्शदात्री समिति
यूजी	भूमिगत (खानें)
एलओआई	आशय पत्र
बीओओ	निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन
बीओएम	निर्माण, प्रचालन, रख-रखाव
सीएमडी	चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक
पीएपीएस	परियोजना प्रभावित व्यक्ति
पीपीएफ	परियेाजना प्रभावित परिवार
बीडीओ	खंड विकास अधिकारी
एसडीओ	उप मंडल अधिकारी
आरआईएमएस	राजेन्द्र इस्ट्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज
सीपीजीआरएएमएस	केन्द्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
आर एण्ड आर	पुनर्वास और पुन:स्थापन
डब्ल्यूएमसीसी	वाश्ड मीडियम कोकिंग कोल

डीवीसी	दामोदर घाटी निगम
एनटीपीसी	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम
एसएआईएल	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड
आरआईएनएल	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
एसबीआईसीएपी	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
जीसीवी	सकल कैलोरिफिक मान
यूएचवी	लाभकारी ऊष्मा मान
पीएससी	पिट सेफ्टी कमेटी
डीजीएमएस	खान सुरक्षा महानिदेशालय
ई एण्ड एम	अभियांत्रिकी और अनुरक्षण
एसएमपी	सुरक्षा प्रबंधन योजना
एसओपी	सुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया
ईपीएफ	कर्मचारी भविष्य निधि
सीएमपीएफ	कोयला खान भविष्य निधि
सीएमपीएफओ	कोयला खान भविष्य निधि संगठन
सीएलआईपी	ठेका श्रमिक सूचना पोर्टल
एचईएमएम	हेवी अर्थ मूविंग मशीनरीज
एडीएस	आकांक्षी जिले
टीएडीपी	आकांक्षी जिला कार्यक्रम
सीएम	सतत् खनन करने वाले
सीटीओ	प्रचालन हेतु सहमति

सीटीई	स्थापना हेतु सहमति
एफएसए	इंधन आपूर्ति समझौता
एमएसक्यू	विनिर्दिष्ट मासिक मात्रा
सीईए	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
पीआईडीपीआई	लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण
सीपीएसई	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम
ईआरपी	उद्यम संसाधन आयोजना
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
जीईएम	सरकारी ई-बाजर
केकेएमजी	शासन का कायाकल्प मॉडल
आईआर	औद्योगिक संबंध
एमटी	प्रबंधन प्रशिक्षु
डब्ल्यूआईपीएस	सरकारी क्षेत्रों में महिलाएं
सीसीएल	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड/शिशु देशभाल अवकाश
एमओईएफ एण्ड सीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
टीओआर	विचारार्थ विषय
बीएस	भारत स्टेज
सीबीए (ए एण्ड डी)	कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम
आरएफसीटीएलएआरआर	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार
जेएचएसओआर	झारखंड की दरों की सूची
जेबीसीसीआई	भारतीय संयुक्त द्विपक्षीय कोयला समिति
एमएम	सामग्री प्रबंधक

आरसीआर	सड़क सह रेल
टीपीडी	ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट
एसपीसीबी	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जेएसपीसीबी	झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीए	प्रतिपूरक वृक्षारोपण
एचईसी	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन
एएमआरसीडी	वाणिज्यिक विवादों के निपटान हेतु वैकल्पिक तंत्र
एमडीएमएस	खान डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली
आईएमसी	अंतरमंत्रालयीय समिति
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
डीपीआईआईटी	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
ईआईए	पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन
ईएमपी	पर्यावरण प्रबंधन योजना
बीओटी	न्यासी बोर्ड
सीएमपीएस	कोयला खान पेंशन योजना
पीवीसी	पॉलीविनाइल क्लोराइड
आईएमई	स्वतंत्र चिकित्सा जांच
पीएमई	आवधिक चिकित्सा जांच
डब्ल्यूटीपी	जलशोधन संयंत्र
एसटीपी	जलमल शोधन संयंत्र
एपीपी	अटैक्टिक पॉलीप्रोपिलीन

एमओएम	खान मंत्रालय
ईपीसी	अभियांत्रिकी, खरीद, निर्माण
डब्ल्यूओ	वॉशरी आपरेटर

प्रतिवेदन

भाग-एक

अध्याय-एक

कंपनी की जानकारी

क भारत में कोयला खनन का इतिहास

1.1 भारत में कोयला खनन की उत्पत्ति 1774 से हुई । 1885 के पश्चात, मुख्यतः रेलवे में उपयोग हेतु कोयले की माँग में वद्धि होनी प्रारंभ हुई एवं बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कोयले का उत्पादन छह मिलियन टन प्रति वर्ष के स्तर पर पहुँच गया। कोयले का खनन मुख्य रूप से निजी क्षेत्र दवारा किया जा रहा था तथा मूल्य निर्धारण बाजार पर आधारित था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, मांग में वृद्धि देखी गई , जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई गुना बढ़ गयी। इस अवधि के दौरान , कोलियरी कंट्रोल ऑर्डर, 1944 द्वारा कोयला उद्योग में मूल्य , उत्पादन और वितरण पर सरकारी नियंत्रण लगाया गया , जिसे अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1946 के अंतर्गत संशोधित किया गया तथा यह स्वतंत्रता पश्चात भी लागू रहा। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में कोयले का अधिकांश उत्पादन मैनुअल तरीकों से होता था, कुछेक विदयुतीकृत खदानों में ही कतिपय कोयला काटने की मशीनों से काम में लिया जा रहा था।

(ख) स्वतन्त्रता पश्चात विकास

1.2 स्वतंत्रता के आगमन के साथ ही, नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु राष्ट्र में पंचवर्षीय राष्ट्रीय विकास योजनाओं का प्रारंभ हुआ। कोयला उपलब्ध ऊर्जा स्त्रोत का सबसे महत्वपूर्ण और सिद्ध स्वरूप होने के नाते , प्रथम पंचवर्षीय योजना मेंकोयले के अधिक एवं कुशल उत्पादन की आवश्यकता महसूस की गई थी।प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक 39 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन की परिकल्पना की गई थी।दूसरीयोजना में, वर्ष 1960-61 अर्थात योजना के अंतिम वर्ष तक 60 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया । इस अवधि के दौरान यह माना गया कि निजी क्षेत्र कोयला उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा । परिणामस्वरूप, रेलवे के अधीन कोलियरियों के साथ वर्ष 1956 में भारत सरकार की कंपनी, नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनसीडीसी) की स्थापना की गई। एनसीटीसी का काम निजी क्षेत्र की खानों के कामकाज से ठीक विपरीत था । एनसीडीसीकी खदानों में जहाँ वैज्ञानिक रूप से कार्य किया जा रहा था वहीं कई निजी खानों में स्लॉटर माइनिंग की जा रही थी ।

1.3 निजी क्षेत्र द्वारा कोयला खनन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हई, जिसमें कई छोटे-छोटे खदान थे एवं पर्यावरण सरक्षण, श्रमिक सुरक्षा एवं वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग को न्यूनतम महत्व प्रदान करते हुए खनन कर रहे थे। इसके कारण कार्य की जोखिमपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हुई और कोयले का नुकसान हुआ । जोखिमपूर्ण वातावरण में कार्य करने के बाद भी कोयला श्रमिक निर्धन थे। निजी मालिकों द्वारा कोयले की अवैज्ञानिक स्लॉटर माइनिंग के कारण झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स के खदानों में आग एवं भू-धसान की घटनाएँ हुई। इन समस्याओं को

देखते हुए, कोयला उदयोग का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में किया गया। राष्ट्रीयकरण के निम्नांकित फायदे हुए:

क. उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र बढ़ोतरी

ख. कोयले कावैज्ञानिक पद्धतिसे सुरक्षित उत्खनन तथा कोयले का संरक्षण

ग. रोजगार सृजन

ग. सीसीएल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.4 सीसीएल का गौरवशाली इतिहास रहा है। एनसीडीसी के रूप में इसने भारत में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत की। भारत सरकार के1948एवं 1956 के औदयोगिक नीति संकल्प के अनुसरण में सरकारी स्वामित्व की कंपनी के रूप में नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनसीडीसी) की स्थापना अक्टूबर, 1956 में की गई। इसकी शुरुआत 11 पुराने राजकीय कोयला खदानों (रेलवे के स्वामित्व में) से हुई, जिनकाकुल वार्षिक उत्पादन 2.9 मिलियन टन कोयला था। प्रारंभ से ही, कोयला खनन में आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सूत्रपात करने के अतिरिक्त एनसीडीसी ने कोयला उत्पादन की वृद्धि और बाह्य क्षेत्रों में नवीन कोयला संसाधन विकसित करने का कार्य किया। एनसीडीसी ने पोलैंड और यूएसएसआर जैसे देशों के साथ विदेशी सहयोग किया, इसके अलावा जापान, पश्चिमी जर्मनी एवं फ्रांस के साथ सीमित सहयोग भी किया ।

एनसीडीसी ने उन्नत खनन तकनीकों का विकास एवं अनुप्रयोग किया और योजना, डिजाइन एवं अनुसंधान पर आधारित आधुनिक खान प्रबंधन प्रणालियों को अपनाया । इससे कोयला राष्ट्रीयकरण में अत्यधिक सहायता मिली।

1.5 भारतीय कोयला उदयोग के इतिहास की एक बड़ी घटना हुई जिसमे दो चरणों में निजी स्वामित्व वाली कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रथम चरण में 17अक्तूबर1971 को भारत सरकार दवारा कोकिंग कोल खदानों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया गया एवं उनका राष्ट्रीयकरण 5 जनवरी, 1972 से प्रभावी हुआ।राष्ट्रीयकरण के दवितीय चरण में 31जनवरी 1973 को टिस्को और इस्को की कैपटिव कोयला खदानों को छोड़कर देश की सभी कोकिंग कोयले की खदानों के प्रबंधन को सरकार ने अपने अधीन कर लिया। 1 मई 1973 को सीएमएएल का गठन किया गया जिसका मुख्यालय कलकत्ता (अब कोलकाता) था । सीएमएएल को एनसीडीसी के खदानों एवं हालिया राष्ट्रीयकृत खदानों के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गयी । इस प्रक्रिया में , एनसीडीसी स्वयं सीएमएएल का एक विभाग बन गया, जिसके पास चार कोयला वाशरियां , एक कोक ओवन संयंत्र, दो बड़ी केंद्रीय कर्मशालाएं, लगभग 71,000 श्रमशक्ति के अलावा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वाणिज्यिक उत्पादन हेतु6 कोलियरियां थीं।

1.6 सीएमएएल के गठन के साथ ही कोयला खदानों को पश्चिमी, मध्य और पूर्वी डिवीजन में पुनर्गठित किया गया । कोयला खदानों के भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकीय सुविधा हेतु उनका पुनर्गठन अपरिहार्य था ।

घ. सीसीएल का गठन

1.7 सीएमएएल, अपने तीन डिवीजनों के साथ 1 नवंबर1975 तक जारी रहा जब सरकार के फैसले के पश्चात इसका नाम बदलकर कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) कर दिया गया। सीएमएएल के सेंट्रल डिवीजन को सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के रूप में जाना गया तथा यह नियंत्रक कंपनी1 नवम्बर 1975 को सीआईएल की एक सहायक कंपनी के रूप में प्रतिष्ठित हुई।

ड़ सीसीएल कमान एरिया के कार्यरत कोयला खानें

1.8 सीसीएल झारखंड के 8 जिलों में 2600वर्ग किलोमीटर में फैला है| सीसीएल के पास कार्यरत 42 खाने हैं (36 खुली मुहाने की खानें और छह भूमिगत)। इसकी 6 धोवनशालाएं , पांच क्षेत्रीय कार्यशालाएं तथा एक केंद्रीय कार्यशाला है । वर्तमान में इसका खनन योग्य भंडार 5.94, बी टी,आर/पी=86 है। सीसीएलकी 42 खानों काक्षेत्र-वार ब्योरा इस प्रकार है:

कोयला खानें	**कोयला खानों की संख्या**	**क्षेत्र**
1. उत्तर करनपुरा	10	उत्तर करनपूरा, पिपरवार, राजहारा, मगध एंव आम्रपाली
2. दक्षिण करनपुरा	8	बिर्क-सिल। अरगादा
3. रामगढ़	1	राजरप्पा
4. पश्चिम बोकारो	9	हजारीबाग, कुजु
5. पूर्व बोकारो	12	बी एंड के, धोरी, कशारा
6. गिरीडीह	2	गिरीडीह

च. भविष्य निरूपण/उद्देश्य एवं ध्येय

1.9 **संकल्पना**

सीसीएलका विजन खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रक्रिया के माध्यम से देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ पर्यावरण एवं सामाजिक रूप से स्थायी विकास को प्राप्त करते हुए प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय अग्रणी के रूप में उभरना है ।

1.10 उद्देश्य

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का उद्देश्य है सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए प्रभावकारी ढंग से मितव्ययतापूर्वक सुनियोजित मात्रा में कोयला एवं कोयला उत्पादों का उत्पादन और विपणन करना।

1.11 उद्देश्य: सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :

1. संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि कर, क्षति को रोक कर, आंतरिक संसाधनों का आशातीत उत्पादन करना तथा निवेश हेतु आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बाहरी संसाधनों को संचालित करना।

2. सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाये रखना एवं दुर्घटना रहित कोयला खनन करना ।

3. वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर देना।

4. कोयले की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए नई परियोजना हेतु विस्तृत अन्वेषण करना और योजना बनाना।

5. वर्तमान खदानों का आधुनिकीकरण करना।

6. कोयला खनन की तकनीकी जानकारी और संगठनात्मक सक्षमता तथा कोयला लाभकारिता का विकास करना तथा जहाँ आवश्यकहो वहाँ कोयले की अधिकतम निकासी हेतु वैज्ञानिक गवेषण से संबंधित विकास कार्य और अनुसंधान करना।

7. कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा कोयला क्षेत्र के आस-पास समाज और समुदाय के प्रति निगमित उत्तरदायित्व कानिर्वहन करना।

8. कार्य संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध कराना तथा कौशल बढ़ाने हेतु तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण देना।

9. उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करना।

10. सीएसआर क्रियाकलाप विशेषकर आस-पास के गाँवों में स्वास्थ्य, सफाई और पेयजल की व्यवस्था में सुधार।

छ . सीसीएल की भावी योजना

1.12 सीसीएल ने समिति को दिए गए पृष्ठभूमि टिप्पण में बताया कि इसकी योजना है कि 2024-25 तक 110 एमटी कोयला उत्पादन करना है। इसके साथ ही नई धोवनशालाओं,सीलोस की स्थापना,कोयला सम्भ्लाईसंयंत्र(सीएचपी)कन्वेयर प्रणालियां,रेल साइडिंग्स भूमि एवं' कंटीन्यूअस माइनर्स', इको पार्क के माध्यम से कोयला गुणवत्ता और पर्यावरण सातत्य जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर देना है ।इसके साथ ही सीसीएल सतत खनन के द्वारा देश की कोयला की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है ।उत्पादन और सुपुर्दगी में वृद्धि से न केवल विदेशी मुद्रा में बचत हुई अपितु 'मेक इन इंडिया' पहल को भी बढ़ावा दिया गया । यह भी बताया गया कि ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को आरंभ करने से न केवल उत्पादन और सुपुर्दगी अपितु रोजगार में भी वृद्धि हुई। इसके अलावा लंबी अवधि से लंबित रेल परियोजनाओं के आरंभ होने से धूल की कमी और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के कारण कोयला परिवहन पर्यावरण अनुकूल हो गया। विभिन्न सीएसआर और कल्याणकारी परियोजनाओं के आरंभ करने सेहितधारकों के संबंध बेहतर हुए जिसके कारण रिकॉर्ड भूमि अधिग्रहण और उनका कब्जा लिया गया। समिति को बताया गया कि उपग्रहों की सहायता से जैविक रूप से भूमि साइट में सुधार की निगरानी, खान जल प्रबंधन, इको पार्क खनन एवं साथ-साथ भूमि सुधार,'सरफेस माइनर्स' धोवनशालाओं का विकास, योजना रेल साइडिंग्स को पूरा करने में तेजी सीसीएल की सातत्य खनन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।'

ज. कोयला क्षेत्र का भविष्य

1.13 नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष तौर पर दिए जा रहे अधिक जोर को ध्यान में रखते हुए कोयला क्षेत्र और सीसीएल के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर सचिव, कोयला मंत्रालय ने समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य में बताया कि:

''आपने कोयला क्षेत्र को नवीकरणीय ऊर्जा से मिल रही चुनौती के बारे में पूछा तथा यह भी पूछा कि क्या हमने कोयला पीएसयू के भविष्य पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव पर ध्यान दिया है?मैं यह कहना चाहूंगा कि नवीकरणीय ऊर्जा में बहुत तेजी से विकास हो रहा है और इसके कारण ऊर्जा क्षेत्र प्रशासनिक शासन ढांचे के शीर्ष स्तर में यह भय पैदा हो गया है कि कोयला क्षेत्र का भविष्य विशेषकर कोयला पीएसयू में कार्यरत कर्मचारियों तथा उनके द्वारा इन क्षेत्रों में दिए गए योगदान का क्या होगा।

दस दिन पूर्व ही हमने केवरिया में चिंतन शिविर का आयोजन किया था जहां हमने टी ई आर आई के और अन्य क्षेत्रों के शीर्ष विशेषज्ञों को बुलाया था। दो दिन के शिविर में आम राय यह भी बनी थी कि आगामी कम से कम 15- 20 वर्षों तक कोयला क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। हमें जो स्पष्ट राय मिली ,इसको मैं एक छोटे उदाहरण से बताऊंगा; सौर संयंत्र की स्थापना में प्रति एम वी की लागत3.5 करोड़ करोड़ रुपए हो सकती है जबकि

नवीनतम ताप विद्युत संयंत्र की लागत 7.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट हो सकती है। लागत 7.5 करोड रुपए आएगी यदि इसमें एफजीडी एवं डीनाइट्रिफिकेशन आदि सभी पर्यावरण सुरक्षा उपाय किए जाएं परंतु मानसून में क्षमता कारक सही कार्य नहीं करते हैं। यह 20% से अधिक होता है परंतु ताप विद्युत संयंत्र 100% पर कार्य करते हैं। सौर ऊर्जा परियोजना की 3.5 की कम कीमत और दूसरा 7.5 हैं ;पर ध्यान देते हैं सौर परियोजना दोगुनी महंगी है।भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत जो लगभग 1100 है, जो बहुत कम है जबकि वैश्विक औसत 3000 है ,को ध्यान में रखते हुए इस स्तर की संपन्नता को प्राप्त करने में उद्योग को बहुत विकास करना होगा ।इस को ध्यान में रखते हुए यदि हम सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहते हैं तो बहुत भारी भूल करेंगे। इस बारे में हम विद्युत मंत्रालय से वार्ता कर रहे हैं कि निवेशकों में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के प्रति कुछ उदासीनता है जिसे सही किया जाना होगा अन्यथा आने वाले समय में जब भारत में संपन्नता और औद्योगिकीकरण 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत होगा तब विद्युत संयंत्रों की कमी महसूस होगी ।अतः ऐसा कोई जोखिम नहीं है जैसा कि केवरिया शिविर का निष्कर्ष है।

अध्याय - दो

<u>निदेशक मंडल</u>

क. संरचना

2.1 सीसीएल बोर्ड की स्वीकृत संख्या 12 है (5कार्यात्मक निदेशक,2 सरकारी निदेशक और पांच गैर सरकारी निदेशक)कार्यात्मक निदेशक में एक पद निदेशक (कार्मिक) और एक पद गैर सरकारी निदेशक का रिक्त है। मंडल में स्वीकृत 12 निदेशकों के अलावा सीसीएल बोर्ड में दो स्थाई आमंत्रित हैं: पूर्वी रेलवे के मुख्य प्रचालन प्रबंधक और दूसरा झारखंड सरकार के मुख्य सचिव(खान एवं भूगर्भ) ।

ख. सीसीएल बोर्ड में स्थाई आमंत्रितगण

2.2 यह पूछे जाने पर कि क्या दो स्थाई आमंत्रितगणों की नियुक्ति डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है जो कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की संरचना को अंतिम रूप देने से संबद्ध नोडल विभाग है तो कोयला मंत्रालय ने बतायाकि :

''कोयला मंत्रालय लिमिटेड (सीआईएल) को नवरत्न का दर्जा देने के लिए कोयला मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अंतर- मंत्रालयी समिति (IMC) की बैठक आयोजित की गई। अंतर - मंत्रालयी समिति ने अपनी बैठक में दिनांक 22.01.2008 को अंशकालिक निदेशकोंके पद को दो तक सीमित करने और दूसरों को स्थायी आमंत्रिति के रूप में नियुक्त करने के लिए सीआईएल से निदेशक मंडल के पुनर्गठन हेतु उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध किया। इस प्रकार , तत्कालीन कोयला मंत्री की मंजूरी के साथ ही सभी कोयला सार्वजनिक उपक्रमों के बोर्ड को पुनर्गठित करते हुए अंशकालिक निदेशकों की संख्या को दो तथा शेष सभी को स्थायी आमंत्रिति के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग के का.ज्ञा. दिनांक 16.03.1992 द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार केवल कार्यकारी निदेशकगण,अंशकालिक निदेशकगण एवं अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगणों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निदेशक मंडल का हिस्सा होना चाहिए। कोयला कंपनियों के विभिन्न बोर्डो पर स्थायी आमंत्रितों को इन बोर्डों में निदेशक नहीं माना जाता है और इस प्रकारउन्हें मतदान के अधिकार नहीं हैं और बोर्ड बैठकों में कोरम के उद्देश्य के लिए उनके मत को गिना नहीं जाता है।"

2.3 यह पूछे जाने पर किसीसीएल के बोर्ड में स्थाई आमंत्रित गण की नियुक्ति का क्या औचित्य है जब सीसीएल बोर्ड में दो सरकारी निदेशक पहले से नियुक्त हैं तो इस बारे में यह बताया गया कि :

"स्थाई आमंत्रिति को कंपनी बोर्ड में निदेशक नहीं माना जाता है। सीसीएल के अधिकतम विकास हेतु कंपनी को राज्य सरकार के साथ विशेष कर भूमि अधिग्रहण वन्य मंजूरी औद्योगिक संबंध समस्याओं से संबंधित विधि व्यवस्था आदि के लिए तथा रेलवे से रेल संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए संपर्क करना पड़ता है। अतः राज्य सरकार एवं पूर्वी रेलवे के प्रतिनिधियों का होना वांछनीय था"

2.4 यह पूछे जाने पर कि क्या स्थाई आमंत्रितगणों की नियुक्ति कॉरपोरेट् शासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के तहत की गई थी, तो कंपनी ने बताया कि :

"बोर्ड में स्थाई आमंत्रितगणों की नियुक्ति के बारे में डीपीई दिशानिर्देशों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है।सीसीएल निदेशक मंडल के पुनर्गठन के बारे में कोयला मंत्रालय द्वारा 6 जून 2008 को जारी पत्र संख्या 21/35/2005-ए एस ओ (चार) के तहत एम ओ सी द्वारा स्थाई आमंत्रितगणों सहित मंडल में सभी सदस्यों की नियुक्तियां की गई हैं।

2.5 स्थाई आमंत्रितगणों की नियुक्ति के विचारार्थ विषय के बारे में पूछे जाने परसीसीएल ने लिखित उत्तर में बताया कि उनकी नियुक्ति 6 जून 2008 के उपरोक्त पत्र के तहत की गई थी।

2.6 2010 में जारी सीसीएल हेतु कॉरपोरेट् शासन पर डीपीई दिशानिर्देश निम्नवत हैं-

'' धारक कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक अनुषंगी कंपनी के निदेशक मंडल में एक निदेशक होगा,''

2.7 यह पूछे जाने पर कि क्या होल्डिंग कंपनी यानी सीआईएल बोर्ड का कोई स्वतंत्र निदेशक अनुषंगी कंपनी यानी सीसीएल के बोर्ड में निदेशक है जो कि कारपोरेट प्रशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य है ,कोयला मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

"सेबी(लिस्टिंग बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 24 के अनुसार "भारत में निगमित सूचीबद्ध इकाई के निदेशकीय मंडल का न्यूनतम एक स्वतंत्र निदेशक असूचीबद्ध मेटेरियल अनुषंगी कंपनी के निदेशकीय मंडल में निदेशक होगा " । मटेरियल अनुषंगी वह अनुषंगी कंपनी है, जिसकी आय या सकल संपत्ति, कंपनी की क्रमशः समेकित आय या निवल मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक है, और पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में इसकी सहायक कंपनी है।

सीसीएल, सीआईएल की मेटेरियल अनुषंगी नहीं है , अतः सीसीएल बोर्ड में सीआईएल बोर्ड के द्वारा किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गयी है।"

2.8 सीसीएल के वार्षिक प्रतिवेदन 2018 -19 के तहत यह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है।इसमें बताया गया है कि उप-श्रेणी ,सरकारी कंपनी , शेयर द्वारा लिमिटेड कंपनी, कंपनी की शेयर पूंजी है।

ग. सचिवालयीय लेखापरीक्षा टिप्पणियां

2.9 वार्षिक प्रतिवेदन 2018 -19 में शामिल 16 जुलाई 2019 के सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत कंपनी में एक महिला निदेशक की नियुक्ति अपेक्षित है।लेखा परीक्षित प्रतिवेदन में बताया गया कि रिकॉर्ड के अनुसार स्थाई आमंत्रित गणों की हाजिरी बहुत कम है। सचिवालयीय लेखा परीक्षा टिप्पणियों के अनुसार सीसीएल प्रबंधक ने स्पष्ट कियाकि सरकारी कंपनी में सभी निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय द्वारा की जाती है । हालांकि, 10 जुलाई को एमओसी, भारत सरकार पत्र संख्या 21/33/2018-बीए (भाग-दो) (ii) द्वारा प्राप्त पत्र में बताया गया है कि माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी से 3 गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशक की नियुक्ति अधिसूचना की तिथि से 3 साल के लिए सीसीएल बोर्ड में की गई है । इसके अलावा, अधिसूचना एवं एजेंडा पेपर सभी मंडल सदस्यों एवं स्थायी आमंत्रितगणों को भेजा गया है ।

2.10 निदेशकों की नियुक्तियों और योग्यताओं के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय 11 की धारा 149(1)(क) में निम्नवत प्रावधान है:

''प्रत्येक कंपनी में निदेशक मंडल होगा जिसमें व्यष्टि निदेशक होगा निजी कंपनी के मामले में तथा एक निदेशक एक व्यक्ति कंपनी के मामले में और

ख. अधिकतम 15 निदेशक;

[परंतु यह कि कंपनी विशेष संकल्प पारित कर 15 निदेशकों से अधिक नियुक्त कर सकती है]

[परंतु यह भी कि विहित श्रेणी या श्रेणियों की कंपनियों में कम से कम एक महिला निदेशक होगी]

2.11 तथापि फार्म एम आर-3 जो कंपनी के पिछले 5 वर्षों अर्थात 2014-15,2015-16 ,2016-17 ,2017-18 और 2018-19 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल सचिवालयीय लेखा परीक्षा टिप्पणियों के बावजूद किसी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई थी

अध्याय तीन

कंपनी का कार्य-निष्पादन

(क) वास्तविक कार्य -निष्पादन

(क) मुख्य संकेतकों के संबंध में कार्य -निष्पादन

3.1 कंपनी ने अपने गठन के समय से अब तक उत्पादन ,उत्पादकता ,लाभप्रदता और पर्यावरणीय सुरक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। कंपनी का अपनी स्थापना अर्थात 1975- 76 से वित्तीय वर्ष 2018- 19 के दौरान तुलनात्मक कार्य निष्पादन का विवरण निम्नवत है:

क्रम स.	**मानदंड**	**2018-2019**	**1975-76**
1	कोयला उत्पादन (मीट्रिकटन)	68.7	22.72
2	सर्फेस माईनर द्वारा उत्पादन(मी.टन)	22.2	शून्य
3	प्रेषण (मी.टन)	68.4	21.15
4	ओवरबर्डन निकासी(घन मीटर)	100.5	उपलब्ध नहीं
5	सकल विक्रय(रु.करोड मे)	16344	137
6	उत्पादकता (उत्पादन प्रति मैनशिफ्ट-टन)	8.09	0.94
7	लागत प्रति टन(रु.)	1125	58.04
8	विक्रय मूल्य प्रति टन(रु.)	1498	61.5
9	कर्मचारी पर व्यय (रु. करोड मे)	5129	68.3

3.2 साल 2009-2010 से 2018-19 तक कोयला उत्पादन,ऑफटेक ,जनशक्ति,सकल उत्पादन, निवल सम्पत्ति,कर पूर्व लाभ इत्यादि केसंबंध में कंपनी के कार्य निष्पादन का डाटा निम्न प्रकार से है :

वर्ष	वास्तविक कार्य निष्पादन				वित्तीय कार्य निष्पादन			
	औसत जनशक्ति	कोयला उत्पादन उत्पादन (एमटी)	ऑफ टेक(एमटी)	उत्पादन**	सकल उत्पादन (करोड़ रु. में)	निवल सम्पत्ति (करोड़ रु. में)	कर पूर्व संपत्ति लाभ (करोड़ रु. में)	कर पश्चात लाभ(करोड़ रु. में)
2018-19	40000	68.7	68.5	8.09	16344	5142.72	2692	1704
2017-18	41466	63.4	67.5	7.19	15729	3816.04	1344	790*
2016-17	42919	67.0	60.9	7.23	14533	3237.1	2374	1389
2015-16	44346	61.3	59.6	6.51	13659	6212.1	3119	1915
2014-15	45849	55.6	55.3	5.46	11781	5812.38	2740	1771
2013-14	47406	50.0	52.1	4.64	10493	4502.49	2526	1672
2012-13	49076	48.0	52.9	4.42	10580	4008.08	2684	1886
2011-12	51156	48.0	48.0	4.19	9005	3437.38	1970	1320

2010-11	**53171**	**48.0**	**46.4**	**3.88**	**7083**	**-**	**1860**	**1247**
2009-10	**5 5305**	**47.0**	**43.9**	**3.66**	**6292**	**-**	**1533**	**966**

* कर्मचारियों को दी जाने वाली ग्रेच्युटी के कारण मुख्यतः लाभ में गिरावट |

**प्रति मैनशिफ्ट आउटपुट

3.3 वर्ष 2017- 18 के दौरान कम लाभ और उत्पादन के संबंध में एक लिखित टिप्पणी में यह बताया गया है कि सीसीएल 2017 -18 को छोड़कर 2014 -15 से प्रत्येक वर्ष कोयला उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करता आ रहा है। वर्ष 2017 -18 में निष्क्रमण बाधाओं के कारण उत्पादन को 63.4 मीट्रिक टन तक ही सीमित करना पड़ा।राजकोषीय वर्ष 2019-20 में भूमि प्रमाणन ,जिला प्राधिकारियों द्वारा विशेष रूप से सरकारी भूमि पर दावों से संबंधित विवादों के निपटान में अत्यधिक विलंब होने ,वन अनापत्ति ,पर्यावरण संबंधी अनापत्ति मिलने में विलंब

होने,प्रचालन हेतु सहमति (सीटीओ), सीसीएल कमांड एरिया में कानून और व्यवस्था का खराब होना इत्यादि कारणों से कंपनी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई।

3.4 चार वर्षों अर्थात 2009-2010 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान सीसीएल कठिन दौर से गुजर रहा था जिसके कारण इन वर्षों में उत्पादन लगभग स्थिर हो गया था। इस दौर का संदर्भ देते हुए सीसीएल ने निम्नवत बताया:

''2009-10 से 2012-13 की समयावधि में कंपनी द्वारा कोयला उत्पादन लगभग 48 मिलियन टन पर स्थिर था। कंपनी के पास कई वर्षों तक लगभग 16 एमटी कोयला भंडार (कुल वार्षिक उत्पादन का लगभग 33%) पड़ा था एवं कोयला भंडार की आयु के कारण कई स्थानों पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग के मामले दृष्टिगत हुए। कई चालू परियोजनाओं में भूमि की अत्यधिक कमी थी क्योंकि भू-स्वामी अपनी भूमि पर कब्जा सीसीएल को नहीं दे रहे थे। कर्मचारीगण निराश एवं निरुत्साही थे।"

3.5 वर्ष 2009-2010 से 2012-13 तक कोयला उत्पादन स्थिर होने के दृष्टिगत इस संबंध में किए गए उपायों के बारे में कंपनी ने बताया कि प्रशासन का कायाकल्प मॉडल 2012 में लाया गया ताकि कंपनी के समग्र कार्य निष्पादन में सुधार लाया जा सके । इस मॉडल के उद्देश्य और उसके औचित्य के संबंध में सीसीएल ने निम्नवत जानकारी दी:

"प्रशासन का कायाकल्प मॉडल वर्ष 2012 में सीसीएल में आया। सीसीएल के समक्ष भूमि

अधिग्रहण, कार्मिकों के मध्य प्रेरणा की कमी एवं कंपनी के विभिन्न अंशधारकों के मध्य अपनत्व के भावना की कमी जैसी चुनौतियां थी। प्रशासन का कायाकल्प मॉडल इन्हीं मुद्दों के समाधान हेतु अस्तित्व में आया।

प्रशासन का कायाकल्प मॉडल निम्नलिखित 5 सिद्धांतों पर आधारित है:

(i) सीईओ का दृढ़, नैतिक एवं लोकोपकारी दृष्टिकोण

(ii) उत्तराधिकार की योजना

(iii) कड़ा अनुशासन

(iv) तकनीक एवं नवोन्मेष

(v) लोकतंत्रात्मक योजना बनाना एवं एकीकृत नियंत्रण

इन सिद्धांतों को धरातल पर उतारती हुई विभिन्न कायाकल्प योजनाएं हैं जो पीपुल, प्लेनेट, प्रॉफिट के 3पी का ध्यान रखते हुए 'टीम-निर्माण' में परिणत होती हैं एवं 'वर्धित उत्पादकता' की ओर बढती हैं।

3.6 प्रशासन का कायाकल्प मॉडल के कंपनी के प्रचालनों तथा कार्य निष्पादन पर सकारात्मक प्रभाव का संदर्भ देते हुए सीसीएल ने आगे निम्नवत बताया:

'' प्रशासन के कायाकल्प मॉडल के अंगीकरण के पश्चात सीसीएल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी कंपनी ने उन्ही कर्मचारियों के साथ वर्ष 2014-15 में कोयला उत्पादनमें 11.3%, 2015-16 में 10.2%, 2016-17 में 9.3%एवं 2018-19 में 8.4% की वृद्धि दर्ज की। कोयले का उत्पादन 2013-14 में 50.02 एमटी से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 68.7 एमटी हो गया अर्थात 37% की वृद्धि। वर्ष 2013-14 में कोयला प्रेषण 52.12 एमटी से बढ़कर 2018-19 में 68.4 एमटी हो गया अर्थात 31% की वृद्धि। पूंजीगत व्यय जो कि वर्ष 2009-10 में रु.321.3 करोड़ था वह बढ़कर 2018-19 में रु. 1377.3 करोड़हो गया अर्थात 329% की वृद्धि दर्ज की गयी। वर्ष 2014 से 2019 की समयावधि में सीएसआर से संबद्ध व्यय लगभग 371 करोड़रुपए है। कंपनी की लाभकारिता ने हमें खेल अकादमी, सीसीएल के लाल एवं सीसीएल की लाडली, आईटीआई जैसी प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सक्षम बनाया है।

3.7 एक प्रश्न के उत्तर में कंपनी ने बताया कि 2017-18 और 2018-19 में विभिन्न स्रोतों से कोयला उत्पादन और सीसीएल की उत्पादकता के संबंध में तुलनात्मक विवरणनिम्नवत है :

विवरण	2017-2018	2018-2019	पिछले साल मे% वृद्धि
उत्पादन			
ओसी से (एमटी)	63.00	68.407	8.582
यूजी से एम टी	0.405	0.315	-22.222
कुल (एमटी)	63.405	68.722	8.385
ओबीआर(एमएम)	95.622	100.490	5.090
वाश्ड कोल (कोकिंग) (एमटी)	1.115	0.805	-27.802
वाश्ड कोल (नॉन कोकिंग) (एमटी)	6.076	6.631	09.134

उत्पादकता (ओएमएस - टीई)

ओसी		9.372	9.740	
यूजी		0.194	0.214	
समग्र		7.195	8.093	

ख कोयले का ऑफटेक

3.8 कोयले के ऑफटेक अर्थात कोयला पिटहेड्स से आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा के संबंध में आंकड़ों के बारे में सीसीएल ने लिखित उत्तर में बताया कि कोयले का ऑफटेक 2013-

14 के 52.12 एमटी की तुलना में 2018 -19 में 68.4 मीट्रिक टन हो गया है अर्थात इस में 31% की वृद्धि हुई है ।कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2018- 19 में कहा गया है कि 2018- 19 में कच्चे तेल का कुल ऑफ टेक 68. 446 मिलियन टन है।2018 -19 और 2017 -18 में ऑफ टेक का साधन -वार विवरण निम्न प्रकार से है:

(आंकड़े मिलियन टनमें)

साधन	**2018-19**	**2017-18**	**पिछ्ले साल मे वृद्धि**
रेल	30.544	32.740	-671%
सड़क	28.709	25.362	13.20%
फीड टू वाशरी	9.193	9.408	-2.28%
कोलियरी उपभोग	0.003	0.003	-12%
कुल ऑफटेक	68.446	67.5100	1.39%

(ग) कोयला वितरण

3.9 वर्ष वर्ष 2013-14 से सीसीएल द्वारा वितरित कोयला संबंधी आंकड़े निम्नवत हैं:

(आंकड़े मिलियन टनमें)

क्षेत्र	**2013-14 वास्तविक**	**2014-15 वास्तविक**	**2015-16 वास्तविक**	**2016- वास्तविक**	**2017-18 वास्तविक**	**2018-19 वास्तविक**	**201920 वास्तविक**
विद्युत	38.770	39.692	43.010	45.55	49.589	51.000	60.145
स्टील(स्टील सीपीपी सहित)	2.755	3.478	2.793	2.639	0.148	0.350	1.448
उर्वरक	0.277	0.234	0.239	0.221	68.700	0.450	
अन्य*	10.487	12.360	13.855	12.165	17.080	14.611	14.957
कुल	52.289	55.764	59.897	60.575	68.844	68.677	77.00

*अन्य में ई-नीलामी ,पूर्व के नॉन कोर क्न्ज्यूमर्स,स्पॉन्ज और स्टेट एजेन्सिज शामिल हैं।

(घ) उत्पादन और ऑफटेक बढाने हेतु उठाए गये कदम

3.10 कम्पनी ने लिखित टिप्पण मे बताया कि पिछ्ले पांचसालों के दौरान कोयला उत्पादन और ऑफटेक बढाने हेतु निम्नलिखित पहल की गयी हैं:-

i. ग्रीनफील्ड कोयला खनन परियोजनाओं का प्रारंभ
ii. मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार
iii. रेलवे साइडिंगों का प्रारंभ
iv. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के उत्साहवर्धन एवं उन्हें प्रेरित करने के लिए खेलअकादमी, सीसीएल के लाल एवं सीसीएल की लाडली , आईटीआई आदि जैसी अग्रणी सीएसआर परियोजनाओं का क्रियान्वयन
v. ई. पहलें:

क. ई-रिवर्स बिड के साथ प्रोक्योरमेंट

ख. ई-रिवर्स बिड के साथ निविदा

ग. ई-भुगतान

घ. ई-बिल ट्रैकिंग

ङ. ई-वाहन ट्रैकिंग प्रणाली

च. ई-सतर्कता अनापत्ति

छ. ई-शिकायत निवारण

ज. ई-संपत्ति वापसी

झ. ई-कोलनेट

ञ. ई-पीएमएस(प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली)

vi. स्टेकहोल्डेर्स के शिकायतों का त्वरित निवारण

vii. हर महीने के अंतिम शनिवार को संयुक्त सलाहकार समन्वय समिति की बैठक

(ड) कम्पनी के विकास में लाभ का उपयोग

3.11 सीसीएल ने समिति को भेजे गये लिखित टिप्पणमेंबताया कि बढे हुए लाभ से सरकारी खजाने मेंयोगदान 2009-2010 के 1466 करोड़ रुपये से बढ कर 2018-2019 मे 6512 करोड़

रुपये हो गया है । यही नहीं ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के प्रारम्भ होने से रोजगार का सृजन हुआ है और इस से "मेक इन इंडिया" पहल को बढावा मिला है। यह भी बताया गया है कि 2014 -19 की समयावधि में सीएसआर मद मेंव्यय लगभग 371 करोड़ रुपए है ।समिति को बताया गया है कि पूंजीगत व्यय 2009 -10 के 321.3 करोड़ रुपए से बढ़कर 2018- 19 में 1377.3 करोड़ रुपए हो गया है अर्थात इस में 329% की वृद्धि दर्ज की गई है।कंपनी की बेहतरी के लिए लाभों के उपयोग के बारे में आगे बताते हुए सीसीएल ने कहा कि कंपनी को हुए लाभों के कारण ही काफी समय से लंबित ग्रीनफील्ड परियोजनाएं शुरू की जा सकी हैं।जैसा कि बताया गया है समिति के सूचनार्थ ऐसी परियोजनाओं की सूची भी नीचे दी गई है :

क्रम स.	**परियोजना**	**क्षमता (मि.ट/वर्ष)**	**प्रारंभ होने के मूल तिथि**	**प्रारंभ होने की वास्तविक तिथि**
1	मगध ओसी	51/70	अप्रैल 2006	मई 15
2	आम्रपाली ओसी	25/35	अप्रैल 2006	जुलाई 14
3	कोनार ओसी	3.5	अपैल 2006	जनवरी 14
4	उत्तरी उरीमारी ओसी(Q2)	3	अप्रैल 2005	अक्टूबर 13
5	पुरनाडीहओसी (Q1)	3	जुलाई '08	अगस्त 13
6	स्वांग सी यूजी	0.15	अपैल' 11	दिसम्बर 14
7	पिपरवार रेल लाइन	24	मार्च'98	जुलाई 17
8	टोरी शिवपुर रेल लाइन	48	2006	सितम्बर 2018

(च) कंपनी की ताकत और कमजोरियां

3.12 वार्षिक रिपोर्ट 2018 19 के अनुसार सीसीएल ने अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कमजोरियां चिह्नित की हैं:-

'' सीसीएल की अधिकांश खाने पुरानी हैं जिनमें अप्रचलित उपकरण हैं। विगत में कंपनी ने कुछ नई खाने खोली हैं।कुछेक खानो में ही अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है ।खानों में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग काफी कम है इससे व्यवस्था भ्रष्टाचार और अक्षमता प्रवण हो जाती है । ''

3.13 सीसीएल ने अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में निम्नवत बताया:

कंपनी की ताकत :

I. उच्च उत्पादन एवं उच्च उत्पादन क्षमता(सीसीएल कमान क्षेत्र में वृहत कोयला भंडार)
II. आधारभूत संरचना की उपलब्धता.
III. कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता
IV. न्यूनतम संघर्षण दर
V. सीसीएल वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त मिनिरत्न कंपनी है

कंपनी की कमजोरियां :

i) पुरानी प्रोद्योगिकी युक्त जीर्ण खदानें
ii) ट्रेड यूनियन वाद
iii) सूचना तकनीक का सीमित अनुप्रयोग
iv) ख़राब कार्य संस्कृति।

(ख) वित्तीय कार्य निष्पादन

3.14 कंपनी का वित्तीय कार्य निष्पादन 2009-10 से निम्नवत है:

वर्ष	**वित्तीय कार्य निष्पादन**			
	सकल उत्पादन (करोड़ रुपए में)	**निवल सम्पत्ति (करोड़ रुपए में)**	**कर पूर्व लाभ (करोड़ रुपए में)**	**कर पश्चात लाभ (करोड़ रुपए में)**
2018-19	16344	5142.72	2692	1704
2017-18	15729	3816.04	1344	790*
2016-17	14533	3237.1	2374	1389
2015-16	13659	6212.1	3119	1915
2014-15	11781	5812.38	2740	1771
2013-14	10493	4502.49	2526	1672

2012-13	10580	4008.08	2684	1886
2011-12	9005	3437.38	1970	1320
2010-11	7083	-	1860	1247
2009-10	6292	-	1533	966

3.15.वर्ष 2017 -18 के दौरान कर पश्चात लाभ में गिरावट के कारणों के संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु कहे जाने पर कंपनी ने बताया कि 29 -3 -2018 से देय ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि 10लाख रुपए से 20लाखरुपए किए जाने के कारण ग्रेच्युटी हेतु 900.33 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की वजह से 2017-18 में कर्मचारी लागत में बढ़ोतरी होने के कारण 2017-18 में लाभ में 807.78 करोड़ रुपए की गिरावट आई है।

(क) नियोजित पूंजी पर रिटर्न

3.16पिछ्ले तीन वर्षों के दौरान कर पूर्व लाभ सीसीएल दवारा नियोजित पूंजी, नियोजितपूंजी पर रिटर्न (%) निम्नवत है :

(करोड़ रुपए में)

मानदंड	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
नियोजित पूंजी	4189.57	3345.2	5502.12
करपूर्व लाभ (पीबीटी)	2371.3	1387.49	2692.2
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	56.60%	41.48%	48.93%
राजस्व में अंशदान	7167.11	6566.97	6512.02

ख. कंपनी का भावी निवेश

3.17 पृष्ठाधार टिप्पणी में सीसीएल ने नई धोवनशालाओं की स्थापना सीलोस भंडार गृह ,कोल हैंडलिंग प्लांट सीएचपी ,कन्वेयर सिस्टम ,रेलवे साइडिंग्स इत्यादि के निर्माण तथा सर्फेस एंड कंटीन्यूअस - इको पार्क इत्यादि के विकास द्वारा कोयले की गुणवत्ता और पर्यावरण वहनीयता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल देने के अतिरिक्त वर्ष 2024-25 तक 110 एमटी

कोयले के उत्पादन के भावी उद्देश्य के बारे में बताया ।यह पूछे जाने पर कि सीसीएल द्वारा 2024-25तक इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है, कंपनी ने निम्नवत बताया :

''सीसीएल ने अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6800 करोड रुपए के पूंजी निवेश की योजना बनाई है इस निवेश से कोयले की गुणवत्ता में सुधार होगा और पर्यावरणीय वहनीयता सुनिश्चित होगी। पूंजी निवेश हेतु कुछ प्रमुख हेड हैं -फर्स्टमाइल कनेक्टिविटी के अंतर्गत कार्यकलाप, रेलवे साइडिंग्स और वाशरी परियोजनाएं, सीएसपी सीलोस तथा एचईएमएम।''

(ग) कोयला क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3.18 भारत में कोयले के खनन प्रसंस्करण और बिक्री में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमोदित किए जाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में पूछे जाने पर कंपनी ने निम्नलिखित जानकारी दी:

'' सरकार ने 18-09-2019 को कोयले की बिक्री, सम्बद्ध प्रसंस्करण अवसंरचना सहित कोयला खनन गतिविधियों के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के संबंध में कोयला खान (विशेष)उपबंध अधिनियम,2015 और खान और खनिज (विकास और विनियमन)अधिनियम 1957 के रूप में समय-समय पर संशोधित और इस विषय पर अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन कोयला खनन संबंधी एफडीआई नीति की समीक्षा की है।एसोसिएटेड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कोयला वोशरी कोल हैंडलिंग और सेपरेशन (चुंबकीय और गैर चुंबकीय)शामिल हैं ।कोयले की बिक्री के लिए संबद्ध प्रसंस्करण अवसंरचना सहित कोयला खनन गतिविधियों के लिए 100% एफडीआई की अनुमति से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को आकर्षित करने और कुशल और प्रतिस्पर्धी कोयला बाजार बनाने की उम्मीद है।"

3.19. यह पूछे जाने पर कि क्या यह निर्णय विद्युत क्षेत्र की सहायता करेगा जिन्हें बेहतर कोयला आपूर्ति की आवश्यकता है परंतु वे ईंधन की कमी से बारंबार जूझते हैं, सीसीएल ने निम्नलिखित उत्तर दिया :-

''विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूत्ति को सदैव प्राथमिकता दी गई है और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) ने वार्षिक उत्पादन का लगभग 80% विद् युत क्षेत्र को आपूर्ति की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की रिपोर्ट दिनांक 04.03.2020 के अनुसार, पावर प्लांट में 37.967 मिलियन टनकोयला स्टॉक है, जो 21 दिनों की खपत के लिए पर्याप्त है, जिसमें से 36.916 मीट्रिक टन घरेलू स्रोतों से है। वहीं, सीआईएल का पिट हेड स्टॉक 46 मि.टसे अधिक है। स्पष्टतः थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले की कोई कमी नहीं है। विद्युत क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सीआईएल ने निकट भविष्य (2023-24) में अपने उत्पादन को 1 बिलियन टन तक पहुँचाने की योजना बनाई है। कोयला क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का निर्णय देश में घरेलू कोयले की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करेगा और

विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयला आयात को कम करेगा जिससे मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत होगी।'

3.20. यह पूछे जाने पर कि विद्युत क्षेत्र में 100% एफडीआई के निर्णय से कंपनी को कैसे सहायता मिलेगी, सीसीएल ने निम्न उत्तर दिया:-

'' बड़ी खनन कंपनियां भारत में प्रवेश करेंगी और अत्याधुनिक प्रौदयोगिकी लाएंगी। इससे कोयला उत्पादन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मेगा खनन कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने उत्पादन, उत्पादकता और कोयला गुणवत्ता में सुधार करना होगा।''

3.21. कोयला क्षेत्र पर एफडीआई के प्रभाव के मुद्दे पर कोयला मंत्रालय के सचिव ने मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:

''जब हम यह कहते हैं कि एफडीआई कोल इंडिया को कैसे प्रभावित करेगा तो हम यह नोटिस करें कि भारत ने पिछले वर्ष अपनी कुल 965 मिलियन टन की खपत में से 22% कोयले की आवश्यकता आयात से पूरी की है। हमने लगभग 235 मीट्रिक टन कोयले का आयात किया। कोयले की मांग में औसतन 5 से 6% की वार्षिक वृद्धि दर और इस तथ्य कि सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड को इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु दिशा प्रदान की है जिससे इसमें 2023 - 24 तक एक बिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु इस वर्ष के लिए 660 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था ,को ध्यान में रखते हुए हम यह मान सकते हैं कि जब तक यह वाणिज्यिक ब्लॉक कार्य करना आरंभ करेंगे जिसमें कि न्यूनतम 5-6वर्ष का समय लगेगा ,कोल इंडिया बाजार में अपनी पैठ बना चुका होगा। इसलिए कोल इंडिया के संबंध में इसकी ह्रासित आस्तियों और पुरानी भू-धारिताओं जिनमें कोयले की भारी संभावनाएं हैं ,के साथ हमें लगता है कि इसे एफडीआई से कोई खतरा नहीं है। हमें यह भी लगता है कि चूंकि एफडीआई और निजी खनन से कोयले की खुले बाजार में खुले बाजार मूल्य पर बिक्री होगी इसलिएकोल इंडिया अपनी मौजूदा मूल्यन व्यवस्था को भी बदल पाने में सक्षम हो सकेगा ।''

अध्याय-चार

जनशक्ति प्रबंधन

(क) जन शक्ति और मानव संसाधन नीति

4.1 सीसीएल की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार 2012 में कंपनी की जनशक्ति 51156 थी ।2017-18 में यह घटकर 41467 हो गई ।वर्ष 2018-19 में यह संख्या 36519 थी ।सीसीएल ने एक प्रश्न के उत्तर में लिखित टिप्पण में समिति को 01-12-19 को कंपनी की जनशक्ति के संबंध में निम्नवत ब्यौरा दिया:-

क्र. सं	**श्रेणी**	**कर्मचारियों की संख्या**
1	एग्जीक्यूटिव	2296
2	मासिक आधार वाले	9432
3	दैनिक आधार वाले	26033
4	पीस रेटेड	996
	कुल	38757

4.2 सीसीएलने लिखित उत्तर में समिति को यह भी बताया कि सीसीएल बोर्ड द्वारा कई उप समितियों का गठन किया गया है जो बोर्ड की निष्पक्ष, नैतिक और पारदर्शितापूर्ण शासन में सहायता करती है।एक ऐसी ही समिति मानव संसाधन समिति है जो जनशक्ति बजट, एचआर नीतियों इत्यादि जैसे एचआर प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों/ प्रस्तावों की समीक्षा मॉनिटरिंग

करते हैं और बोर्ड से संबंधित सिफारिश करते हैं। वर्तमान मेंएचआर समिति में 6 सदस्य हैं जिसमें से 3 स्वतंत्र निदेशक एक आधिकारिक अंशकालिक निदेशक तथा दो कार्यात्मक निदेशक होते हैं। इसके अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होते हैं।

ख **<u>ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में जनशक्ति</u>**

4.3 चूंकि ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में खानें पारंपरिक खानों की तुलना में अधिक यंत्रीकृत और पूंजी सघन होती हैं, समिति ने इस संबंध में सीसीएल से जानकारी मांगी कि ये रोजगार सृजन में कैसे योगदान करते हैं ।इस पर सीसीएल ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में दो प्रकार के रोजगार सृजित किए जाते हैं। ये निम्नवत हैं:

(1) प्रत्यक्ष रोजगार

>प्रत्येक दो एकड़ अधिग्रहीत भूमि के मद में सीआईएल की आर एंड आर नीति/ दिशा-निर्देशों के अनुसार एक व्यक्ति को नौकरी प्रदान की जाती है।

>परियोजना की आवश्यकतानुसार वैधानिक/ कुशल श्रमशक्ति की भर्ती की जाती है।

>ठेकेदारों द्वारा सृजित विभिन्न कुशल/ अर्ध-कुशल/ अकुशल नौकरियां।

(ii) अप्रत्यक्ष रोजगार

>स्थानीय सेवा प्रदाताओं द्वारा सृजित रोजगारजैसे केटरिंग सेवाएं, वाहन मरम्मत एवं रखरखाव सेवाएं आदि।

4.4 साथ ही मगध और आम्रपाली खानों के विशेष संदर्भ में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में जनशक्ति के प्रावधान संबंधी उदाहरण देते हुए सीसीएल ने बताया है कि मगध और आम्रपाली खानों में 31-01-2020 के अनुसार 340 स्थानीय लोगों को रोजगार के रूप में ओपन कास्ट खानों के विकास के लिए अधिग्रहित भूमि के खिलाफ मुआवजा दिया गया था ।1570 व्यक्ति इन दोनों खानों में काम करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा संविदा कर्मियों के रूप में लगे हुए हैं तथा 1017 विभागीय कर्मचारी भी तैनात हैं।

ग. जनशक्ति और लाभप्रदता के बीच सह-संबंध

4.5 चूंकि समिति ने कर्मचारियों की संख्या और कंपनी के लाभ के बीच सह -संबंध के बारे में जानना चाहा, समिति को सीसीएल द्वारा लिखित उत्तर के माध्यम से यह बताया गया कि सीसीएल में कर्मचारी लागत लगभग निश्चित है । मूल वेतन , महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों में

वृद्धि तथा NCWA के तहत् वेतन और मजदूरी वृद्धि के कारण श्रमशक्ति संख्या में कमी से समानुपातिक कर्मचारी लागत में कमी नहीं आती है। प्रासंगिक आंकड़े समिति की जानकारी हेतु निम्न तालिका मे दर्शाये गये हैं:-

वित्तीय वर्ष	**औसत जनशक्ति**	**कर पश्चात /लाभ (करोड़ रु)**	**कर्मचारी लागत (करोड़ रु)**
2018-19	40,000	1704	5129
2017-18	41,466	790	5490
2016-17	42,919	1389	4402
2015-16	44366	1915	3945
2014-15	45,849	1771	3897
2013-14	47,406	1672	3509
2012-13	49,076	1886	3522
2011-12	51,156	1320	3397
2010-11	53,171	1247	2518
2009-10	55,305	966	2329

4.6 रिजर्व कम होने, सुरक्षा मुद्दों और खानों के अर्थक्षम न होने के कारण सीसीएल द्वारा बंद की गई 10 भूमिगत खानों के कर्मचारियों के उपयोग के संबंध में समिति को बताया गया कि उन खानों में 4081 कर्मचारी कार्यरत थे जिसमें से अधिकांश को लाभकारी उपयोग हेतु अन्य परियोजनाओं/ क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है ।

4.7 सीसीएल नेपृष्ठाधार टिप्पण में अपने उद्देश्यों का उल्लेख किया है जिसमें से एक कंपनी को चलाने हेतु पर्याप्त संख्या में कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराना तथा इस जनशक्ति के कौशल उन्नयन हेतु उन्हें तकनीकी और प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान करना तथा कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है । 'कोयला क्षेत्र में कौशल विकास' विषय संबंधी दिनांक 24-07-2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5203 के उत्तर में संसदीय कार्य मंत्री तथा कोयला और खान मंत्री ने लोकसभा को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित जानकारी दी :

''विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देने हेतु सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों में 15 जुलाई 2016 को एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है जिसके तहत चुने हुए अभ्यर्थियों को 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है और तत्पश्चात एक दिन आकलन और प्रमाणन हेतु होता है ।

यह परियोजना प्रशिक्षण सहभागियों के माध्यम से खान क्षेत्र संबंधी कौशल परिषद(एससीएमएस) द्वारा विनियमित की जा रही है ।इसका समग्र समन्वयन एनएसडीसी और सीआईएल द्वारा अपने अनुषंगी सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्टस् (एकल संपर्क स्थल, एसपीओसी) द्वारा किया जाता है। वर्ष 2018-19 में सीआईएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों के 112647 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 19240 एग्जीक्यूटिव्स, 93407 नोन एक्जीक्यूटिव्स थे।इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आंतरिक स्तर पर प्रशिक्षण कंपनी के बाहर अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण तथा विदेशों में प्रशिक्षण शामिल होता है। सीआईएल अपने कर्मचारियों के अलावा अपने कमान क्षेत्र में कार्यरत ठेका कामगारों हेतु भी आधारभूत और पुनश्चर्या कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।वर्ष 2018 -19 के दौरान सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में 45261 ठेका कामगारों को खान संबंधी व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों की आवश्यकता अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया ।

अध्याय - पाँच

उच्च क्षमता वाली परियोजनाएं और कोयला वाशरी

क. उच्च क्षमता वाली परियोजनाओं का विवरण

5.1 सीसीएल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सीसीएल की निम्नलिखित पांच (5) उच्च क्षमता वाली परियोजनाएं चल रही हैं:

उच्च क्षमता वाली आगामी ओपन कास्ट (ओसी) खान					
क्रम संख्या	**खान**	**क्षमता (एमटीआई)**	**स्थान**	**पूराहोने का अपेक्षित वर्ष**	**बाधा**
1	संघमित्र	20	लातेहर और चतरा/झारखंड	2024-25	पर्यावरण मंजूरी, वानिकी मंजूरी, भूमि के2215 हेक्टेयर केस्वामित्व का हस्तांतरण।
2	चंद्रगुप्त	15	हजारीबाग/झारखंड	2025-26	पर्यावरण मंजूरी, वानिकी मंजूरी, 1495 हेक्टेयर भूमि के स्वामित्वका हस्तांतरण।
3	कोटरे-बसंतपुर, पचमो	5	रामबाग-बोकारो/ झारखंड	2026-27	पर्यावरण मंजूरी, वानिकी,1220 हेक्टेयर भूमि के स्वामित्व काहस्तांतरण।
उच्च क्षमता वाली आगामी भूमिगत (यूजी)खानें					
4	पतरातू एबीसी	5	रामगढ़/ झारखंड	2028-29	पर्यावरण मंजूरी,

					वानिकी मंजूरी, 1220 हेक्टेयर भूमि के स्वामित्व काहस्तांतरण।
5	पिपरवार चरण-1	0.87	चतरा/ झारखंड	2028-29	पर्यावरण मंजूरी और वानिकी मंजूरी

5.2. यह पूछे जाने पर कि क्या ये उच्च क्षमता वाली खानें अन्य ग्रीनफील्ड परियोजनाओं सेप्रकृति, प्रौद्योगिकी और उत्पादन क्षमता में अलग हैं; सीसीएल ने एक लिखित नोट में बतायाकि :

' ऊपर उद्धृत ओपनकास्ट माइंस मगध और आम्रपाली जैसे सीसीएल की बड़ी ओपनकास्ट खानों के समान हैं । चंद्रगुप्त ओसीपी (15.0एमटीवाई) और संघमित्र ओसीपी (20.0एमटीवाई) कोयला खनन के लिए सतही खनिक होंगे। हालांकि पतरातू एबीसी भूमिगत खदान एक लॉन्गवॉल खदान होगी। कंपनी में लॉन्गवॉल तकनीक वाली यह पहली खान होगी और यह देश की सबसे बड़ी खानों में से एक भी होगी। जब परियोजनाएं अपनी चरम उत्पादन क्षमता तक पहुंचेंगी तो सीसीएल उपरयुक्तपरियोजनाओं से प्रत्येक वर्ष 45.87 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन करेगी। इन पांच परियोजनाओं की कुल स्वीकृत पूंजी लगभग 9325 करोड़ रुपये (अनंतिम) है। परियोजनाओं को कंपनी के आंतरिक संसाधनों से वित्त पोषित किया जाएगा ।'

5.3 सीसीएल द्वारा सूचित किया गया कि उनके दवारा पहले से ही शुरू की गई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं ने निम्नलिखित उददेश्यों की पूर्ति की है -

i) कंपनी के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि,

ii) रोजगार सृजन, और;

iii) राज्यों के खजाने में अंशदान में वृदधि। सीसीएल ने ग्रीनफील्ड उच्च क्षमतापरियोजनाओं को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ चालू करने का निश्चय किया है ताकिआगामी चुनौतियों केसंबंध में अधिक कुशल, उत्पादक और प्रतिस्पर्धी नीति बनायी जा सके ।

ख. उच्च क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए निगरानी तंत्र

5.4. सीसीएल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पूर्व में शुरू की गई कई ग्रीनफील्डपरियोजनाओं में विभिन्न कारणों से विलंब हुआ। अप्रैल 2005 में शुरू की जाने वाली

एन.उरीमारी जैसी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को 8 साल से अधिक की देरी के बाद अक्टूबर 2013 मेंचालू किया गया था । इसी तरह, अप्रैल 2006 में शुरू होने वाली मगध, आम्रपाली, कोनालजैसीग्रीनफील्ड परियोजनाएं 2014/2015 में शुरू की जा सकी। मार्च 1998 में चालू होने वालीपिपरवार रेलवे लाइन को जुलाई 2017 में चालू किया गया था और 2006 में शुरू होने वाली टोरी-शिवपुर रेलवे लाइन को सितंबर 2018 में चालू किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिएकि 5 उच्च क्षमता वाली परियोजनाओं जैसी विशाल परियोजनाओं में पहले की तरह देरी न हो,निगरानी तंत्र के बारे में पूछे जाने पर कोयला ने एक लिखित नोट में कहा कि उच्चक्षमता वाली परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए समय पर पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रणाली लागू की गयीहै:-

i) सभी परियोजनाओ को चालू करने और पूरा करने से संबंधित गतिविधियों की निगरानी के लिए एक परियोजना निगरानी दल की स्थापना की गई है।
ii) सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी कोल इंडिया/एमओसी के माइन डाटा मैनेजमेंट सिस्टम (एमडीएम) पोर्टल द्वारा की जाती है |
iii) एफडी द्वारा थिंक टैंक की बैठक में परियोजनाओं की महत्वपूर्ण गतिविधियों की पाक्षिक निगरानी की जाती है । समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक सहायता सक्रिय तरीके से प्रदान की जाती है ।
iv) प्रत्येक क्षेत्र में स्टाफ ऑफिसर (परियोजना और योजना) होता है जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। मुख्यालय में महाप्रबंधक (परियोजना एवं योजना) की सहायता से निदेशक तकनीकी (परियोजना एवं योजना), स्टाफ ऑफिसर (परियोजना और योजना) की गतिविधियों की जांच और समन्वय करते हैं।
v) परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए चल रही परियोजनाओं का मास्टर कंट्रोल नेटवर्क बनाया जा रहा है।
vi) सीसीएल बोर्ड की हर बैठक में चल रही परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की जाती है।
vii) सीसीएल के सीएमडी की अध्यक्षता में होने वाली जीएम समन्वय बैठक में महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की जाती है।
viii) कोयला सचिव दवारा हर तिमाही में 150 करोड़ रुपये से अधिक या 3 एमटीवाई क्षमता से अधिक लागत वाली चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है।
ix) डीपीआईआईटी के परियोजना निगरानी समूह और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) दवारा परियोजना कार्यान्वयन की भी समीक्षा की जाती है।
x) कोल इंडिया और एमओसी के अपर सचिव द्वारा समय-समय पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भी समीक्षा की जाती है।

5.5 समिति को यह भी बताया गया कि सीसीएल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए त्वरित पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने और भूमि प्रमाणपत्रों की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए भविष्य मेंनिम्नलिखित उपाय करने की योजना बना रहा है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य सरकारो के साथ-साथ स्थानीय निकायों के कई संगठनों के साथ बातचीत शामिल है:

एक. पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के लिए सीएमपीडीआई द्वारा बेसलाइन पर्यावरणीय गुणवत्ता डेटा को अग्रिम रूप से तैयार करना ।

दो. अविलंब जनसुनवाई के संचालन में तेजी लाने के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ अनुवर्ती कार्रवाई।

तीन. टॉर और पर्यावरणीय मंजूरी जारी करने के लिए एमओईएफ एंड सीसी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई ।

चार. जिन परियोजनाओं में कोयले के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तत्काल विस्तार कीआवश्यकता होती है, वहां पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के खंड 7 (ii) के तहतपर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया जाता है।

ग. **कोयला वाशरी**

5.6 सीसीएल कोकिंग के साथ-साथ नॉन कोकिंग कोल की धुलाई के कारोबार में भी है। चारकोकिंग कोल वाशरीज और नॉन कोकिंग कोल की धुलाई के लिए तीन वाशरीज हैं। सीसीएलवाशरीज ने वर्ष 2018-19 में कुल लाभ में 253.909 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

घ. **वर्ष 2018-19 के दौरान वॉशरी का प्रदर्शन**

5.7 वाशरियों के प्रदर्शन के बारे में सीसीएल ने समिति को सूचित किया कि:

* वर्ष 2017-2018 में 62.83 लाख टन की तुलना में वर्ष 2018-19 में नान-कोकिंग कोलवॉशरीज में कच्चे कोयले की खपत बढ़कर 67.69 लाख टन हो गयी।

* नान- कोकिंग वाशरीज में धुले हए कोयले का उत्पादन 2018-19 में बढ़कर 66.31 लाख टन हो गया है, जबकि 2017-18 में यह 60.76 लाख टन था।

* वित्त वर्ष 2018-19 में नॉन कोकिंग कोल वाशरीज के संबंध में धुले हुए कोयले की मात्रा बढ़कर 97.96% हो गई है, जबकि पिछले साल यह 96.71% थी।

* कोकिग कोल वाशरीज में धुले हुए कोयले की बिजली का उत्पादन % वर्ष 2018-19 में 45.69 प्रतिशत हो गया जबकि वर्ष 2017-18 में यह 39.09 प्रतिशत था ।

* कोकिंग कोल वाशरीज ने 8.073 लाख टन वाश्ड कोकिंग कोल स्टील प्लांट्स को भेजा है जबकि 8.047 लाख टन का उत्पादन हुआ है।

* नॉन कोकिंग कोल वॉशरीज ने 66.369 लाख टन वाश्ड कोयला विदयुत संयंत्रों को भेजा जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में उत्पादन 66.311 लाख टन रहा।

* वित्त वर्ष 2018-19 में 11.077 लाख टन उत्पादन के मुकाबले कोकिंग कोल वाशरीज ने 11.556 लाख टन धुले कोयले को विदयुत संयंत्रों को भेजा है ।

* करगली वाशरी को अप्रैल 2018-19 में नॉन कोकिंग वॉशरी के रूप में फिर से शुरू किया गया है जिसे 2016-17 से 2017-18 तक बंद कर दिया गया था।

ड. **कोकिंग कोल वाशरीज का प्रदर्शन**

5.8. *जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018-19 के दौरान धुले हुए मीडियम कोकिंग कोल (डब्ल्यू एमसीसी) का उत्पादन आंकड़ा 8.047 लाख टन रहा, जबकि 2017-18 में 11.153 लाख

टनउत्पादन हुआ था। संभावित ग्राहकों द्वारा मांग नहीं होने के कारण अप्रैल 2018 से जुलाई 2018 के दौरानवाश्डमध्यम कोकिंग कोयला उत्पादन कम रहा।

* कीमत में बदलाव के कारण वित वर्ष 2018-19 के दौरान कोकिंग कोल वाशरीज में 122.828 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

*पिछ्ले साल की तुलना में 2018-19 के लिए वाशरी- वार उत्पादन और उपज नीचे दीगई है:

वाशरी	**उत्पादन (लाख टन में)**		**उपज प्रतिशत**
	2018-19	**2017-18**	**2018-19**
कथारा	0.681	0.451	20.411
सवांग	0.885	0.901	23.464
रजरप्पा	3.314	5.668	38.897
केडला	3.167	4.133	36.755
कुल	8.047	11.153	33.192
योग	**11.153**	**11.390**	**35.693%**

च. **नॉन-कोकिंग कोल वॉशरीज का प्रदर्शन**

5.9. *जानकारी के अनुसार, 2018-19 के दौरान धुले हए नॉन कोकिंग कोल उत्पादन 66.311 लाख टन रहा।

* नॉन-कोकिंग कोल वाशरीज के कारण वर्ष 2018-19 के दौरान 376.737 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।

* पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के लिए वाशरी-वार उत्पादन और उपज नीचे दी गई है:

वाशरी	**उत्पादन (लाख टन में)**		**उपज प्रतिशत**
	2018-19	**2017-18**	**2018-19**
पिपरवार	64.308	59.897	99.413
गिडी	0.881	0.866	50.807
करगली	1.122	(बंदकर दिया गया)	88.393
कुल	66.311	60.763	97.961

छ. नई वाशरियों की स्थापना पर उपलब्धियां

5.10 समिति ने वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट से जानकारी एकत्र की औरनिम्नलिखित पाया:

1. एनआईटी दस्तावेज वाशरी निर्माण विभाग दवारा 2 कोकिंग कोल वाशरी जैसे 3.0 एमटीआई न्यू कथारा, 4.0एमटीवाई बसंतपुर-तापिन वाशरी और 3 गैर-कोकिंग कोल वाशरीज/सीपीपी अर्थात, 4.0 एमटीवाई अशोक, 2.0 एमटीवाई कोनार और 2.0एमटीवाई कारो वाशरी की स्थापना के लिए तैयार किए गए थे।
2. बिल्ड-ओन-ऑपरेट कॉन्सेप्ट पर 2 कोकिंग कोल वाशरीज और 3 नॉनकोकिंग कोल वॉशरीज/सीपीपी की स्थापना के लिए निविदाएं अगस्त 2018 में प्रकाशित की गई थीं।

3. सीसीएल बोर्ड की मंजूरी के बाद 05/3/2019 को 3.0 एमटीआई न्यू कथारा, 4.0एमटीबी बसंतपुर-तापिन कोकिंग कोल वाशरी और 4.0 एमटीवाई अशोक नॉनकोकिंग कोल वाशरी/सीपीपी के लिए सफल बोलीदाताओं को आशय पत्र जारी गया।

5.11. समिति को बताया गया कि नई कोकिंग कोल वाशरीज के निर्माण के बाद (साथ ही मौजूदा पुरानी कोकिंग कोल वॉशरीज के प्रतिस्थापन) सीसीएल ने 14-15 फीसद राख की मात्रा के साथ धुले कोकिंग कोयले का उत्पादन करने की योजना बनाई है। इससे स्टील उत्पादन के लिए जरूरी कोकिंग कोयले का आयात कम होगा। इससे कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी। भारत ने वित्त वर्ष 2018-19 में करीब 52 मीट्रिक टन कोकिंग कोयले का आयात किया था। स्वदेशी वाश्ड कोकिंग कोयला इस्पात निर्माताओं द्वारा आयातित कोकिंग कोयले के साथ मिश्रित किया जाता है । इस प्रकार धुले हए कोकिंग कोयले के घरेलू उत्पादन से आयात में कमी आएगी और देश के इस्पात निर्माता द्वारा धुले हुए कोकिंग कोयले के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के आधार पर विदेशी मुद्रा की बचत होगी ।

ज. वॉशरीज की स्थापना के लिए वित्तपोषण संरचना और सीसीएल की भूमिका

5.12. वाशरियों के निर्माण में सीसीएल के वित्तपोषण ढांचे और भूमिका के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में समिति को सीसीएल द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित नई वॉशरी को बिल्ड, ओन,ऑपरेट (बीओ) अवधारणा के तहत स्थापित करने की योजना बनाई गई है जिसमें वॉशरीस्थापित करने के लिए पूंजी खर्च सफल बोलीदाता/वाशरी ऑपरेटर द्वारा वहन किया जाएगा । यह भी कहा गया कि सीसीएल नई वाशरियों की स्थापना के लिए कोई पूंजी निवेश नहीं कर रहा है। सीसीएल ने यह भी कहा कि हालांकि बीओओ अवधारणा के तहत नई वाशरी स्थापित करने की योजना है, लेकिन सीसीएल कच्चे कोयले की मालिक होने के साथ-साथ धुले हुए कोयले, मिडलिंग, घोल और अवशेष सामग्री जैसे वाशरी उत्पादों की मालिक होगी और सीसीएल कंपनी की नीति के अनुसार इसे बेचेगी और डिस्पैच करेगी । इस संबंध में समिति को आगे बताया गया कि सीसीएल की जिम्मेदारियां इस प्रकार होंगी:

• वाशरी की स्थापना के लिए पर्यावरण और वानिकी मंजूरी प्राप्त करना।

• चूकि कच्चे कोयले का स्वामित्व और धोने के बाद पूरे उत्पाद सीसीएल के पास हैं,इसलिए समय पर वांछित गुणवत्ता वाले कच्चे कोयले की आपूर्ति और संबंधित उपभोक्ताओं को वाशरी उत्पादों के प्रेषण का अधिकार सीसीएल के पास है ।

• उपभोक्ताओं को धुले और धुले हुए बिजली कोयले की लोडिंग के लिए रेलवे रैक की इनडैनटिंग।

• सीसीएल की नीति के माध्यम से अवशेष और घोल (कोयला उपचार के बाद शेष मिश्रण) का निपटान।

• 18 वर्ष की अवधि के लिए बीओओ ऑपरेटर द्वारा संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए, सीसीएल वॉशरी में कच्चे कोयले की खपत के प्रति टन वाशिंग शुल्क का भुगतान करेगा।

- बीओओ ऑपरेटर के साथ संयुक्त रूप से मासिक आधार पर कच्चे कोयले की वाशिबिलिटी टेस्ट आयोजित करना: वाशरी के सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए मौजूदा नियमों केअनुसार निर्धारित मापदंडों जैसे मात्रा, गुणवत्ता और सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीसीएल द्वारा पूरी परियोजना का समग्र पर्यवेक्षण किया जाएगा ।

5.13. बीओओ मॉडल के आधार पर वॉशरीज के निर्माण के फायदों के बारे में पूछे जाने परकोयला मंत्रालय ने निम्नलिखित फायदों पर प्रकाश डाला:

i) बीओओ मोड में पूंजी लागत बीओओ ऑपरेटर द्वारा वहन की जाएगी। केवल कच्चे कोयले की खपत के प्रति टन वाशिंग चार्ज को सीसीएल को बीओओ ऑपरेटर को भुगतान करना है।

ii) 95% कार्बनिक दक्षता को बनाए रखने के साथ उत्पादों की गुणवत्ता आश्वासन उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा को पूरा नहीं करने के लिए दंड का प्रावधान ।

iii)आवश्यकता के आधार पर इस्पात क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रौद्योगिकी का लचीलापन: यदि सीसीएल धुले/स्वच्छ कोयले के राख % में और कमी के लिये वाशरीऑपरेटर से अनुरोध करता है, तो वाशरी ऑपरेटर(डब्ल्यूओ) इस संबंध में सीसीएल की आवश्यकता का अनुपालन करने का प्रयास करेगा और उस समय कच्चे कोयला फ़ीड की वाशरी वक्र के आधार पर इस उत्पादन की पुन: गणना की जाएगी।

iv) वाशरी ऑपरेटर दवारा भूमि औरसंयंत्र को सीसीएल को सौंपना:- अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद यानी वाणिज्यिक संचालन के 18 वर्षों के बाद या उसके बाद पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर विस्तारित अवधि के बाद, डब्ल्यूओ सुरक्षा जमा की वैधता की समाप्ति से पहले बिना किसी मौद्रिक दावे के इमारतों, संरचनाओं और मशीनरी सहित भूमि को सीसीएल को सौंप देगा। वाशरीऑपरेटर इस संबंध में विभिन्न अनुमोदन से संबंधित संयंत्र जैसे इंजीनियरिंग डेटा, चित्र, मैनुअल और विभिन्न अनुमोदन से संबंधित विभिन्न जानकारी/दस्तावेज भी सौंपेगा ।

v) वाशरी का संचालन और रखरखाव दोनों बीओओ ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा।

vi) परियोजना के समय पर पूरा होने की संभावना- चूंकि परियोजना का 100% वित्तपोषण बीओओ ऑपरेटर द्वारा वहन किया जाएगा और संयंत्र के संचालन और रखरखाव सहित संयंत्र के प्रौद्योगिकी (वैट), प्रकार और डिजाइन के चयन की स्वतंत्रता पूरी तरह से बीओओ ऑपरेटर के पास है, इसलिए परियोजना (18 महीने) के समय पर पूरा होने की संभावना बहुत अधिक है।

vii) संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ-साथ संयंत्र की बेहतर दक्षता सुनिश्चित करना ।

5.14. वाशरी के निर्माण के मुद्दे पर, सीसीएल के सीएमडी ने मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नवत बतायाः

"मैं कोकिंग कोल की वाशरीज़ के बारे में कहना चाहता हूं, हम किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं, आउटपुट डिमांड के हिसाब से रैगुलेट करते हैं। हमने शुरू में ही कहा था कि कोकिंग कोल का एश परसेंटेज बहुत ज्यादा है। ब्लास्ट फर्निश में जो लगता है, उसके लिए लो एश कोकिंग कोल चाहिए। उस एश का कोयला नहीं है, इसलिए इम्पोर्ट तो करना पड़ेगा। हम अपने कोकिंग कोल को कितना वाश करें, ताकि वे इसे मिला सकें और इस्पात संयत्रों में विस्फोट भट्टियों में उपयोग में ला सकें । इसके लिए मिनिस्ट्री आफ स्टील और कोल में कई मीटिंग्स हुई हैं। अभी मिनिस्ट्री आफ कोल ने मिनिस्ट्री आफ स्टील को प्रोजेक्शन दिया है, हम उसके अनुरूप वाशरीज़ बनाने के लिए तैयार हैं और बना भी रहे हैं। हम माग को पूरा करेंगे।"

अध्याय - छह

नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग

क.प्रौद्योगिकी पहल

6.1 सीसीएल दवारा समिति को दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिये नवीनतम तकनीक की मदद ले रही है। इस क्षेत्र में की जा रही कुछ पहल याप्रस्तावित की जा रही पहलें इस प्रकार हैं:

(क) प्रौद्योगिकी

- ग्रीन एनर्जी हब
- खनिकों के लिए पहले मील सड़क परिवहन का उन्मूलन
- सतह खनिक
- निरंतर खनिक

(ख) हरित पहल

- ओवरबर्डन डंप को स्थिर करने के लिए सीड बॉल वृक्षारोपण: वित्त वर्ष 2019-20 में अब तक ओबी डंप लगभग 8 लाख सीड बॉल लगाई गई हैं।
- सभी रेलवे साइडिंग पर ऑनलाइन पीएम10 एनालाइजर लगाने की संभावना:जनवरी 2020 तक 25 एनालाइजर लगाए जाने की संभावना।
- जनवरी 2020 तक जारी एम्बिटेंट एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशन्स(सीएएक्यूएमएस) की स्थापना।

(ग) ई-पहल

- आरएफआईडी आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम
- रिवर्स बोली के साथ ई खरीद
- तौलपुलों पर सीसीटीवी, कोयले का स्टॉक आदि।

- ई-शिकायत निवारण
- ई बिल ट्रैकिंग
- ई भुगतान

ख. **खनिज संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग**

6.2 सीसीएल ने सूचित किया है कि उनकी कंपनी ने खनिज संरक्षण के लिए अत्याधुनिक प्रौदयोगिकी अपनाई है।

" (क) ओपनकास्ट खानों में सतह खनिकों को नियुक्त करना: सतह खनिक पर्यावरण के अनुकूल उपकरण हैं जो विस्फोट को खत्म करते हैं और (-) 100 मिमी कोयला चूर्ण प्रदान करते हैं। यह 0.1 मीटर मोटी सतह के खनन को तेजी के साथ चयनात्मक खनन को भी सक्षम बनाता है। उनके पर्यावरण अनुकूल प्रकृति सतह खनिकों के कारण सीसीएल में बड़े पैमाने पर इन्हें अपनाया गया है । सतही खनिकों से उत्पादन 2012-13 में 8.6 मीट्रिक टन से बढ़कर 2018-19 में 222 मीट्रिक टन हो गया है। 2012-13 में, सतह खनिकों ने ओपनकास्ट उत्पादन का 18% योगदान दिया, जो 2018-19 में ओपनकास्ट उत्पादन का 33% तक बढ़ गया। भविष्य में इसकी तैनाती के लिए हमारे पास महत्वाकांक्षी योजना भी है।

(ख) सतत खनिकों और लांगवॉल खनन को अपनाना: सीसीएल में चूरी-बेंटी खदान (0.81 एमटीवाई) में निरंतर खान प्रौद्योगिकी भारत में अपनी तरह की पहली है जो सीवन से 5.0 मीटर ऊंचाई तक कोयला निकालने के लिए है। पहले सीएम केवल 4.6 मीटर ऊंचाई तक कोयला निकालने में सक्षम थे। पिपरवार यूजी पीएच-1 (0.87 एमटीवाई) और परेज ईस्ट यूजी (0.51 एमटीवाई) में भी निरंतर खनन शुरू किया जाना है। पतरातू एबीसी यूजी खदान की पहचान 5एमटीवाई की क्षमता वाले लांगवॉल खनन शुरू करने के लिए की गई है।

(ग) मगध ओसीपी, आम्रपाली ओसीपी, उत्तरी उरीमारी ओसीपी की तरह उच्च क्षमताओं वाली खानों में सीएचपी/एसआईएलओ के माध्यम से रैपिड लोडिंग सिस्टम लागू करने की योजना वित्त वर्ष 2023-24 तक शुरू करने की योजना बनाई गई है।

(घ) रेलवे साइडिंग की स्वीकृति: हाल के वर्षों में लंबे समय से लंबित रेलवे साइडिंगटोरी-शिवपुरसडिंग और पिपवार रेलवे साइडिंग चालू हो गई है । अगले कुछ वर्षों में जो नई साइडिंग आ जाएंगी वे मगध रेलवे साइडिंग, आम्रपाली रेलवे साइडिंग और नॉर्थ उरीमारी रेलवे साइडिंग हैं।

ग. लॉन्गवॉल प्रोद्योगिकी

6.3. लॉन्गवॉल खनन कई छोटे स्थानों से हटाने के बजाय एक लंबे स्थान से कोयले को निरंतरहटाना है जैसा कि पारंपरिक भूमिगत खनन यानी बोर्ड और लाट खनन की विधि में होता है ।लॉन्गवॉल खनन में , खदान के विकास चरण के दौरान कोयले के बहुत लंबे आयताकार ब्लॉकों को बनाया जाता है और फिर एक स्वचालित काटने वाले उपकरण द्वारा एक निरंतर ऑपरेशन में निकाला जाता है जो शेअर के रूप में जाना जाता है। जब कोयला काटा जाता है, तो कार्य क्षेत्र को चल, संचालित रूफ सहायता प्रणाली दवारा संरक्षित किया जाता है। जैसे-जैसे

कार्य बढ़ता है, कोयले के ऊपर तत्काल रूफ को समर्थन की रेखा के पीछे गिरने या रेत या अन्य स्टोविंग सामग्री के साथ खड़ा करने की अनुमति है।

6.4. सीसीएल ने समिति को सौंपे गए लिखित नोट में बताया कि प्रस्तावित उच्च क्षमतावाली खान परियोजना में से एक अर्थात पतरातू एबीसी लॉन्गवॉल तकनीक वाली एक भूमिगत खदान है जो 5 एमटीएस की क्षमता वाली सबसे बड़ी भूमिगत खदान होगी। जब यह पूछा गया कि क्या केवल 5 मीटर की क्षमता के साथ एक लंबी हॉल प्रौदयोगिकी खदान होना व्यवहार्य है, खासकर जब बड़ी क्षमताओं वाली खुली कास्ट खानें हैं, तो सीसीएल ने स्पष्ट किया कि:

"केवल एक निश्चित गहराई तक कोयला जमाव के लिए ओपनकास्ट खनन विधि किफायती है। भूमिगत खनन विधि गहरे बैठे कोयला भंडारों को निकालने का एकमात्र तरीका है । इसके अलावा भूमिगत खनन द्वारा गहरे बैठे कोयला भंडार को निकालने के लिए, लौंगवॉल प्रौद्योगिकी दुनिया भर में आज तक की सबसे उत्पादक प्रौदयोगिकी है । चूंकि पतरातू एबीसी यूजी में कोयला भंडार की गहराई 215 मीटर से 554 मीटर तक है इसलिए लॉन्गवॉल प्रौद्योगिकी उच्च क्षमता के साथ इस कोयला भंडार को अधिक कुशलता से निकालने का एकमात्र तरीका है । इस खदान में लॉन्गवॉल तकनीक के साथ भूमिगत खनन का प्रस्ताव करने का यही कारण है।"

6.5. जब ओपन कास्ट खानों पर लॉन्गवॉल प्रौद्योगिकी खनन से होने वाले फायदों को विस्तार से बताने को कहा गया, तो कंपनी ने निम्नवत बताया:

"यह सच है कि ओपनकास्ट खनन उन कोयला भंडारों के लिए भूमिगत लॉन्गवॉल खनन की तुलना में अधिक उत्पादक और आर्थिक रूप से अधिक लागत प्रभावी है जिसे दोनों तरीकों से निकाला जा सकता है । यह गहराई तक ओपनकास्ट खननद्वारा कोयला भंडार निकालने के लिए भी बेहतर है जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। लेकिन गहरे बैठे कोयला भंडार को उच्च विपठ्ठन अनुपात के कारण आर्थिक रूप से ओपनकास्ट खनन द्वारा नहीं निकाला जा सकता है, जिसे भूमिगत खनन द्वारा कम खर्च पर ही निकाला जा सकता है ।

6.6. ओपन कास्ट खनन की तुलना में लॉन्गवॉल प्रौदयोगिकी के फायदे के बारे में

निम्नवत बताया गया:

1)ओवरबर्डन डंपिंग के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है।

2) झुकाव के माध्यम से कोयले के लिए त्वरित पहुंच, अतः निवेश पर जल्द वापसी ।

3) पर्यावरण के अनुकूल- भूमि, वनस्पतियों और जीवों के लिए अशांति न्यूनतम है। ।

ग. **हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम)**

6.7. इस प्रश्न पर कि क्या सतह खनन में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) को लगाना पर्यावरण के अनुकूल है और प्रदूषण को कम करती है, सीसीएल ने समिति को प्रस्तुत एकलिखित नोट में कहा कि सतह खनन में तैनात एचईएमएम,पर्यावरण की दृष्टि से बीएस काअनुपालन कर रहे हैं और ड्रिलिंग उपकरण में इन-बिल्ट डस्ट सप्रेशन प्रणाली है जो सतह खनन में प्रदूषण को कम करता है । उपर्युक्त के अलावा खानों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों

में भी धूल दबाने के लिए एमआईएसटी प्रणाली के साथ वाटर स्प्रिंकलर लगाया जा रहा है। कोयला खनन के लिए उच्च क्षमता वाली खदानों में इको फ्रेंडली सरफेस खनिकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सतह खनिक ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग को खत्म करने और चूर्ण/ सही आकार वाला कोयला प्रदान करते हैं । 2018-19 में, सतह खनिकों ने कंपनी के पूरे ओपनकास्ट कोयला उत्पादन में लगभग 32% का योगदान दिया।

6.8. सतह खनन और एचईएमएम के उपयोग के बारे में और विस्तार से पूछे जाने पर कंपनी ने कहा कि सीसीएल में कोयला उत्पादन का 99% से अधिक ओपनकास्ट खानों से आता है। कम्पनी की सभी खानें योग्य पेशेवरों द्वारा चलाई जाती हैं, जो विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। सभी ओपनकास्ट खानों में अधिक बोझ को हटाने के लिए फावड़ा डम्पर संयोजन है। पिपरवार, अशोक, मगध, आम्रपाली और उत्तर उरीमारी खदान में कोयला खनन के लिए सतही खनन की शुरुआत की गई है। समिति को आगेनिम्न बताया गया:

i. सीसीएल में सतह खनन सीसीएल के स्वामित्व वाली भारी अर्थ मूविंग मशीनों (एचईआरएम) दवारा किया जाता है या सीसीएल द्वारा किराए पर ली गई मशीनो दवारा सीएमपीडीआईएल द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट के स्टिपुलेशन के अनुसार एक सामान्य अभ्यास के रूप में किया जाता है।

ii. सीमित जीवन वाले छोटे-छोटे पैचों में जहां विभागीय मशीनों को आर्थिक रूप से तैनात नहीं किया जा सकता, वहाँ सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कोल इंडिया के संविदा प्रबंधन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार आउटसोर्सिंग एजेंसी को पारदर्शी ढंग से खुली निविदा प्रणाली के आधार पर तैनात किया जाता है।

iii. चूंकि विभागीय उपकरणों का जीवन काफी लंबा है (फावड़ा - 6-12 वर्ष, डंपर - 6-9 वर्ष) ऐसी मशीनें अधिमानतः केवल उन पैचों में तैनात की जाती हैं जो तकनीकी रूप से व्यवहार्य हैं।

iv. अधिक बोझ (ओबी) डी-कोल क्षेत्र में बैक-कोल्ड क्षेत्र में वापस आ गया है और डी-कोल्ड क्षेत्र की अनुपलब्धता के मामले में इसे गैर-कोयला युक्त क्षेत्र पर जहां तक संभव हो, फेंक दिया जाता है।

v. कोयला निकालने के लिए, इको फ्रेंडली सतह खनिकों को तैनात किया जाता है, हालांकि, यदि भू-खनन की स्थिति अनुमति नहीं देती है, तो फावड़ा डम्पर संयोजन तैनात किया जाता है।

vi. मेगा आकार की परियोजनाओं की योजना बनाने और उसे लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।

vii. यह सुनिश्चित किया जाता है कि परियोजना पर्यावरण प्रबंधन योजना और खान बंद करने की योजना की शर्तों का अनुपालन करती है।

(क) हैवी अर्थ मूविंग मशीनरियों की लागत

6.9 यह पूछे जाने पर कि सतह खनन में सीसीएल के स्वामित्व वाले कितने एचईएमएमतैनात हैं और एक एचईएमएम की लागत क्या है, कंपनी ने तैनात किए गए और सीसीएल के स्वामित्व वाले एचईएमएम और एक एचईएमएम की लागत के बारे में निम्नवत बताया:

एचईएमएम	**क्षमता**	**सख्या**	**एचईएमएम पर लागत लगभग(लाख में)**
सोवेल	10 क्यूबिक मी.	11	2000
	4-6.5 क्यूबिक मी.	40	980
	1.75-4 क्यूबिक मी.	69	190
डम्पर	100 टन/85 टन	106	425
	60 टन /50 टन	278	225
	35 टन.	43	100
डोजर	850 एचपी	3	925
	460 एचपी(विल डोजर)	17	500
	410 एचपी	99	380
	320 एचपी	103	235
ड्रिल	250एमएम	29	355
	160 एम एम	101	295
पे लोडर	10 क्यूबिक मी.	2	700
	6.4 क्यूबिक मी.	21	365
ग्रेडर	280 एचपी	42	225
पानी टैंकर	28 कि.ली.	69	185
कुल		**1041**	

ख.एचईएमएम का क्षमता उपयोग

6.10 वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 में दी गई सूचना के अनुसार विगत 2 वर्षों के दौरान एचईएमएम की प्रतिशत उपलब्धता और प्रतिशत उपयोगनिम्नवत् रहा:

एचईएमएम	**% उपलब्धता**			**% उपयोगिता**		
	मानक	**वास्तविक**		**मानक**	**वास्तविक**	
		2018-19	**2017-18**		**2018-19**	**2017-18**
शोवेल	80	75.2	79.9	58	40.9	40.4
डंपर	67	72.9	77.2	50	35.4	36.1
डॉजर	70	73	67.1	45	20.8	21.2
ड्रिल	78	83.3	83.7	40	28.2	28.3

6.11 एचईएमएम जैसे डोजर और ड्रिल का कम उपयोग किए जाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर कंपनी ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:

'' डोजर और ड्रिल के कम उपयोग के मुख्य कारणों में भूमि की कमी और कुछ खानों में ईसी/सीटीओ के मुद्दे हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि डोजर का उपयोग आवश्यकता के आधार पर होता है जो सतह/खान की स्थिति पर निर्भर करता है।

6.12 यह पूछे जाने पर कि क्या यह पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है कि एचईएमएम को किराए पर लेने और उनको खरीदने में से कौन सा विकल्प बचत करने वाला है, तो कंपनी ने निम्नलखित उत्तर दिया:

'' वर्ष 2018-19 के दौरान सीसीएल में संयंत्र और उपस्कर को किराए पर लेने की लागत 859 करोड़ रुपए आई। यह पता लगाने के लिए कोई भी स्वतंत्र अध्ययन नहीं कराया गया है कि किराए पर लेना अथवा कंपनी द्वारा उनकी खरीद किए जाने में से कौन सा विकल्प अधिक बचतकारी है।"

6.13 मेक इन इंडिया पहल के कार्यान्वयन के संबंध में एचईएमएम की तैनाती के मामले में सीआईएल और कोयला सहायक कंपनियों के समक्ष आ रही कठिनाइयों के मुद्दे पर सचिव,कोयला मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

"कोयला सहायक कंपनियों के संबंध में सरकारी परिपत्रों का अनुपालन करने में आने वाली कठिनाइयों की बात करें तो हमें कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती लेकिन कभी-कभी मेक इन इंडिया अभियान के कार्यान्वयन में हमें थोड़ी परेशानी महसूस होती है, विशेष रुप से हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी और उपस्करों के मामले में क्योंकि उनमें 200 टन से भी अधिक क्षमता के ट्रकों और ट्रिपर्स की आवश्यकता होती है जिनका निर्माण भारत में नहीं होता है। यहां तक कि 150 टन के उपस्करों को भी भारत में धीरे-धीरे शुरु किए जाने की आवश्यकता है लेकिन जब भी वे शामिल किए जाते हैं तो भारत में निर्मित और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पाद कीगुणवत्ता में काफी अंतर पाया जाता है। इसलिए हम डीआईपीपी से संपर्क साध कर उन्हें इस बात से सहमत करना चाहते हैं कि हमें अपनी कार्य दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि जो कोयला हम इस्तेमाल करते हैं वह भारत में बने। कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय खानों का शीर्षस्थ दक्षता स्तर प्राप्त करने के लिए हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं पर कुल मिलाकर हम अधिकांश नीतियों के अनुरुप ही काम करते है और इसके साथ ही यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कोल इंडिया के सीएमडी से अनुरोध करंगा कि वे आएं और मुझसे बोलने में जो कुछ छूट गया है उसको पूरा करें। "

अध्याय-सात

पर्यावरणीय चिंताएं

क. पर्यावरणीय टिकाऊपन

7.1 कोयला मंत्रालय ने अपने लिखित टिप्पण में बताया है किवनीकरण, पर्यावरण का संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण सेंट्रल कोलफील्ड्सलिमिटेड (सीसीएल) के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। यह पूछे जाने पर कि कोयला खानों में और उनके आस-पास के क्षेत्रों में पर्यावरण सरक्षणहेतु कोयला मंत्रालय और सीसीएल द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, तोमंत्रालय ने अपने लिखित नोट में स्पष्ट किया कि कोयला मंत्रालय केअंतर्गत आने वाली कोयला कंपनियां एकीकृत परियोजना नियोजन, प्रदूषण का उपशमन करने, प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण, पारस्थितिकी की पुनर्बहाली, अपशिष्ट का समुचित निपटान, जलवायु परिवर्तन और सर्वसमावेशी विकास के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण करके सतत् विकास को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प हैं। पर्यावरण पर कोयलाखनन के प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए पर्यावरण,वन और जलवायु-परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने समय समयपर यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसचना को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (1986) जो कि पर्यावरणीयमंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया से संबंधित है, के अंतर्गतअधिसूचित किया है।

7.2 किसी भी कोयला परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदानकरते समय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय परियोजना ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट जिसमें पर्यावरण संरक्षण के विस्तृत प्रावधानशामिल होते हैं, की जांच करता है। इसके अतिरिक्त, ईएसी/एसईएएसमें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी में सभी आवश्यकशर्तें निर्धारित की जाती हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए उपमशनउपाय भी दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी खनन परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति (सीटीई) और प्रचालन करने की अनुमति (सीटीओ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्राप्त करती हैं जो पर्यावरण के संरक्षण हेतु विभिन्न शर्तें और निबंधन निर्धारित करते हैं।खनन परियोजनाओं द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति और अनुमतियों का आवश्यकरुप से अनुपालन किया जाता है और नियमित अंतरालों पर पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अनुपालन रिपोर्ट और पर्यावरणीय निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं।

7.3 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की अनुपालना में उन परियोजनाओंजिनको वन भूमि की आवश्यकता पड़ती है, के मामले में पर्यावरण, वनऔर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व वन-स्वीकृति भी ली जाती है।

7.4 कोयला मंत्रालय भी नियमित अंतरालों पर समीक्षा बैठकों के माध्यमसे पर्यावरण स्वीकृति शर्तों की अनुपालना और खनन कंपनियों कीपर्यावरणीय निगरानी रिपोर्ट्स की स्थिति की भी निगरानी करता है।कोयला मंत्रालय ने पर्यावरण की देखभाल और संरक्षण पर स्वविनियमन के प्रति खान प्रचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए खानों कीस्टार रेटिंग की प्रणाली भी शुरू की है।

कोयला मंत्रालय ने खननप्रचालनों में पर्यावरणीय रुप से सतत् विकास करने के लक्ष्य के साथसर्वोत्तम पर्यावरणीय रीतियों को अपनाने में कोयला कंपनियों कोसुविधा प्रदान करने, मार्गदर्शन करने और उनका नेतृत्व करने के लिएसतत् विकास प्रकोष्ठ नामक एक विशेष प्रकोष्ठ गठन किया है।कोयला मंत्रालय दूसरी जगहों पर अपनाई जा रही सर्वोत्तम पर्यावरणीय रीतियों के संबंध में ज्ञान के प्रसार और अनुभव को साझा करने के लिए समय-समय पर पर्यावरण विनियामकों, खान प्रचालकों और हितधारकोंको लेकर कार्यशालाओं का आयोजन करता रहता है। इसके अतिरिक्तकोल इंडिया पर्यावरण नीति, 2018 के प्रावधानों जो सतत् विकास के सिद्धांतों को परिलक्षित करतेहैं, को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड(सीसीएल) सहित सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों द्वारा अंगीकृतऔर अनुपालन किया गया है।

7.5 खनन क्षेत्रों में पर्यावरण के संरक्षण हेतु सीसीएल द्वारा निम्नलिखित संरक्षणात्मक कदम उठाए गए हैं :

एक. सांविधिक मानकों की अनुपालना

दो. वायु प्रदूषण का उपशमन

क. पर्यावरणीय गुणवत्ता की निगरानी

ख.खनन क्षेत्र में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन करवाना

तीन. जल प्रदूषण नियंत्रण उपाय

चार. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय

पाँच. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

<u>ख.वृक्षारोपण</u>

7.6 वित्तीय वर्ष 2019-20 में सीसील द्वारा सीड बाल वृक्षारोपण के अंतर्गत लगभग 8 लाख सीड बॉल्स सीसीएल की खानों के ओवर-बर्डन डंप्स पर छिड़के गए हैं।

विगत पांच वर्षों के दौरान सीसील में किए गए वृक्षारोपणों की संख्या के संबंध में ब्यौरा मांगे जाने पर कंपनी ने निम्नलिखितजानकारी दी:

वर्ष	पौधों की संख्या
2015 मानसून	55025
2016 मानसून	70065
2017 मानसून	202957

2018 मानसून	128025
2019	112500

7.7 जब यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि क्या व्यापक स्तर परवृक्षारोपण अभियान, क्षयित खान क्षेत्रों को जैविक रुप से पुन: उपजाऊबनाने, भूमि उपयोग के लिए दूरसंवेदी सर्वेक्षण इत्यादि जैसे स्वच्छपर्यावरणीय पहलें सीसीएल द्वारा प्रदूषण कम करने के लिए खानों केइर्द-गिर्द की जाती है, कंपनी ने स्पष्ट किया कि ऐसे कार्यकलापनिम्नलिखित कंपनियों को आउटसोर्स किए गए हैं:

क्र.सं.	**कार्यकलाप**	**कार्यकलाप करने वाली एजेंसी**	**आउटसोर्सिंग प्रविधियां**
1	वृक्षारोपण/जैव भू-सुधारीकरण	राज्य वन विभाग	सीसीएल और राज्य वन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन
2	दूर संवेदीसर्वेक्षण	सीएमपीडीआई	सीआईएल के कार्य आदेश के अनुरुप
3	नियमित पर्यावरणीय निगरानी	सीएमपीडीआई	सीसीएल द्वारा सीएमपीपीआई को दिए गए कार्य आदेश के अनुरुप

<u>वृक्षारोपण, दूरसंवेदी सर्वेक्षण और पर्यावरण निगरानी परहुआ व्यय</u>

7.8 विगत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त कार्यकलापों में से प्रत्येककार्यकलाप पर किए गए खर्च के संबंध में सूचना मांगे जाने पर कंपनीने एक लिखित टिप्पण में निम्नलिखित जानकारी दी:

क्र.सं.	कार्य पर व्यय	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
1	वृक्षारोपण/जैवीय रुप से भूमि सुधारीकरण	307.52	173.31	6002	540.85
2	दूरसंवेदी सर्वेक्षण	190.75	190.75	190.75	572.25
3	नियमित पर्यावरण निगरानी	19	20	24	63
	सम्पूर्ण				1176.1

7.9 यह स्पष्ट करने के लिए कहे जाने पर कि वृक्षारोपण की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए सीसीएल/कोयला मंत्रालय मेंकोई तंत्र था, कोयला मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तरों में निम्नवत्बताया:

"सीसीएल दवारा वृक्षारोपण कार्य झारखंड सरकार के राज्य वन विभाग द्वारा कराया जाता है| इसमें वृक्षारोपण और उसके रख-रखाव को 2 साल तक शामिल किया गया है जिसके बाद वृक्षारोपण स्थल को सीसीएल को सौंप दिया जाता है। प्रथम वर्ष के दौरान, सुरक्षा , निराई एवं गुड़ाई, पौधों को बड़ा करने के साथ मृत पौधों का आकस्मिक प्रतिस्थापन , बाड़ की मरम्मत, उर्वरक देना तथा विविध कार्य एवं विस्तार कार्य शामिल हैं। दूसरे वर्ष के दौरान, रखरखाव कार्य में संरक्षण , निराई, बाड़ की मरम्मत , उर्वरक और विविध कार्य और विस्तार एवं शामिल होते हैं।

ज्ञापन समझौता के अनुसार पौधे की उत्तरजीविता के वांछित प्रतिशत के साथ वन विभाग बागान सीसीएल को सौंप देता है । द्वितीय वर्ष के रखरखाव की सफल समाप्ति के पश्चात, राज्य वन विभाग, बागान की अग्रेत्तर रख-रखाव के लिए 60% और अधिक उत्तरजीविता प्रतिशत के साथ रोपित बागान सीसीएल को समर्पित कर देता है।"

<u>ग.ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जनों की कटौती संबंधी पहलें</u>

7.10पर्यावरण टिकाऊपन के लिए ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को कमकरने के लिए की गई पहलों के बारे में पूछे जाने पर सीसीएल ने अपने लिखित उत्तर मेंबताया कि पर्यावरणीय टिकाऊपन के लिएनिम्नलिखित कदम उठाए हैं/उठाए जाने की योजना है:

क.धोवनशालाओं को चालू करना

ख.ग्रीन एनर्जी हब: 10 एमटीवाई से अधिक की सभी परियोजनाओं में

धोवनशाला, रिजेक्ट आधारित विद्युत संयंत्र और खान की परिधि में ग्रीन

कर्टेन

ग. पिट हेड विद्युत संयंत्र

घ. स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी: कोयले से मीथेनोल संयंत्र की योजना

बनाई गई है।

ङसौर पहल

च. सभी क्षेत्रों में इको-पार्क

छ. सरफेस माइनर्स, बेल्ट कन्वेयर्स, रेलवे साइडिंग्स इत्यादि का अधिक

उपयोग

ज. आय सृजन के साथ पारिस्थतिकी पुनरुद्धार

झ. व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण

7.11संक्षिप्त जानकारी दिए जाने के दौरान कॉर्बन कैप्चर के मामले में

बेहतर प्रौद्योगिकी और बेहतर प्रबंधन का उपयोग किए जाने के संबंध में

भी पूछे जाने पर सीसीएल का उत्तर निम्नलिखित था:

“कार्बन कैप्चर शब्द के बारे में हम क्या समझते हैं और इसके बारे में जो आम धारणा है, वह कॉर्बन कैप्चर की तकनीक से भिन्न है। यहतथ्य है। कोयला जलता है तो उससे कॉर्बनडाईऑक्साइड बनती है। यदिइस कॉर्बन को एकत्र कर लिया जाए तो इससे वैश्विक तापन को नियंत्रितकरने में सहायता मिलती है। ऐसा एक-दो देशों में किया गया है।उदाहरण के लिए कनाडा के एक विद्युत संयंत्र में उत्सर्जनों से कॉर्बन कीमात्रा को कैप्चर करके उसका भंडारण करके इस प्रौद्योगिकी का उपयोगकिया जाता है।"

7.12 लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं 4374 जिसमें झरिया और धनबाद क्षेत्र में प्रदूषण होनेतथाझारखंड के कोयलाउत्पादक क्षेत्रों में श्वसन और स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याओंके बारे में औरयह भी पूछा गया था किसरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में से प्रदूषण स्तर को किस प्रकार से कम किएजाने का प्रस्ताव है,के उत्तर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मेंराज्य मंत्री ने 20.03.2020 को निम्नलिखित जवाब दिया:

'सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत परिवेशी वायु गुणवत्ता के आधार पर धनबाद सहित 102 अवमानक वायु गुणवत्ता वाले शहरों को अभिज्ञात किया गया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) ने धनबाद में वायु गुणवत्ता में सुधारकरने के लिए विशिष्ट कार्य योजना तैयार की है और प्रदूषण के स्रोतों को अभिज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर के माध्यम से एक अध्ययन भी करा रहा है। इसके अतिरिक्त, एनसीएपी के तहत धनबाद शहर को विभिन्न घटकों के लिए 10,00,00,000 रूपये की धनराशि आबंटित की गई जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सतत परिवेशी वायु गणवत्ता निगरानी स्टेशनों (सीएएक्यूएमएस) की संस्थापना और शुरूआत करना, सड़कों के साथ-साथ हरित बफर क्षेत्र सृजित करना, गलियों की मशीनीकृत सफाई, वाटर स्प्रिंक्लर, चल प्रवर्तन इकाई, जनजागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यकलाप आदि शामिल हैं।'

<u>घ. थोरियम आधारित विद्युत संयंत्र</u>

7.13 देश में थोरियम के विशाल भंडार हैं। समिति ने साक्ष्य के दौरानपूछा कि क्या सरकार का भविष्य में थोरियम आधारित विद्युत संयंत्रपरियोजनाओं को शुरु करने का कोई प्रस्ताव है। कोयला मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि उनके पास थोरियम आधारित विद्युत संयंत्रोंके बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि, सूचना प्राप्त करने के लिएपरमाणु ऊर्जा विभाग के पास एक शासकीय ज्ञापन भेजा गया है।परमाणु ऊर्जा विभाग से प्राप्त होते ही उसे समिति को भेजा जाएगा।तत्पश्चात्, न तो कोयला मंत्रालयऔर न ही परमाणु ऊर्जा विभाग से इसमुद्दे पर कोई उत्तर प्राप्त हुआ है।

ड. <u>स्लरी प्रबंधन</u>

7.14 समिति स्लरी की कारगर ढंग से रिकवरी जैसा कि कुछेक विकिसतदेशों में की जाती है, हेतु सीसीएल द्वारा किए गए उपायों के बारे मेंजानना चाहती थी। कंपनी ने बताया किफिल्टर प्रेस, फ्लोटेशन सेल बैंक और टेटर बेड सेपरेटर युक्त फाइन कोल सर्किट जैसी आधुनिक

तकनीकों द्वारा प्रभावी स्लरी रिकवरी की योजना बनाई गई है क्योंकि इन आधुनिक फाइन कोल रिकवरी सर्किटो के माध्यम से रिकवरित फाइन परिष्कृत कोकिंग कोल को अंत में मुख्य सर्किट के द्वारा उत्पादित धुले कोकिंग कोयले के साथ मिश्रित किया जाएगा।इन आधुनिक फाइन कोल सर्किटों की प्रभावकारिता का आकलनकरने के बाद इन प्रौद्योगिकियों को अन्य भावी कोकिंग कोल वॉशरीज मेंअपनाया जा सकता है।

7.15 समाचार रिपोर्ट्स जिनमें झारखंड में धोवनशालाओं से निकलनेवाले पानी को नदी में डाला गया था, जिसके कारण पानी प्रदूषित होरहा था पर टिप्पणियों करने के लिए कहे जाने पर सीसीएल के सीएमडीने दिनांक 13.11.2019 को साक्ष्य के दौरान स्पष्ट किया कि :

"मुझे नहीं लगता कि विगत दो वर्षों में ऐसा कोई समाचार आया है। सामान्यत: बरसात के मौसम में कभी-कभी भारी बरसात के कारण कुछ स्थानों पर स्लरी के तालाब बन गए थे जो पानी बहाव की सीमित क्षमता के साथ निर्मित होते हैं।"

7.16 जब यह पूछा गया कि सीसीएल स्लरी पोंड में सक्शन टेक्नोलॉजीका उपयोग क्यों नहीं कर रहा है जो कि वैक्यूम से युक्त बहुत सरल टेक्नोलॉजी है और दूसरेदेशों में जो बहुत सामान्य रुप से प्रचलित हैं,तो सीसीएल के सीएमडी ने साक्ष्य के दौरान बताया:

"हम इस पर काम करेंगे, हम ऐसा करेंगे।

<u>च. रिजेक्ट्स की रिसाइक्लिंग</u>

7.17 समिति को बताया गया है कि 'रिजेक्ट्स' और 'एशेज' वॉशरियों में निर्मित होते है और रिजेक्ट्सकीअबई-नीलामी के माध्यम से ईंट व्यापार में लगे छोटे-छोटे स्थानीय व्यवसायों के लिए किसी भी लिंकेज नीति के अभाव में ई-नीलामी की जाती है। समिति यह जानना चाहेगी किएक महीने में 'रिजेक्ट' और 'एशेज' के कितने टन सीसीएल द्वारा उत्पादन किये जाते हैं और इनमें से कितने ई-नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से सीसीएल दवारा बेचे जाते हैं, तो कंपनी ने लिखितउत्तर में बताया कि :

"वर्ष 2018-19 में सीसीएल के वॉशरियों ने 0.3 लाख टन 'रिजेक्ट' और 0.28 लाख टन 'स्लरी' का उत्पादन किया। कोयला वाशरी से राख का उत्पादन नहीं किया जाता है। वर्ष 2018-19 में ई-नीलामी द्वारा कंपनी ने 5.97 लाख टन 'रिजेक्ट और 2.8 लाख टन 'स्लरी' का विक्रय किया ।"

7.18 वाशरीयों द्वारा उत्पन्न की गई 'रिजेक्ट' तथा 'एशेज' के उत्पादक उपयोग हेतु उदयोगों से संपर्क,खासकर निर्माण उद्योगों से सम्बन्धित सीसीएल द्वारा उठाये गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर कंपनी नेनिम्नवत बताया :

"सीआईएल के दिशानिर्देशानुसार, सीसीएल ई-नीलामी के माध्यम से वाशरी रिजेक्ट का विक्रय करता है, जिसमें कोई भी उद्योग भाग ले सकता है और सीसीएल से रिजेक्ट्स खरीद सकता है। पूर्व में सड़क मार्ग के द्वारा रिजेक्ट्स के विक्रय किये जाते थे। हालांकि, पिछले दो वर्षों से रेल के माध्यम से भी रिजेक्ट्स विक्रय किए जा रहे हैं ताकि दूर के स्थानों पर स्थित उद्योग / उपयोगकर्ता सीसीएल से ऐसे रिजेक्ट्स खरीद सकें। प्रचलित नीति के अनुसार वर्तमान मेंरिजेक्ट्स के लिंकेजिज नहीं दिए जा रहे हैं।"

7.19 ब्रीफिंग के दौरान सीसीएल से यह पूछा गया कि क्या ईंटोंकोबनाने में 'एशेज' का उपयोग किया जा सकता है, तो सीसीएल केसीएमडी ने निम्नवत् बतायाः

"पावर प्लांटस में जो फ्लाई ऐश और वैट ऐश होते हैं, यह भारत सरकार द्वारा की गई एक अन्य अच्छी पहल है कि जो भी फ्लाई ऐश होते हैं, उससे हम ब्रिक्स बनाते हैं। बहुत जगहों पर तो इसे कम्प्लसरी कर दिया गया है। मिट्टी से जो ब्रिक्स बनते थे, आज की तारीख में काफी हद तक बंद है और अंततः उसको बंद करना है। इससे भी हमें सहायता मिलेगी।"

अध्याय-आठ

पुनर्वास, पुनर्स्थापन और क्षतिपूर्ति मुद्दे

(क) पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2012

8.1 सीसीएल द्वारा समिति को दी गई जानकारी के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड की "पुनर्वास औ रपुनर्स्थापन नीति 2012" को उदार बनाया गया है , जो कि सीसीएल सहित सभी सीआईएल की सहायक कंपनियों के लिए है , जो सी एम डीज की मीटिंग 5.3.2012 को आयोजित बैठक में कोयला मंत्रालय के 1.7.2011 में गठित अंतर-मंत्रालयी समिति के विचार-विमर्श परआधारित है, जिसे 12 और 13 मार्च, 2012 को आयोजित सीआईएल बोर्ड की 279 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया । 2012 की उक्त नीति को कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है।इसके अलावा यह सूचित किया गया है कि भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार और पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर) विभिन्न राज्य सरकारों को उक्त नियमों के तहत सक्षम बनाया गया है|आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधान के तहत कोल इंडिया लिमिटेड 2012 की आर एवं आर नीति को प्रभावित करती है। आरएफसीटीएलएआरआर (कठिनाइयों को हटाने) आदेश, 2015 के अनुसार, मुआवजा, आर एवं आर के लाभ और सी बी ए (ए एवं डी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित की गई काश्तकारी भूमि की आधारभूत संरचना के सुविधाओं के मुद्दे को हल किया। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की अनुसूची एक,दोऔरतीनके प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाना है|कोयला मंत्रालय ने सी बी ए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए उक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के बारे में भी उपयुक्त स्पष्टीकरण दिया गया है। सी आई एल और उसकी सहायक कंपनियों को कानून के मौजूदा प्रावधानों सहित संबंधित राज्य सरकारों की नीतियों का पालन करना आवश्यक है , यदि कोईहो ।"

8.2 सीसीएल द्वारा यह सूचित किया गया है कि सीसीएल की अपनी कोई भू -अधिग्रहण नीति नहीं है।सीसीएल में समस्त अधिग्रहण भू- अधिग्रहण अधिनियम या सी बी ए (ए&डी)अधिनियम,1957के तहत किया गया है।

8.3. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (2018-19) में यह दर्शाया गया है कि भू- अधिग्रहण अधिनियम की विभिन्नधाराओं के तहत कंपनी द्वारा लगभग 1326.18 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। मुआवजे की कुलदेय और अब तक भुगतान की गई राशि के बारे में पूछे जाने पर सीसीएल में प्रारंभिक चरण में निम्नवतबताया:-

"जैसे ही, भूमि प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाती है, भूमि मुआवजे की राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारानियमानुसार लागू दरों पर अनुमोदित कर संबंधित व्यक्तियों को वितरित कर दी जाती है।"

8.4 तथापि, सीसीएल और कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य के दौरान सीसीएल और मंत्रालय नेसमिति द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत की। सीसीएल द्वारा अधिग्रहित 1326 एकड़ भूमि में कंपनी द्वारा यथासूचित प्रभावित लोगों को दिए जाने वाले मुआवजे की दर ,परियोजना के कारण प्रभावित लोगों की संख्या,मुआवजे की धनराशि का निर्धारण करने में अपनाए गए मानदंडों ,मुआवजे के संवितरण में देरी, यदि कोईहुई हो, का विवरण नीचे दिया गया है:-

(एक) मुआवजे की दर

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम,2013 की उपयुक्तता के परिणाम स्वरूप, दिनांक 01/09/2015 से सीबीए(ए एंड डी) अधिनियम के अंतर्गत समस्त अधिग्रहण हेतु भूमि मुआवजा को प्रथम अनुसूचीके रूप में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में जमा करना होगा भूमि मुआवजा के बाजार मूल्यनिर्धारण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर होंगे । अभी तक भूमि मुआवजा का बाजार मूल्य झारखंडके कई जिलों में प्रतीक्षित है।

हालांकि, दिनांक 01/09/2015 से पूर्व ही मुआवजे का निर्धारण सी बी ए (ए एंड डी) अधिनियम 1957 केअंतर्गत कर दिया गया था। दिनांक 02/02 2013 को आयोजित सीसीएल की 393 वें बैठक में सीसीएलद्वारा पीड़ित परिवारों को 9,02,900 रु.प्रति एकड़ की एक समान दर से ,भू मुआवजे का भुगतान किया जा रहाहै।

(दो) प्रभावित लोगों की संख्या और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार लोगों की संख्या

जिला पदाधिकारियों द्वारा 1326.18 एकड़ भूमि का अभिप्रमाणीकरण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसप्रकार 132.18 एकड़ भूमि की क्षतिपूर्ति के विरुद्ध में, मुआवजा पाने के सभी हकदार परियोजना प्रभावितव्यक्तियों (पीएपी) का निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। भूमि मुआवजा की राशि को संबंधित राज्यप्राधिकरणों द्वारा भूमि के प्रमाणीकरण के अधीन अनुमोदित किया जाता है तथा भूमि प्रमाणीकरण प्रक्रियाधीन है। जैसे ही भूमि प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी भूमि मुआवजे की पुरस्कार को सक्षमप्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर इच्छुक व्यक्तियों को वितरित कर दिया जाएगा।

(तीन) क्षतिपूर्ति में विलंब

भू-मुआवजे की राशि को संबंधित राज्य प्राधिकरणों द्वारा 1326.18 एकड़ भूमि के प्रमाणीकरण के अधीनअनुमोदित किया जाता है तथा भू - प्रमाणीकरण प्रक्रियाधीन है। इसलिए मुआवजे के वितरण में विलंब काकोई सवाल नहीं है।

(चार) क्षतिपूर्ति की राशि के निर्धारण हेतुमानदंड

सी बी ए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत सीसीएल द्वारा अधिग्रहित भूमि पर जिन लोगों ने मकान/असैन्य ढांचे निर्माण किए हैं उन्हें उन मकानों /सिविल ढांचे का योग्य मूल्य झारखंड के नए अनुसूची जे एचएस ओ आर 2018से मूल्यह्रास पर विचार करने के पश्चात 1.66 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भुगतान कियाजा रहा है।

इसके अलावा, प्रत्येक पीएएफ (परियोजना प्रभावित परिवार) को ₹3,00,000/- या 0.05 एकड़ जमीनपुनर्वासन और पुनर्स्थापन हेतु प्रदान की जाती है।

8.5. जब यह पूछा गया कि सीसीएल द्वारा अधिग्रहित 1326.18 एकड़ भूमि के विषय में विभिन्न न्यायालयों मेंकितने मामले न्यायाधीन हैं , तो कंपनी ने निम्नवत बताया:

'अधिग्रहण अभी भी प्रक्रियाधीन है, उपलब्ध अभिलेख के अनुसार सीसीएल और पीएपी के बीच कोई भीमामला किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।'

(ख) प्रभावित परिवारों को रोजगार का प्रावधान

8.6 जब प्रभावित परिवारों को रोजगार प्रदान करने के प्रावधान के संबंध में विस्तारपूर्वक बताने के लिएकहा गया ,तो सीसीएल में लिखित उत्तर में निम्नवत स्पष्ट किया :-

“सीसीएल ने 2018-19 से पूर्व अधिग्रहित भूमि के विरुद्ध 2018-19 में 100 लोगों को रोजगार प्रदान किया है। आगे यह स्पष्ट किया गया की 100 लोगों को प्रदत्त रोजगार 1326.18 एकड़ भूमि के बदले नहीं था (जो अभी भी प्रक्रियाधीन है), यदि परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए भूमि 02 एकड़ से कम है, तो उनके पास सीआईएल की पुनर्वास नीति, 2012 के तहत एक विकल्प है कि वे सीसीएल में रोजगार का दावा करने केलिए पैकेज डील के तहत 02 एकड़ भूमि को पूरा करने के लिए अपनी भूमि को क्लब करें। इस प्रकार, 02 एकड़ से कम भूमि होने पर किसी को भी रोजगार से वंचित नहीं किया जाता है। सीबीए(ए&डी) अधिनियम, 1957 के तहत ग्रामीणों की भागीदारी के साथ सार्वजनिक सुनवाई के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सुनवाई भू-अधिग्रहण के सम्बंधित जनता से आपत्ति आमंत्रित करने एवं संबंधित ग्राम सभा से वन्य स्वीकृति प्राप्त करने हेतु की जाती है। यह सार्वजानिक सुनवाई भू-अधिग्रहण के मद में रोजगार देने हेतु नहीं जाती है।”

8.7. भूमि अधिग्रहण करने में सीसीएल संबंधित राज्य सरकारों के साथ कैसे समन्वय स्थापित करता है औरक्षतिपूर्ति के भुगतान में राज्य सरकार की क्या भूमिका है ,तो कंपनी ने लिखित उत्तर में निम्नलिखितजानकारी दी :-

“सीसीएल में भू-अधिग्रहण तथा कब्जे के लिए राजस्व एवं भूमि अधिग्रहण विभाग उपलब्ध हैं । भू-अधिग्रहण हेतु यह विभाग संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ काम करता है। राज्य सरकार उन व्यक्तियों का विवरण प्रदान करती है, जिन्हें नाम पर अधिग्रहित भूमि मिली है, जो उचित इच्छुक व्यक्तियों को मुआवजे / आर&आर के अंतर्गत भुगतान के लिए सीसीएल को सुविधा प्राप्त होती है। इसके आलावा, दिनांक 01/09/2015 से आरएफसीटीएलएआरआरअधिनियम, 2013 की उपयुक्तता के परिणामस्वरूप कलेक्टर को अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण और अधिसूचना के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में घोषित किया गया है जो भुगतान किए जाने वाले मुआवजे का आकलन करने के लिए एक प्रमुख घटक है।

8.8. जब 2 एकड़ से कम भूमि वाले प्रभावित लोगों को मुआवजा देने में सीसीएल द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाको स्पष्ट करने के लिए कहा गया, तो कोयला मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित रुप से स्पष्टकिया:-

"सीआईएल की आरआर नीति के अनुसारसीआईएल को सहायक कंपनियां अपनी भूमि को दो एकड़ की सीमा में क्लब करने के लिए दो एकड़ से कम भूमि वाले भू मालिकों को एक विकल्प दे सकती हैं और समूह में से एक भू -स्वामी को पैकेज डील के तहत रोजगार के लिए स्वयं या अपने आश्रित को नामांकित कर सकते हैं या रोजगार की कुल संख्या के बराबर कट ऑफ के अधीन भूमि के अवरोही क्रम में पात्र भूमि विस्थापितों की सूची तैयार करके अवरोही व्यवस्था प्रणाली के तहत रोजगार दिया जाएगा ।

सभी भू-विस्थापित जो उपरोक्त के अनुसार रोजगार के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें न्यूनतम आनुपातिक आधार पर प्रति एकड़ भूमि के लिए 5,00,000 / - (पांच लाख) की दर से रोजगार के एवज में मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगें। बशर्ते न्यूनतम रु 50,000 / - (पचास हजार) प्रदान करनेकेपश्चात किसी अन्य व्यक्ति कोरोजगार इस प्रकार लिए उपलब्ध नहीं होगा और रोजगार की कुल स्वीकृत संख्या से लैप्स कर जाएगी।

भू-विस्थापित के पास या तो रोजगार का विकल्प चुनने के लिए या रोजगार को छोड़कर और आनुपातिक आधार पर मौद्रिक मुआवजे का विकल्प चुनने का विकल्प होगा।"

(ग) उन लोगों / परिवारों का ब्यौरा जिन्हें मुआवजा प्रदान किया गया है

8.9 जब निम्नलिखित के संबंध मेंब्यौरा देने के लिए कहा गया तो कोयला मंत्रालय ने यह ब्यौरा दिया:-

(i)मुआवजा दिए गए व्यक्तियों/ परिवारों की कुल संख्या

(ii) 2 एकड़ या उससे अधिक की भूमि के स्वामित्व वाले व्यक्तियों /परिवारों को दिए गए मुआवजे कीसंख्या

(iii) उन व्यक्तियों /परिवारों की संख्या जिनके पास 2 एकड़ से कम भूमि का स्वामित्व था उन्हें मुआवजादिया गया।

क्रम सं.	**वित्तीय वर्ष**	**2017-18**		**2018-19**		**2019-20(29 फरवरी,2020 तक)**	
		व्यक्तियों की संख्या	**दी गई मुआवजा राशि(करोड़ रु में)**	**व्यक्तियों की संख्या**	**दी गई मुआवजा राशि(करोड़ रु में)**	**व्यक्तियों की संख्या**	**दी गई मुआवजा राशि(करोड़ रु में)**
(i)	कुल व्यक्तियों/परिवारों को दिये गए मुआवजे	1933	6.7	1282	6.77	422	2.95
(ii)	दो एकड़ या उससे अधिक की भूमि के स्वामित्व वाले व्यक्तियों/परिवारों को दिये गए मुआवजे	1267	4.58	888	5.08	231	1.71
(iii)	ऐसे व्यक्तियों/परिवारों को जो दो एकड़ से कम जमीन के मालिक थे, को दिये गए मुआवजे	666	1.49	394	1.69	191	1.24

अध्याय-नौ

सतर्कता पहलें

(क) सतर्कता विभाग की भूमिका

9.1 समिति को एक लिखित टिप्पणी में बताया गया कि सीवीसी की सतर्कता नियमावली के अनुसार,सीसीएल सतर्कता विभाग की तीन अलग भूमिकाएं हैं:

(एक) दंडात्मक सतर्कता

शिकायतों के आधार पर,सूत्रों से प्राप्त जानकारी या किसी भी मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच की जाती है और सतर्कता के दृष्टिकोण से देखा जाता है। कंपनी द्वारा निर्धारित नियमों में यदि किसी प्रकार कीअनियमितता या विचलन का मामला दृष्टिगत होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2019 के दौरान, 22अधिकारियों और 12 कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

(दो) निवारणात्मक सतर्कता

जांच के परिणाम स्वरुप, यदि कोई प्रणालीगत विफलता दृष्टिगत होती है, तो प्रणाली में सुधार के उपाय किए जाते हैं। वर्ष 2019 के दौरान विभिन्न मानक संचालन प्रक्रिया के अलावा, आठ प्रणालीगत सुधार किए गए|

(तीन) निगरानी एवं पहचान

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर या आवधिक औचक जांच की जाती है । कभी-कभी संयुक्त औचक जांच में सीबीआई का सहयोग लिया जाता है। वर्ष 2019 के दौरान दस औचक जांच की गई।

(ख) सतर्कता संरचना और कार्यात्मक ढांचा

9.2 जहां तक सीसीएल में सतर्कता संरचना का संबंध है ,समिति को बताया गया है कि सीसीएल में सतर्कता विभाग की अध्यक्षता पूर्णकालिक सीवीओ द्वारा की जाती है। वर्तमान में सतर्कता विभाग में 21अधिकारी और 21 गैर -कार्यकारी अधिकारी हैं । सतर्कता विभाग में काम करने वाले अधिकारियों कोसीसीएल के विभिन्न विभागों से चुना जाता है।

कंपनी विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों जैसे निम्नलिखित में कार्य करती है:

- सीवीसी के सीटीई निरीक्षण की तर्ज पर अनुबंधों की गहन जांच करने के लिए जांच अधिकारियों का एककोर समूह बनाया गया है।
- उपरोक्त के अलावा विजिलेंस विभाग द्वारा कुछ अधिकारियों के संपत्ति रिटर्न की स्क्रूटिनी भी की जाती है।
- महाप्रबंधक (सतर्कता) की अध्यक्षता में वरिष्ठ सतर्कता अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है। इससाधिकार प्राप्त समिति को विभिन्न क्षेत्रों में पदाधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों की जांच करने और सिफारिशकरने का अधिकार दिया गया है जिन्हें शिकायतों की जांच और रिपोर्ट के लिए चिह्नित किया गया था।

विसलब्लोअर नीति और आचार संहिता

9.3 सीसीएल ने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठन के भीतर एक निष्पक्ष , नैतिक औरपारदर्शी शासन व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए सीसीएल में निम्नलिखित तंत्र नियोजित किए गए हैं:

(क) विसलब्लोअर नीति : सीआईएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों की विसलब्लोअर नीति 12.08.2011को आयोजित निदेशक मंडल, सीआईएल की 272वीं बैठक में अनुमोदित की गई थी। यह नीति कर्मचारियोंको कंपनी की आचार संहिता के विरुद्ध, वास्तविक या संदिग्ध अनैतिक व्यवहार धोखाधड़ी या उल्लंघन केमामलों को प्रबंधन के सामने लाने का अवसर प्रदान करती है।

(ख) आचार संहिता : सीसीएल के समस्त सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता एवंनैतिकता, दिनांक 02.07. 2008 को आयोजित निदेशक मंडल, सीसीएल की 348 वीं बैठक में अनुमोदित कीगई थी। इस संहिता का उद्देश्य कंपनी मामलों के प्रबंधन में नैतिक निर्णय लेना और पारदर्शिता में वृद्धि

करना है ।

आचार संहिता बोर्ड के सदस्यों और सीसीएल के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए निम्नलिखित तीन दिशानिर्देश तयकरती है:

1. भाग एक सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं

2.भाग दो विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व

3. भाग तीन बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

आचार संहिता की पुष्टिप्रत्येक वर्ष कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन से की जाती है।

(ग) गई कार्रवाई रिपोर्ट: प्रत्येक बैठक में सीसीएल बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्टआगामी बोर्ड बैठक में रखी जाती है।

(घ) आंतरिक अंकेक्षण विभाग: कंपनी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आंतरिकअंकेक्षण विभाग है। यह विभाग डाटा एवं व्यवसायिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण और आकलन के आधारपर जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता के मूल्यांकन और सुधार के लिएव्यवस्थित और अनुशासित संचालन सुनिश्चित करता है। आंतरिक अंकेक्षण विभाग कृत कार्य से बोर्ड कोसमय-समय पर अवगत कराता है।

(ड.) कंपनी के अंकेक्षकगण

(क) सांविधिक अंकेक्षकगण :प्रत्येक वर्ष कंपनी के सांविधिक अंकेक्षकगण की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) द्वारा की जाती है, जो कंपनी अधिनियम लेखा मानक एवं अन्य शासी अधिनियमों/ नियमों के अनुसार

अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट और तिमाही समीक्षा रिपोर्ट में कंपनी की वस्तुस्थिति के विषय में सत्य और निष्पक्षदृष्टिकोण प्रदान करते हैं ।

(ख) कैग अंकेक्षक: यह एक स्वतंत्र अंकेक्षक है जो संगठन की प्राप्तियों और व्यय का अंकेक्षण करता है।

(च) आंतरिक अंकेक्षकगण /प्रणाली अंकेक्षकगण

पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के उपरोक्त संस्थागत उपाय के अलावा मानक संचालन प्रविधि (एसओ पी) विकल्पित की गई है ।कंपनी की सभी मुख्य प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु सीसीएल के 27 विभागों में कुल 40 मानक संचालनप्रविधि का निर्माण किया गया है। सभी मानक संचालन प्रविधियों में प्रत्येक स्तर पर व्यक्तिगत जवाबदेहीस्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है ताकि अधिकारियों के कार्य एवं जवाबदेही के संबंध में किसी भी अस्पष्टताको दूर किया जा सके। सभी मानक संचालन प्रविधियों को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है । विभिन्न

कार्यकलाप हेतु मानक संचालन प्रविधि की सहायता से जवाबदेही तय करने के परिणामस्वरुप सतर्कताविभाग को अनियमितता के मामलों के त्वरित निपटान में सहायता प्राप्त हो रही है।

एस ओ पी का क्षेत्र में कार्यान्वयन किया जा रहा है ।संबंधित एचओडी एवं क्षेत्र के महाप्रबंधक द्वारा इनएसओपी की स्थिति की समीक्षा एवं कार्यान्वयन किया जाता है ।

घ. सतर्कता विभाग का कार्यनिष्पादन

9.4 वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 में दी गई जानकारी के अनुसार कुल प्राप्त शिकायतें, इन पर की गई कार्रवाई,नियमित जांच (आर आई) के तहत मामलों की संख्या, अनुशासनात्मक कार्रवाई (आरडीए) हेतु लिए गएमामलों की संख्या, आरंभ की गई विभागीय जांच, निम्नवत है :-

(1) कुल प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई

शिकायतें	**वर्ष 2018-19**
01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	405
बेनामी / छद्मनामी / दायर मामलों की संख्या	92
अवधि में 1अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की परीक्षण/ सत्यापन हेतु लिए गए शिकायतों की संख्या	175
विभागाध्यक्ष / महाप्रबंधक को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित शिकायतों की संख्या	138

(2)नियमित परीक्षण के मामले (नि.परि. मामले)

परीक्षण के मामले	**वर्ष 2018-19**
1 अप्रैल, 2018 तक लंबित मामले	14
1अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2019 तक परीक्षण हेतु लिए गए मामले	06
1 अप्रैल,2018 से 31 मार्च 2019 तक परीक्षण पूर्ण मामलों की संख्या	17
31 मार्च, 2019 तक लंबित मामले	03

(3) अनुशासनात्मक कार्रवाई (आरडीए मामले) हेतु मामलों की संख्या

अनुशासनात्मक कार्रवाई (आरडीए) केमामलों की संख्या	**वर्ष 2018-19**	
	मामले	**व्यक्तियों की संख्या**
बड़े	15	40
छोटे	03	08

(4) विभागीय जांच

पूर्ण की गई विभागीय जांच की संख्या	**वर्ष 2018-19**	
	मामले	**व्यक्तियों की संख्या**
	20	28

(5) उन मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगायागया

उन मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया	**वर्ष 2018-19**	
	मामले	**व्यक्तियों की संख्या**
बड़े	18	32
छोटे	13	21

9.5 सीसीएल में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के मामलों में विगत 5 वर्षों के दौरानउन कर्मचारियों जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, की संख्या के ब्योरे के संबंध में पूछे जाने पर कंपनी नेसमिति को निम्न लिखित सूचना दी:-

	अधिकारी		गैर-अधिकारी
	बड़े	छोटे	
2015	18	19	4
2016	06	15	3
2017	07	32	5
2018	21	25	6
2019	11	11	12
कुल	63	102	30

(ड.) शिकायत निवारण प्रणाली- समाधान केंद्र

9.6 समिति को बताया गया कि सतर्कता प्रणाली के अलावा सी सी एल में कर्मचारियों एवं हितधारकों की शिकायतों को दूर करने हेतु, 'समाधन केंद्र' व्यवस्था है। यह पूछे जाने पर कि समाधान केंद्र कैसे कार्य करता है, समिति ने बताया: " समाधानकेंद्र में प्राप्त शिकायत को समाधान रजिस्टर में लिखा जाता है

जिसमे क्रम संख्या, तिथि के साथ शिकायत की रसीद दी जाती है तथा शिकायत के स्वरूप को देखते हुए समाधान की संभावित तिथि भी दर्शाई जाती है। सर्वप्रथम सभी शिकायतों को सतर्कता विभाग को जांच हेतु भेजा जाता है। सतर्कता विभाग से शिकायत वापस आने पर, संबंधित विभाग को पत्र भेजा जाता है जिसमें उनकी टिप्पणी मांगी जाती है और अनुरोध किया जाता है कि उल्लिखित तिथि तकशिकायत का निवारण किया जाए। उत्तर प्राप्त न होने के बाद संबंधित विभाग को फोन और लिखित में स्मरण कराया जाता है, संबंधित विभाग से उत्तर प्राप्त होजाने के बाद इसके बारे में शिकायतकर्ता को लिखित या मोबाईल फोन सेजानकारी दी जाती है। यदि उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मामले को संबंधित विभाग को समीक्षा और उत्तर हेतु पुनःभेजा जाता है। "

9.7 समिति को बताया गया कि सी सी एल मुख्यालय में समाधान केंद्र की स्थापना 27.04.2012 को की गई थी। सी सी एल एकल खिड़की शिकायत निवारण प्रणाली में अग्रणी है। समाधान केंद्र का कार्यनिष्पादन निम्नवत है:

वर्ष	**प्राप्त शिकायतें**	**शिकायतें जिनका निपटान किया गया**	**निवारण प्रतिशत**
2012-13	348	348	100.00%
2013-14	344	336	98.00%
2014-15	306	290	95.00%
2015-16	368	332	90.00%
2016-17	595	310	86.00%
2017-18	262	234	89.00%
2018-19	307	273	89.00%

9.8 सी सी एल ने समिति को लिखित टिप्पण में बताया कि शिकायतकर्ताओं को प्रेरित किया जाता है कि वो शिकायत दर्ज करें ताकि प्रबंधन की विभिन्नप्रक्रियाओं में पारदर्शिता रहे। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत निम्नलिखित तरीकों सेकर सकते हैं:

(एक) समाधान केंद्र (ऑफलाइन: विभाग में प्राप्त पत्र)

(दो) सी सी एल की वेबसाईट (ऑनलाइन: www. centralcoalfield.in)

(तीन) टोल फ्री नंबर (18003456501)

(चार) ई मेल आई डी - samadhancclhq@gmail.com

(पाँच) सीधा संवाद

(छ्ह) व्हाट्सप्प नंबर-7250141999

(सात) CPGRAM ऑनलाइन पोर्टल

अध्याय- दस

सुरक्षा संबंधी मुद्दे

(क) 2014-2020 के दौरान सुरक्षा संबंधी कार्य निष्पादन

10.1 समिति को सौंपे गए अपने पृष्ठ भूमि टिप्पण में बताया गया है कि सी सी एल का एक उद्देश्य सुरक्षा के उच्च मानक स्थापित करना और दुर्घटना रहित कोयला के खनन का प्रयास करना है।

10.2समिति के समक्ष 13 नवंबर, 2019 को उपस्थित हुए सी सी एल के प्रतिनिधियों ने सी सी एल के कार्यकरण के बारे में अपनी पी पी टीमें सुरक्षा कार्य निष्पादन के बारे में बताया:

सुरक्षा मानदंड	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
मृत्य	6	1.00	5	4	10	0
गंभीर रूप से घायल	7	8.00	6	6	16	3
मौत की दर/ एमटी	0.11	0.02	0.07	0.06	0.15	0
गंभीर रूप से घायल की दर/ एम टी	0.13	0.13	0.09	0.09	0.23	0.13
प्रति 3 लाख मैन शिफ्ट मृत्यु दर	0.18	0.03	0.16	0.14	0.38	0.00
प्रति 3 लाख मैन शिफ्ट गंभीर रूप से घायलदर	0.22	0.25	0.20	0.21	0.60	0.23

10.3 खनिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर सीसीएल ने लिखित उत्तर में बताया कि :

'हम अपने कर्मचारियों और मशीनों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील हैं। जोखिम निर्धारणऔर तदनंतर चार चरणीय प्रक्रिया, यथा - आभियांत्रिकीय नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण, प्रतिस्थापन और उन्मूलन के माध्यम से खतरों का शमन कर 'खान सुरक्षा' की प्राप्ति होती है ।

सुरक्षित खान संचालन को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) प्रत्येक कर्मी को व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर प्रदान किए जाते हैं ।

(ii) जल छिड़काव यंत्र की सहायता से धूलि-शमन की व्यवस्था की जाती है ; खानों, हॉल रोड, क्रशरों, रेलवेसाइडिंगों आदि में में मिस्ट टाइप वाटर स्प्रिंकलर और फिक्स्ड टाइप वाटर स्प्रिंकलर का उपयोग कियाजाता है ।

(iii) धूल उत्सर्जन की रोकथाम हेतु खादानों में प्रयुक्त होने वाले समस्त ड्रिलिंग मशीनों में आई ड्रिलिंग कीव्यवस्था की जाती है ।

(iv) नियमित पर्यावरणीय पर्यवेक्षण किया जाता है।

(v) श्रमिकों को खादानों में नियोजित करने से पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(vi) खदानों में कार्य करने वाले कामगार को खदान में नियोजित करने से पूर्व उनका आरंभिक चिकित्सा परीक्षण किया जाता है और प्रत्येक पांच वर्षों के अंतराल पर चिकित्सीय जांच की जाती है।

(vii) चोट लगने पर, कामगार को पिट-कार्यालय में प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है और यदि आवश्यक हो, तोचोट की गंभीरता को देखते हुए उन्हें विभिन्न क्षेत्रीय अस्पतालों या केंद्रीय अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उनके इलाज के संपूर्ण खर्च का वहन कंपनी करती है।

(viii) संघातक दुर्घटना के मामले में, श्रमिक को कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार, 5 लाख रुपये कामुआवजा एवं रोज़गार पीड़ित की निकटतम संबंधी को दिया जाता है।

(ix) शुद्ध पेयजल व्यवस्था खदान के साथ-साथ कॉलनियों में भी उपलब्ध कराई जाती है।

(x) अंधेरे के दौरान कार्य करने के लिए सभी खादानों में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था है।

(xi) समस्त खादानों में कैंटीन, विश्राम-गृह, शौचालय आदि सुविधा प्रदान की गई है।

(xii) प्रत्येक खदान में पिट सेफ्टी समिति होती है, जिसकी बैठक महीने में दो बार श्रमिकों के स्वास्थ्य औरसुरक्षा से सम्बद्ध मुद्दों केसमाधान के लिए आयोजित की जाती है। द्विपक्षीय समिति और त्रिपक्षीय समिति की बैठकों में सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की जाती है।

(xiii) खदानों को ज्यादा सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित अभियान चलाए गए हैं:

- खुली एवं भूमिगत खदानों में मानसून की पूर्व-तैयारी हेतु अभियान
- उत्खनन कर्मशाला में सुरक्षा अभियान
- अग्नि-शमन प्रबंधन एवं एचईएमएमों को अग्नि-शामक यंत्र से युक्त करना।
- समस्त खानों का सुरक्षा लेखांकन
- सब-स्टेशन सुरक्षा अभियान आदि

ख. 2008-2019 तक सुरक्षा पर बजट प्रावधान

10.4 खनिकों हेतु सुरक्षा उपस्कर की खरीद एवं रख- रखाव तथा खान सुरक्षा परअधिकारियों की खान सुरक्षा पर प्रशिक्षण संबंधी बजट प्रावधान के आँकड़े और2008-09 के दौरान इनका उपयोग जैसा कि सी सी एल दवारा दिया गया है,निम्नवत है:

वर्ष	पूंजी			राजस्व	
	बजट	व्यय	उपयोग (%)	बजट	व्यय
2008-09	790	174	22.02	1857	1612
2009-10	919	23	02.50	1686	392
2010-11	723	1177	162.79	2060	304
2011-12	975	550	56.41	1629	1563
2012-13	833	473	56.78	1790	1676
2013-14	1150	161	13.99	2129	469
2014-15	1163	879	75.58	2271	1982
2015-16	1107	530	47.87	1328	1310
2016-17	600	264	43.99	1664	1659
2017-18	1000	534	53.40	1687	1624
2018-19	935	39	04.17	829	786

10.5 यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2008-09 से पूंजीगत और राजस्व लेखों में खान सुरक्षा उपस्कर और अन्य संबंधित व्यय हेतु निधियों में अत्यधिक कम उपयोग क्यों किया गया तो सी सी एल ने बतायाकि :

"1. प्रत्येक वर्ष नए उपस्कर और नई प्रौद्योगिकी की आवश्यकता के अनुसार अग्रिम सुरक्षा बजट तैयार किया जाता है, वर्तमान में 3 डी लेजर स्कैनर, मैन राइडिंग होलेज, एन आई डी कैम्प आदि की खरीद की जा रही है।
2. खरीद हेतु कार्य योजना तैयार की जाती है और इसकी निगरानी की जाती है। यदि उपस्कर जेम पोर्टल पर उपलब्ध है तो इसकी खरीद जेम पोटेल से की जाती है, ऐसा न होने पर खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। सुरक्षा मदों की खरीद हेतु विशेष रूप से एक सामग्री प्रबंधक (मेटेरियल मैनेजर) नियुक्त किया जाता है।"

ग. दुर्घटना के मामलों में क्षतिपूर्ति

10.6सी सी एल के खानों में पिछले 10 वर्षों में दुर्घटनाओं/ घटनाओं की संख्या तथा पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों को दी गई क्षतिपूर्ति की राशि के बारे में सी सी एल नेनिम्नवत बताया:

वर्ष	मौतों की संख्या	कुल क्षतिपूर्ति का भुगतान
2010	9	55.59 लाख र. + पात्र व्यक्ति को नौकरी
2011	6	73.50 लाख र. + पात्र व्यक्ति को नौकरी
2012	6	55.89 लाख र. + पात्र व्यक्ति को नौकरी
2013	9	85.95 लाख र. + पात्र व्यक्ति को नौकरी
2014	5	48.49 लाख र. + पात्र व्यक्ति को नौकरी

2015	2	22.42 लाख र. + पात्र व्यक्ति को नौकरी
2016	4	25.23 लाख र. + पात्र व्यक्ति को नौकरी
2017	6	54.99 लाख र. + पात्र व्यक्ति को नौकरी
2018	8	94.79 लाख र. + पात्र व्यक्ति को नौकरी
2019	2	22.87 लाख र. + पात्र व्यक्ति को नौकरी

10.7 (एक) खान दुर्घटनाओं/ घटनाओं के पीड़ित को क्षतिपूर्ति की नीति(दो) पीड़ितों या उनके परिवारों को देय क्षतिपूर्ति का आँकलन किस प्रकार कियाजाता है तथा(तीन) विषय पर यदि कोई दिशा- निर्देश हैं तो इनके बारे में पूछे जाने पर सी सीएल ने निम्नवतबताया:

‘ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन और जेबीसीसीआई के सदस्यों के बीच समझौते द्वारा शासित होती है। इस समझौते को राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (NCWA) के रूप में जाना जाता है जिसमें कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का अध्याय शामिल है।

मजदूरों को एनसीडब्लूए - X के सामाजिक सुरक्षा अध्याय में निम्नलिखित लाभ दिए गए हैं:

क. इस समझौते के अंतर्गत, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत कर्मचारी स्वीकार्य लाभों के हक़दार होंगे। क्षति-पूर्ति की गणना अधिनियम की धारा 3 के अनुसार की जाती है, जो यह निर्धारित करती है कि यदि दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले दुर्घटना के लिए किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत चोट लगती है उनके रोज़गार के दौरान उनके नियोक्ता अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

ख. इस समझौते द्वारा कर्मचारी के मुआवजा अधिनियम के तहत लाभ, मजदूरी के संशोधन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे।

ग. कर्तव्य वहन के दौरान कर्मचारी किसी दुर्घटना के कारण अक्षम हो जाता है, उसे दुर्घटना की तारीख से पूर्ण मूल वेतन और महंगाई भत्ता तबतक मिलेगा, जब तक कि वह कंपनी के चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिट घोषितनहीं किया जाता है। चोटिल कर्मचारी को कोल कंपनी के चिकित्सा अधिकारी के उपचार में या लाभ के हकदार होने के लिए कोयला कंपनी द्वारा अनुमोदित / रेफ़र अस्पताल में रहना होगा।

घ.मुआवजे का भुगतान दुर्घटना के समय कर्मचारी को मिलने वाले अंतिम वेतन के आधार पर किया जाएगा।

ड. यह आगे सहमति व्यक्त की गई है कि दुर्घटना से कारण अस्थायी अपंगता की अवधि के दौरान कर्मचारियों को किए गए वेतन का भुगतान उस दुर्घट्ना के कारण उत्पन्न किसी भी स्थायी,आंशिक या पूर्ण विकलांगता के लिए देय मुआवज़े की एकमुश्त राशि सेकटौती नहीं की जाएगी।

च. मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे के अलावा रु. 90,000 / - का भुगतान किया जाएगा। यह दिनांक 01.10.2017 से प्रभावी होगा।

छ. संघातक खदान दुर्घटना के मामले में एक कर्मचारी के परिजनों को रु. पांच लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। सीआईएल परिपत्र सं. CIL/C-5B / JBCCI-X/Ex-gratia/504 दिनांक 14.11.2019 के तहत 05 लाख रूपए की राशि को बढाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है।

(घ) सुरक्षा समितियाँ

10.8पृष्ठभूमि टिप्पण में सी सी एल ने बताया कि उन्हें कर्मियों एवं मशीनों की

सुरक्षा की चिंता है और यह कि प्रत्येक खान में 'पिट सुरक्षा समिति' होती है जो

दो माह के अंतराल में बैठक करती है जिसमें विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय समितिबैठकों में सुरक्षा उपायों पर चर्चा होती है।यह बताया गया कि सीसीएल में निम्नलिखित सुरक्षा समितियां अस्तित्व में हैं। (एक) पिट सेफ्टी कमेटी (पीएससी)(दो) त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति(तीन) द्विपक्षीय सुरक्षा समिति

<u>पिट संरक्षासमिति के कार्य:</u>

(क) खान में असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और कार्य प्रणाली के निवारण हेतु उपचारात्मकउपाय करना जैसा कि कर्मकार निरीक्षक की रिपोर्टों में बताया गया है या अन्यथा समिति के ध्यान में लाया गया है और उचित सिफारिशेंकरना |

(ख) खदान के किसी भी नए जिले में संचालन शुरू करने या नई विद्युत या यांत्रिक स्थापना को चालू करने या नई खनन तकनीक की शुरुआत से पहले कार्यप्रणालीसंहिता सहित प्रस्तावित सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों पर विचार करना और उचित सिफारिशें करना ।

(ग) दुर्घटना की जांच की रिपोर्ट पर चर्चा करना और उचित सिफारिशें करना।

(घ) दुर्घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर उचित सुरक्षा अभियान की रूपरेखा

तैयार करना और लागू करना।

(ङ) 30 दिनों में कम से कम एक बार बैठक करना और इसके सामने रखे गए मामले पर विचार करना और किसी भी अन्य मामलों जिन्हें सदस्यों द्वारा उठाया जा सकता है और ऐसी सिफारिशें करना जिन्हें वह उचित समझे।

(च) सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य मामलों पर संवाद के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना।

(दो) त्रिपक्षीय संरक्षा समिति के कार्य:

(क) खानों की दुर्घटनाओं/घटनाओं/खतरनाक घटनाओं, किए गए सुधारात्मक उपायों और कामगारों के बीच सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए कंपनी के आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों, विभिन्न सुरक्षा मुद्दों के संबंध में डीजीएमएस अधिकारियों के सुझावों और उचित सिफारिशें करने पर चर्चा करना ।

(ख) पिछली त्रिपक्षीय बैठक के मिनट्स पर कार्रवाई रिपोर्ट पर विचार करना, ट्रेड यूनियन नेताओं द्वारा उठाए गए सुरक्षा मुद्दों, ग्यारहवीं सुरक्षा सम्मेलन का कार्यान्वयनकरना और उचित सिफारिशें करना|

(तीन) द्विपक्षीय सुरक्षा समिति के कार्य:

क) खानों की दुर्घटनाओं/घटनाओं/खतरनाक घटनाओं, किए गएसुधारात्मक उपायों और कामगारो के बीच सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए कंपनी के आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा किए गए विभिन्नगतिविधियों पर चर्चा करना ।

ख) दुर्घटनाओं/घटनाओं/खतरनाक घटनाओं की जांच रिपोर्ट पर चर्चाकरना और जांच रिपोर्ट की सिफारिश के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।

(ग) सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) और सुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया(एसओपी) पर चर्चा करना और उचित सिफारिशें करना।

(घ) डीजीएमएस उल्लंघनों के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा करने केलिए, कुछ सुविधाओं जैसे पीने के पानी, विश्राम आश्रय, ब्लास्टिंग शेल्टर, कैंटीन, खदान के सामान्य प्रकाश मानक और उचित सिफारिशें करना|

(ङ) खान संचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय

10.9. खानों में कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में कोयला मंत्रालय ने कहाकि खान सुरक्षा के खतरों की पहचान करके और बाद में चार चरण की प्रक्रिया अपनाकरइसके शमन से खान सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, जिसमें इंजीनियरिंग नियंत्रण, प्रशासनिक

नियंत्रण,प्रतिस्थापन और उन्मूलन शामिल है। मंत्रालय ने आगे बताया कि सुरक्षित खदान संचालनसुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(एक) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हर कामगार को प्रदान किए जाते है।

(दो) खदान में वाटर स्प्रिंकलर, धुंध टाइप वाटर स्प्रिंकलर और फिक्स्ड टाइप वाटर स्प्रिंकलर, हॉल रोड, क्रशर, रेलवे साइडिंग आदि की मदद से धूल दमन की व्यवस्था की गई है।

(तीन) धूल के उत्सर्जन को एकत्र करने के लिए खदानों में तैनात सभी ड्रिलिंग मशीनों में गीली ड्रिलिंग की व्यवस्था की गई है।

(चार) नियमित पर्यावरणीय निगरानी की जाती है।

(पाँच) खदानों में तैनात होने से पहले कामगारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

(छह) प्रारंभिक चिकित्सा जांच खानों में कामगारों की तैनाती से पहले कीजाती है और आवधिक चिकित्सा जांच प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार कीजाती है।

(सात) चोट लगने की स्थिति में कर्मकारों को पिट कार्यालय में प्राथमिक

उपचार दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर चोट की गंभीरता के आधार पर उन्हें विभिन्न क्षेत्रीय अस्पतालों या केंद्रीय अस्पताल में भेजा जाता है। उनके इलाज का खर्च कंपनी वहन करती है।

(आठ) जानलेवा दुर्घटना होने पर कर्मकार मुआवजा अधिनियम के अनुसार 15 लाख रुपये अनुग्रह राशि और पीड़ित के परिजनों को रोजगार दिया जाता है।

(नौ) पीने के पानी की व्यवस्था खदान के साथ-साथ कॉलोनियों में भी उपलब्ध कराई जाती है।

(दस) अंधेरे घंटों के दौरान काम करने के लिए सभी खानों में पर्याप्त प्रकाश

व्यवस्था की जाती है।

(ग्यारह) सभी खदानों में कैंटीन, रेस्ट शेल्टर, शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध

कराई गई हैं।

(बारह) हर खदान में पिट सेफ्टी कमेटी होती है, जो कामगारों के स्वास्थ्य और

सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए महीने में कम सेकम एक बार बैठक करती है|द्विपक्षीय समिति और त्रिपक्षीय समिति की बैठकों में सुरक्षा पर चर्चाकी जाती है|

(तेरह) खानों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अभियान चलाए जाते हैं

- ओपनकास्ट और अंडरग्राउंड के लिए मानसून की तैयारी पर अभियान
- उत्खनन कार्यशाला में सुरक्षा अभियान
- अग्निशमन की तैयारी और हेम्स को आग बझाने के साथ सुसज्जित करना।
- सभी खानों का सुरक्षा ऑडिट
- सबस्टेशन सुरक्षा अभियान आदि|

10.10 कोयला खानों में सुरक्षा और संरक्षा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के संबंधमें अतारांकित प्रश्न संख्या 3931 का जवाब देते हुए कोयला खदानों में सुरक्षा और संरक्षा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों, सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में सुरक्षा लेखा परीक्षा, कोयला मीट्रिक टन दर के हिसाबसे हुई चोटों, सुरक्षा मानक आदिके संबंध में कोयला खानों में संरक्षा और सुरक्षा के संबंध में अतारांकित प्रश्न सं0 3931 का उत्तर देते हुए संसदीय कार्यमंत्री, कोयला और खान मंत्री ने दिनांक 18-03-2020 को लोकसभा को सूचित किया ।

खानों में तैनात कार्मिकों की सुरक्षा, कल्याण एवंस्वास्थ्य संबंधी सरोकार केन्द्र सरकार का है (प्रविष्टि 55-संघ सूची-अनुच्छेद 246)। इसके उद्देश्य का विनियमन खान अधिनियम, 1952और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों द्वारा किया जाताहै | श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) खनन क्षेत्र में इस अधिनियम को शासित करता है। कोयला खान सुरक्षा से संबंधित संगत विनियमन/नियम नीचे दिए गए है:

क. खान अधिनियम, 1952

ख. कोयला खान विनियमन, 2017

ग. खान नियमावली, 1955

घ. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमावली, 1966

ड. खान बचाव नियमावली, 1985

साथ ही खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत दिए गए अधिदेश को ध्यान में रखते हुए डीजीएमएस के अधिकारी खानों का सैंपल निरीक्षण करते हैं तथा निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों के आधार पर कानून के अधीन कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, कोयला मंत्रालय ने सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों की कोयला खानोंकी सुरक्षा के संबंध में कोई भी दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है। तथापि, कोयला कंपनियां विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों जैसे विभागीय सुरक्षा पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) प्रायोजित सुरक्षा, होमगार्ड,केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) तथा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) की सेवाएं प्राप्त कर रही हैं।

वर्ष 2019-20 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कपानयोंकी सभी प्रचालनरत खानों की सुरक्षा लेखा-परीक्षा की जा चुकी है।

प्रचालनरत खानों की सुरक्षा लेखा-परीक्षा का विवरण निम्नानुसार है:

1. खानों की सुरक्षा जांच संबंधित सहायक कंपनी की अंतरक्षेत्रीय टीमों के माध्यम से की जातीहै|

2. सभी टीमें बहुविषयक हैं।

3. जांच पद्धति में खानों का निरीक्षण, खान सुरक्षा से संबंधित सभी संगत दस्तावेजों की जांच,सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं (एसएमपी) की जांच तथा पूर्व में कराई गई सुरक्षा जांच की रिपोर्ट शामिल है।

4. इसका उद्देश्य खान सुरक्षा की स्थिति का आकलन करने और इसमें मौजूद कमियों, यदि कोईहो, को चिह्नित करने, खान सुरक्षा के लिए अपनाई और अनुकरण की गई विभिन्न पद्धतियों की समीक्षा करने के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों के बारे में सुझाव देना/सिफारिश करना है जिनमें सुधार किया जा सकता है।

यदि कोई कमी है तो उक्त सुरक्षा जांच के दौरान उसे चिह्नित किया जाता है। कमियां खानविशिष्ट होती हैं और प्रत्येक खान के अनुसार यह अलग-अलग होती हैं। खान-विशिष्ट कमियों को दूर करने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई, जो भी उपयुक्त हो, की जाती है।

10.11 उत्तर में यह भी बताया गया कि :

"देश में कोयला खानों के सुरक्षा मानदंड में सुधार करने हेतु खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(एक) निरीक्षणों के दौरान की गई टिप्पणियों के आधार पर बने कानून के अनुसार

खानों की सैंपल निरीक्षण तथा कार्रवाई की जाती है।

(दो) जांच के निष्कर्षों पर तैयार कानून के अनुसारकानून दुर्घटनाओं, जोखिम घटनाक्रमों आदि की जांच तथा कार्रवाई की जाती है।

(तीन) सुरक्षा कानूनों में संशोधन

(चार) डीजीएमएस को उनके मार्गदर्शन के लिए परिपत्र और तकनीकी निर्देश जारी करते हुए चिन्हितमहत्व वाले क्षेत्रों में सुरक्षित प्रचालनों के लिए दिशा-निर्देश जारी करना।

(पाँच)जोखिम आकलन, तकनीकी लाना एवं सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करना जिसका उद्देश्य जोखिमसमाप्त करना एवं कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

(छह)खानों में असुरक्षित पद्धति से बचने के लिए मानक प्रचालन प्रणाली लागू करना। "

10.12 उपरोक्त के अलावा, कोयला खानों के सुरक्षा मानदंड में सुधार करने हेतु कोयला कंपनियोंद्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. जोखिम आकलन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाएं (एसएमपी) तैयार करना एवं कार्यान्वित करना।

2. ट्रिगर एक्शन रिस्पांस प्लान (टीएआरपी) सहित प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजनाएं (पीएचएमपी)तैयार करना एवं कार्यानवित करना।

3. स्थल विशिष्ट जोखिम आकलन आधारित मानक प्रचालन प्रणाली (एसओपी) को तैयार करनाएवं अनुपालन।

4. खानों की सुरक्षा लेखा परीक्षा करना।

5. विभिन्न सुरक्षा मापदंडों की निगरानी हेतु ऑनलाईन केन्द्रीकृत सुरक्षा निगरानी प्रणाली"सीआईएल सुरक्षा सूचना पद्धति (सीएसआईएस)" विकसितकी गई है|

अध्याय - ग्यारह

सीएसआर पहलें

(क) सीएसआर व्यय

11.1 सीसीएल ने बताया कि उन्होंने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, कौशल विकास,स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं एसडी, खेल आदि कई विषयगत क्षेत्रों में सीएसआर पहल की है। 2014-15 से 2018-19 तक कंपनी का सीएसआर व्यय इस प्रकार था:

वित्तीय वर्ष	टैक्स से पहले लाभ (पीबीटी) (करोड़ रुपयेमें)	सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)	कर के बाद लाभ के % के रूप में सीएसआर व्यय	टैक्स के बाद लाभ (करोड़ रुपयेमें)	टैक्स से पहले लाभ के% के रूप में सीएसआर व्यय
2018-19	2692	41	1.57%	1704	2.4%
2017-18	1344	38	2.8%	790	4.8%
2016-17	2374	30	1.3%	1389	2.2%
2015-16	3119	213	6.8%	1915	11.1%
2014-15	2740	49	1.8%	1771	2.8%

11.2. यह पूछे जाने पर कि क्या सीसीएल में सीएसआर आवंटन की मात्रा सीएसआरदिशानिर्देशों के अनुसार है और क्या सीएसआर पर खर्च नहीं की गई शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष तक आगे बढ़ाया जाता है तो कंपनी ने निम्न जवाब दिया :

"हां, सीसीएल में सीएसआर आवंटन सीसीएल द्वारा अपनाए गए कंपनी अधिनियम/सीआईएल सीएसआर नीति के सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार है । निधि आवंटन से संबंधित खंड संख्या 5 में कहा गया है कि सीआईएल की सहायक कंपनियों के लिए सीएसआर के लिए निधि का आवंटन तीन तात्कालिक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत के आधार पर या पिछले वर्ष के 2.00रुपये प्रति टन कोयला उत्पादन, जोभी अधिक हो,के आधार पर किया जाना चाहिए।"

सीएसआरकी खर्च नहीं की गई शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष में आगे बढ़ाया जाता और2% का सीएसआर आवंटन कैरी फॉरवर्ड बैलेंस के अतिरिक्त है।"

(ख) <u>सीएसआर गतिविधि-वार व्यय</u>

11.3 जब उनसे पिछले 5 वर्षों के सीएसआर गतिविधि- वार व्यय देने के लिए कहा गया, तो कंपनी ने निम्नलिखित बताया :

क्रम सं।	विषयगत क्षेत्र	सीएसआर खर्च-(करोड़ रुपए)				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	बुनियादी सुविधाएं	8.26	2.85	1.18	2.43	
2	शिक्षा	2.89	5.30	1.34	2.56	
3	पीने का पानी	6.90	2.34	1.90	2.15	
4	स्वच्छता	26.36	172.11	7.21	21.93	
5	कौशल देव	0.36	0.56	0.33	0.47	
6	स्वास्थ्य	0.52	0.43	0.59	1.29	
7	पर्यावरण एवं एसडी	2.95	1.60	0.93	1.73	
8	खेल	0.57	27.09	16.23	4.79	
9	अन्य	0.06	0.51	0.58	0.55	
	कुल	**48.87**	**212.79**	**30.29**	**37.90**	

11.4 यह देखा जा सकता है कि कंपनी ने वर्ष 2015- 16 के दौरान सीएसआर निधि का अधिकांश भाग स्वच्छता पर खर्च किया। यह पूछे जाने पर कि क्या ऐसी योजनाओं पर खर्च करना विवेकपूर्ण और वांछनीय नहीं होता जिन पर सरकार का अधिक ध्यान नहीं गया है, कंपनी ने निम्नवत बताया:-

'मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ विद्यालय अभियान शुरू किया जिसका लक्ष्य सभी सरकारी स्कूलों में 1 वर्ष के भीतर बालक और

बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराना था । झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शौचालयों के निर्माण /पुनरुद्धार के लिए एमएचआरडी द्वारा सीसीएल को स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत निर्माण /पुनरुद्धार किए जाने वाले शौचालयों की सूची प्रदान की गई थी।अतः, वित्त वर्ष 2014 -15 और 2015- 16 में सीएसआर व्यय का एक बड़ा भाग स्वच्छता पर खर्च हुआ। सीसीएल के सीएसआर निधियों का उपयोग समय-समय पर जारी मंत्रालय के दिशानिर्देशों /अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक थीम -आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की ओर एक समर्पित तरीके से होता है।

11.5 सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड कार्ययोजना बना सकता है, सीएसआर क्रियाकलापों को चयनित और अंतिम रूप दे सकता है। यह भी सूचित किया गया कि सीएसआर कार्य योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व केंद्र सरकार द्वारा संप्रेषित थीम को ध्यान में रखकर गांव प्रतिनिधियों सहित विभिन्न पणधारकों के साथ ग्राम बैठकें और सामूहिक चर्चाएं आयोजित की जाती हैं ।

11.6 यह पूछे जाने पर कि क्या सीसीएल को लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं और दूरस्थ क्षेत्रों में समाज के पिछड़े वर्गों जहां सरकार का हस्तक्षेप कम है, को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वयं की सीएसआर कार्य योजना नहीं बनानी चाहिए, कंपनी ने निम्नवत उत्तर दिया :

सीसीएल की सीएसआर कार्ययोजना सीसीएल के कमांड क्षेत्रों के भीतर ग्रामीण और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय /गांवों/ परियोजना प्रभावित व्यक्ति/ समाज के पिछड़े वर्गों की स्थानीय आवश्यकताओं के मूल्यांकन के पश्चात बनाई जाती है।

सीसीएल द्वारा पहचान किए गए ऐसे क्रियाकलापों की कार्य योजना के अतिरिक्त कंपनी जिला प्रशासन द्वारा बनाए और कार्यान्वित किए जाने वाले आकांक्षी जिला परिवर्तन कार्यक्रम से संबंधित क्रियाकलापों का सीएसआर वित्तपोषण प्रदान करती है।

यह उल्लेखनीय है कि डीपीई, भारत सरकार के दिनांक 10.12.2018 के कार्यालय ज्ञापन के निर्देशानुसार, सीएसआर का व्यय सरकार (2019-20 के लिए स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा) द्वारा चयनित थीम पर कंपनी के सीएसआर व्यय का 60% होना चाहिए और आकांक्षा जिलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीसीएल 8 जिलों में कार्य कर रही है जो भारत के 112 आकांक्षा जिलों में से हैं। कंपनी द्वारा इन दिशानिर्देशों की अनुपालना को सरकार सांविधिक/ लेखापरीक्षकों द्वारा अनुरक्षित किया जाता है।

अतः लोगों और दूरस्थ क्षेत्रों में समाज के पिछड़े वर्गों की स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है और सरकार के निर्देशों की भी अनुपालना की जाती है।

(ग) अग्रणी और ऐतिहासिक सीएसआर पहलें/ योजनाएं

11.7 अपने कुछ ऐतिहासिक और अग्रणी सीएसआर पहलों के बारे में पूछे जाने पर, कंपनी ने निम्नवत सूचना दी :-

(i) स्पोर्ट्स अकादमी - सीसीएल और राज्य सरकार की पहल /योजनाएं : स्पोर्ट्स अकादमी जो सीसीएल और राज्य सरकार की पहल है ,को 2016 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में मेगा स्पोर्ट्स कांप्लेक्स खेल गांव में 339 लड़के और लड़कियों को 10 खेलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है - एथलेटिक ,ताइक्वांडो, कुश्ती ,फुटबॉल ,तीरंदाजी, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी ,तैराकी और साइकिलिंग। लगभग 94% स्पोर्ट्स कैडेट अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से हैं। स्पोर्ट्स अकादमी में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा और योग्य कोच की व्यवस्था है। खेल अकादमी का दैनिक प्रबंधन अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

चयन प्रक्रिया: 2018 में लगभग 1.89 लाख बच्चों ने चयन प्रकिया में भाग लिया जिसमें से 170 का चयन पारदर्शी तरीके से किया गया। 2019 में, 3.24 लाख बच्चों ने चयन प्रक्रिया में आग लिया। चयन प्रक्रिया में वृहत भागीदारी अकादमी की लोकप्रियता और चयन के पश्चात कैडेटों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण के स्तर को दर्शाती है। खेल अकादमी के कैडेट अब तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में 182 स्वर्ण पदक सहित 405 पदक जीत चुके हैं।

सीसीएल को अनुसूचित जनजातियों के लिए खेल-प्रोत्साहन हेतु महत्वपूर्ण योगदान आर अनुकरणीय सेवाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा एनसीएसटी लीडरशिप अवार्ड-2019 से सम्मानित किया गया। श्री गोपाल सिंह, अ.प्र.नि, सीसीएल द्वारा भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के कर कमलों से पुरस्कार ग्रहण किया गया ।

(ii) सीसीएल के लाल/लाडली:

यह एक प्रमुख सीएसआर कार्यक्रम है जिसका मूल उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को आईआईटी-जेईई और अन्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। संपूर्ण झारखंड के छात्र, विशेषकर सीसीएल कमान क्षेत्र में रहने वाले छात्रों को सीसीएल अधिकारियों द्वारा आईआईटी के लिए नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है । ये सीसीएल अधिकारी स्वयं आईआईटी से पढ़े हैं । बच्चों को कक्षा X और XII की औपचारिक शिक्षा रांची के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से एक डी.ए.वी,गांधीनार में प्रदान की जाती है। उन्हें रांची में नि:शुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2016 में सीसीएल की लाडली योजना शुरू की गयी । यह माननीय प्रधानमंत्री की 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' योजना से प्रेरित है ।

वर्ष 2017 में सीसीएल खनन क्षेत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित लाइव इंटरेक्टिव स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से सीसीएल के लाल एवं लाडली हेतु कोचिंग प्रारंभ की गई। कुल सीटों का संख्या बढ़ाकर 388 कर दी गई| इंटरैक्टिव स्मार्ट क्लास का उद्घाटन माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा सितंबर 2017 में किया था। अब तक 79 छात्र इस योजना के तहत उत्तीर्ण होकर विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश पा चुके हैं।

2018 में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए, बैच 2016-18 के सीसीएल के लाल एवं लाडली के 12 छात्रों ने विगत वर्ष जेईई (मेन) क्वालिफाई किया एवं 3 छात्रों का चयन जेईई (एडवांस्ड) में हुआ।

(iii) आईटीआई,भुरकुंडा : वर्ष 2014 में सीसीएल द्वारा सीएसआर पहल के अंतर्गत भुरकुंडा में आईटीआई की स्थापना की गई थी। यहां इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बैच में 20 सीटें हैं। परियोजना प्रभावित परिवारों के बच्चों का चयन किया जाता है और उन्हें संस्थान परिसर में छात्रावास सुविधा सह नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अब तक 54 छात्रों वाले 3 बैच उत्तीर्ण हो चुके हैं। उनमें से लगभग सभी को नौकरी का प्रस्ताव मिला है।

आईटीआई भुरकुंडा के छात्रों का बैचवार विवरण:

क्रम	सत्र	छात्रों की संख्या
1.	2017-19	20
2.	2018-20	19

(iv) खदान-जल प्रबंधन: सीसीएल के परित्यक्त खदानों से निकट गाँवों को पेयजल की आपूर्ति हेत् झारखंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया हैं। इस प्रयोजन हेतु 25 बिलियन गैलन पानी वाले 88 खदानों की पहचान की गई है। सीसीएल पहले से ही 74 गांवों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति करता है।

(v) बीपीएल अस्पताल, चिकित्सा शिविर, सीएसआर औषधालय: गाँवों में नियमित रूप से मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित की जा रही है। राची में बीपीएल अस्पताल की स्थापना की गई है। विगत पांच वर्षों में लगभग 7 लाख लाभार्थी (कुल 3311 शिविर) लाभान्वित हुए ।

(vi) कायाकल्प पब्लिक स्कूल: सीसीएल द्वारा विशेषतः निर्धनतम परिवारों के बच्चों के लिए बुकरू और ढोरी में अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किया गया है। इन छात्रों को पूर्णतः नि:शुल्क ड्रेस, बैग, मध्याह्न भोजन और परिवहन की सुविधा दी जा रही है। मगध और आम्रपाली क्षेत्र में शीघ्र ही तीसरा कायाकल्प पब्लिक स्कूल खोला जाएगा। सीसीएल हर क्षेत्र में ऐसे स्कूल स्थापित करने की योजना बना रहा है।

11.8 यह पूछे जाने पर कि वर्तमान में 'कायाकल्प' स्कूल योजना के अंतर्गत कितने छात्र पढ़ रहे हैं, सीएम डी , सीसीएल ने 13-11-2019 को साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया :

"वर्तमान में लगभग 35 बच्चे हैं। जिस समस्या का हम अभी सामना कर रहे हैं ,वह यह है कि हम अन्य राज्यों से 700 छात्रों को लाएंगे। यदि हम अन्य राज्यों के छात्रों से उसी कैंपस में

शुल्क लेंगे जहां कुछ छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, तो इससे बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होगी क्योंकि वह अभी अल्पायु में हैं।"

घ. सीएसआर और सामुदायिक विकास

11.9 समिति को यह बताया गया है कि सीसीएल द्वारा किए जाने वाले सीएसआर क्रियाकलाप जनजातीय समाज सहित पूरे समुदाय के लिए हैं और इससे समावेशी और समान सामाजिक विकास हुआ है ।आगे, सीसीएल ने अपने उत्तरों के माध्यम से समिति को यह सूचित किया है कि नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षा जिलों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए सीएसआर गतिविधियों हेतु चिह्नित किया है। सीसीएल झारखंड के 8 जिलों (रांची, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह,पलामू) में कार्यरत हैं, ये सभी जिले भारत के 112 आकांक्षा जिलों(एडी) के अंतर्गत आते हैं। सीसीएल वर्ष 2014-15 से ही इन 8 आकांक्षा जिलों में अपने सामान्य सीएसआर कार्यक्रम के अनुरूप सीएसआर गतिविधियां कर रहा है। वर्ष 2018 में टीएडीपी (आकांक्षा जिला कार्यक्रम) के प्रारंभ के पश्चात, वर्ष 2019 -20 में प्रस्तावित परियोजनाओं /गतिविधियों की योजना निर्धारित कर इन पांच आकांक्षा जिलों (हजारीबाग, चतरा, लातेहार, रांची ,रामगढ़) सहित छह आकांक्षा जिलों में सीसीएल द्वारा वित्त प्रदत योजनाओं को जिलों के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

टीएडीपी योजनाओं जिनका कार्यान्वयन आकांक्षा जिला करेंगे और जिनका वित्तपोषण सीसीएल करेगी,निम्नवत है:-

क्रम सं.	जिला	परियोजनाएं
1	चतरा	1.स्कूलों में पुस्तकालय की स्थापना 2. अर्नेस्ट एवं यंग के साथ साझेदारी में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, अधिगम प्रतिफल एवं शिक्षक क्षमता निर्माण 3. डिजिटल क्लासरूम 4. टेली स्वास्थ्य सेवा केंद्र (टेली मेडिसिन)

2	लातेहार	1. विद्यालयों को 'खेल-खेल में शिक्षण' के केंद्र के रूप में विकसित करना। 2. संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने हेतु प्रसव-पूर्व प्रतीक्षा कक्ष।
3	रामगढ़	1. सौर-ऊर्जा के माध्यम से उप-स्वास्थ्य केंद्रों में उर्जा प्रदान करना 2.150 आंगनबाड़ियों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों में स्तरोन्नत करना
4	हजारीबाग	1. 61 आंगनबाड़ियों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों में स्तरोन्नत करना 2. 16 आवासीय सरकारी विद्यालयों में रोटी मेकर
5	रांची	150 आंगनबाड़ियों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों में स्तरोन्नत करना
6	बोकारो	100 आंगनबाड़ियों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों में स्तरोन्नत करना

11.10 सामुदायिक विकास कार्यकलापों का अधिक ब्यौरा देते हुए सीसीएल ने अपने उत्तर में यह भी इंगित किया कि कंपनी के प्रत्येक क्षेत्र ने अपने कमान क्षेत्रों में 4 गांवों को गोद लिया है, जिससे योजना के अंतर्गत 60 गांव आ गए हैं। सीएसआर क्रियाकलाप (मेडिकल कैंप आयोजित करने के अलावा) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण, कुओं और डीप बोरिंग के माध्यम से पेयजल की सुविधा, स्कूल और अवसंरचना में सहायता, खेल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट आदि आवश्यकता के आधार पर किए जाते हैं । पिछले 3 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2016-19) के दौरान इन गोद लिए गए गांवों में गांव के निवासियों को सीसीएल द्वारा प्रदान किए गए लाभों के कुछ उदाहरण निम्नवत हैं :-

क्र सं.	क्षेत्र का नाम	गांव का नाम	गतिविधि का नाम
1	बड़कासयाल	पोटंगा	1 डीप बोर वेल का निर्माण, ग्रामीणों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण
2	ढोरी	अंगवली	05 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण और 3 सोलर स्ट्रीट लाइट
3	पिपरवार	बेंती	घाट का निर्माण , सबमर्सिबल पंप के साथ दो डीप बोरिंग होल की ड्रिलिंग और स्थापना
		मंगरदाहा	सबमर्सिबल पंप के साथ 1 डीप बोरिंग का निर्माण
4	मगध-अम्रपाली	बिंगलत	1 नलकूप के साथ ब्रोरिंग का निर्माण 1 कुंए का निर्माण, 2 तालाबों का नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण
		होन्हे	एक नलकूप के साथ बोरिंग का निर्माण और एक कुंए का निर्माण और दो तालाबों का सौंदर्यीकरण

(ड.) सीएसआर निधियों का अप्रयुक्त शेष

11.11 लेखापरीक्षक ने अपने सचिवालयीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (फॉर्म संख्या एमआर-3 के साथ संलग्न) 2018-19 में यह पाया कि कंपनी को वर्ष के दौरान , सीएसआर गतिविधियों के लिए 45.78 करोड रुपए खर्च करने की आवश्यकता थी लेकिन वित्तीय वर्ष में 41.14 करोड़ों रुपए का वास्तविक सीएसआर व्यय दर्ज किया गया। 4.04 करोड़ रुपए की कुल राशि सीएसआर गतिविधियों के प्रति, वर्ष के दौरान अव्ययित रही ।

उत्तर में कंपनी ने सीएसआर निधि के अव्ययित होने के कारण इस प्रकार बताए :

(एक) सरकारी एजेंसियों से उपयोग प्रमाण-पत्र ,नियमित अनुनय के बावजूद प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं। यह लेखा बही में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

(दो) सीएसआर प्रोजेक्ट को पहले से मंजूरी मिल गई थी पर जिन्हें किसी एक या अन्य किसी वजह से लागू नहीं किया जा सका है । इसलिए निधि को अव्ययित राशि के रूप में परिलक्षित किया गया है। इनके लिए प्रमुख कारण भूमि समस्या, एनओसी की अनुपलब्धता एवं हितधारकों द्वारा बाधा उत्पन्न किया जाना आदि है।

(3) परियोजनाएं चालू प्रकृति की हैं जिन्हें अगले वित्त वर्ष तक जारी रखने की गुंजाइश है एवं व्यय के आगे के वर्षों बुक होने की संभावना है। अंतिम भुगतान/ उपयोग प्रमाण पत्र के अभाव में आवंटित निधि को अव्ययित माना गया है।

(च) कंपनी की भावी सीएसआर योजनाएं

11.12. कंपनी ने सूचित किया कि वे भविष्य में निम्नवत सीएसआर परियोजनाओं पर कार्य करेंगे :

(i) कंपनी ने नि:शुल्क उपयोग हेतु 200 पूर्व निर्मित शौचालयों के निर्माण के लिए राइटस और दक्षिण पूर्व रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रत्येक टॉयलेट ब्लॉक में तीन पुरुष शौचालय इकाइयां, तीन महिला शौचालय इकाइयां एवं निःशक्त जनों के लिए एक शौचालय इकाई होगी। परियोजना की लागत 48.44 करोड़ रुपए है।

(ii) खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत सीसीएल कमान क्षेत्रों में स्पोर्ट्स अकादमी खोलने की योजना बना रहा है।

(iii) दूरस्थ परियोजना प्रभावित गांवों में मोबाइल हेल्थकेयर इकाइयों के प्रावधान की योजना बनाई गई है।

(iv) सीसीएल क्षेत्र और मुख्यालय के 150 स्कूलों में सेनेटरी पैड की आपूर्ति एवं इंसिनरेटर सहित सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाना।

(v) सीसीएल की वर्तमान/ परित्यक्त खदानों के निकटस्थ गांवों में उपचारित जल की आपूर्ति।

(vi) सीसीएल कमान क्षेत्र के कक्षा पांचवी तक के 21,600 बच्चों को स्कूल बैग, लंच बॉक्स एवं पानी की बोतल वितरित की जाएगी । इस योजना पर कुल 108 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।

भाग-दो

<u>समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें</u>

1. सिंहावलोकन

1.1 समिति ने यह पाया है कि भारतीय कोयला उद्योग के इतिहास में तत्कालीन निजी स्वामित्व वाली कोयला खानों का दो चरणों में राष्ट्रीयकरण किया जाना एक प्रमुख घटना रही है। पहले चरण में भारत सरकार ने 17 अक्टूबर 1971 को कोकिंग कोल खानों का प्रबंधन अपने हाथ में लिया गया और इन खानों का 5 जनवरी 1972 से राष्ट्रीयकरण किया गया ।दूसरे चरण में दो इस्पात संयंत्रों अर्थातटी.आई.एस.ओ. और आई.आई.एस.सी.ओ की दो धारित कोयला खानों को छोड़कर देश में गैर कोकिंग कोयला खानों का प्रबंधन 31 जनवरी 1973 को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया। इसके बाद इन खानों का 01 मई 1973 से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और एक अन्य सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी कोल माइंस लिमिटेड (सी.एम.एल) अस्तित्व में आई जिसका मुख्यालय कोलकाता में रखा गया। सी.एम.एल कंपनी के गठन के बाद से कोयला खानों को तीन प्रभागों, अर्थात,पश्चिमी, मध्य और पूर्वी में पुन: वर्गीकृत किया गया। अपने तीन प्रभागों के साथ सी.एम.ए.एल 01 नवंबर 1975 तक काम करती रही और इसके बाद कोयला उद्योग का पुनर्गठन करने के भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में इसे कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल) का नया नाम दिया गया । सी एम एल का मध्य प्रभाग सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल) के रूप में जाना जाने लगा।

1.2 इस प्रकार सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल), कोल इंडिया लिमिटेड जो 1 नवंबर 1975 से वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आई, की सहायक कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। वर्तमान में यह एक श्रेणी-एक मिनी रतन कंपनी है जिसका निवल मूल्य 5142.72 करोड़ रुपये है और इसका लाभ 1704 करोड़ रुपए है। सी.सी.एल के खनन प्रचालन झारखंड राज्य के 08 जिलों में फैला हुआ है और जिसका क्षेत्रफल 2600 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल 42 प्रचालनरत खानें(36ओपनकास्ट और 06 भूमिगत) और 06 धोवनशाला (वाशरी) (04 कोकिंग कोल,02 गैर-कोकिंग कोल) हैं । सी.सी.एल की 05क्षेत्रीय कार्यशाला हैं और 01 केंद्रीय कार्यशाला है। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि कोयला उत्पादन को अधिकतम स्तर तक पहुंचाने के साथ-साथ कंपनी का एक प्रमुख उद्देश्य सामान्यतः समाज और विशेष रूप से कोलफील्ड्स के इर्द- गिर्द बसे हुए लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों की बेहतरी और अपने कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने कॉरपोरेट दायित्व का निर्वाह करना है। जैसा कि समिति को बताया गया है कि कंपनी नई धोवनशाला चालू करने, साइलोज, कोल हैंडलिंग संयंत्रों, कन्वेयर सिस्टम, रेलवे साइडिंग्स की स्थापना करने और निकट भविष्य में लोगों के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों और कल्याणकारी परियोजनाओं को शुरू करने की परिकल्पना करती है । समिति आशा करती है कि कंपनी निर्धारित समय सीमा में इन सभी क्षेत्रों में भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगी और उनके लिए शुभकामना करती है कि वे आने वाले वर्षों में अपने उत्पादन और लाभ में भरपूर उन्नति करें ।सेंट्रल कोलफील्ड (सीसीएल) की जांच

के दौरान समिति ने कंपनी के भौतिक और वित्तीय कार्यनिष्पादन, इसकी उच्च क्षमता वाली परियोजनाओं को शुरु करने, नई कोयला धोवनशालाओं की स्थापना करना, प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, पर्यावरणीय चिन्ताएं, पुनर्स्थापन और पुनर्वास और क्षतिपूर्ति मुद्दों, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों की पहलें, खदान कामगारों हेतु सुरक्षा उपाय, इत्यादि से जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ जिन पर समिति ने आगामी पैराओं में अपनी टिप्पणियां/सिफारिशें दी हैं । समिति आशा करती है कि इस प्रतिवेदन में दी गई टिप्पणियां/सिफारिशें और सुझावों को सच्ची भावना के साथ कार्यान्वित किया जाएगा ।

2. निदेशकमंडल

निदेशकमंडल में रिक्तियों और 'महिला निदेशक' के पद को भरना

2.1 समिति ने यह देखा कि कंपनी के निदेशक मंडल के 12 स्वीकृत पदों में से कार्यात्मक निदेशकों में से निदेशक (कार्मिक) का एक पद और गैर-सरकारी निदेशक की श्रेणी में एक पद रिक्त है । समिति यह भी नोट करती है कि कंपनी के निदेशक मंडल में 'महिला निदेशक' का प्रतिनिधित्व नहीं है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप नहीं है । इस तथ्य के बावजूद ऐसा हो रहा है कि कंपनी के सचिवालीय लेखाकार विगत कई वर्षों से अपने प्रतिवेदनों में लगातार यह टिप्पणी करते रहे हैं । इस प्रकार समिति को सीसीएल के निदेशक मंडल में महिला निदेशक नियुक्त नहीं करने का कोई तार्किक कारण नजर नहीं आता । अत: समिति चाहती है कि उसे कंपनी अधिनियम, 2013 में निदेशक मंडल में महिला निदेशक नियुक्त करने का स्पष्ट अनुबंध होने और विगत कई वर्षों से लेखा संपरीक्षकों द्वारा इसे दोहराए जाने के बावजूद निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं किए जाने के सही कारणों के बारे में अवगत कराया जाए । समिति यह भी पुरजोर सिफारिश करती है कि निदेशक मंडल में सभी नियुक्तियां तुरंत भरी जाएं और ' महिला निदेशक ' की नियुक्ति से संबंधित कंपनी अधिनियम के उपबंधों का बिना और देरी किए अनुपालन किया जाए ।

सीसीएल के निदेशक मंडल में सीआईएल के एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति

2.2 समिति ने यह पाया कि नियंत्रक कंपनी अर्थात सी.आई.एल के मंडल से कोई भी स्वतंत्र निदेशक सहायक कंपनी अर्थात, सी.सी.एल में निदेशक नहीं है जो कि कॉर्पोरेट शासन संबंधी डी.पी.ई दिशानिर्देशों के अनुसार एक अनिवार्य आवश्यकता है । एक प्रश्न कि नियंत्रक कंपनी अर्थात सी.आई.एल का कोई भी स्वतंत्र निदेशक सहायक कंपनी अर्थात सी.सी.एल में निदेशक क्यों नहीं है, के उत्तर में कंपनी ने बताया कि एस.ई.बी.आई के विनियम 24 (सूचीबंधन दायित्व और प्रकटन आवश्यकता) विनियम 2015 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल में से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक भारत में निगमित गैर-सूचीबद्ध भौतिक सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में होगा । विनियम में भौतिक सहायक कंपनी को उस कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी आय अथवा निवल मूल्य इससे तुरंत पिछले लेखांकन वर्ष में

कंपनी अथवा सहायक कंपनी की संचित आय अथवा निवल मूल्य से 10% अधिक हों, सीसीएल के प्रबंधक ने अपने उत्तर में बताया कि चूंकिसीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की भौतिक सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए सीसीएल के निदेशक मंडल में सीआईएल (नियंत्रण कंपनी) का कोई भी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों और एस.ई.बी.आई के विनियमन 24 (सूचीबंधन और प्रकटन आवश्यकता) विनियम 2015 के बीच विरोधाभास है। अतः समिति इच्छा व्यक्त करती है कि कोयला मंत्रालय स्पष्ट करें कि क्या इस संबंध में डी.पी.ई दिशानिर्देश लागू होंगे या नहीं। समिति यह भी जानना चाहती है कि क्या एस.ई.बी.आई (सूचीबंधन दायित्व और प्रकटन आवश्यकता) विनियम,2015 ने इस मुद्दे पर सरकारी उपक्रमों हेतु बनाए गए दिशानिर्देशों का अतिक्रमण किया है और यह भी जानना चाहती है कि क्या स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होने वाली कंपनियों पर एस.ई.बी.आई के विनियम लागू होंगे या नहीं।

सीसीएल के निदेशक मंडल में स्थाई आमंत्रितगणों की नियुक्ति -भूमिका, उत्तरदायित्व और उनकी प्रभावकारिता पर स्पष्टता की आवश्यकता

2.3 समिति नोट करती है कि सीसीएल के निदेशक मंडल में दो स्थाई आमंत्रितगण हैं जिनमें से एक पूर्वी रेलवे के मुख्य प्रचालन प्रबंधक और दूसरे झारखंड सरकार के प्रधान सचिव (खान और भू-गर्भ विज्ञान) होते हैं। सचिवालयीय संपरीक्षक ने यह टिप्पणी की है कि निदेशक मंडल की बैठकों में स्थाई आमंत्रितगणोंकी उपस्थिति बहुत कम रहती है। इस मुद्दे पर कोयला मंत्रालय के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि 'स्थाई आमंत्रितगण' केवल राज्यसरकारों के साथ विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण, वन कटाई मामलों, समय-समय पर औद्योगिक संबंधों की समस्याओं, इत्यादि से संबंधित कानून और व्यवस्था की समस्या को लेकर संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। यदि ऐसा है तो समिति यह नहीं समझ पा रही है कि 'स्थाई आमंत्रितगणों'को निदेशक मंडल की सभी बैठकों में उपस्थित होना चाहिए जहां बैठकों की कार्यसूची 'गोपनीय' अथवा ऐसे विषयों जैसे वाणिज्यिक रणनीतियों, व्यवसाय प्रचालनों इत्यादि पर हो सकती हैं जिनमें 'स्थाई आमंत्रितगणों की उपस्थिति की आवश्यकता ही नहीं होती। समिति इसबात से भी अवगत होना चाहती है कि क्या निदेशक मंडल में 'स्थाई आमंत्रितगणों' का प्रावधान डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप है यह कंपनी का स्वतंत्र निर्णय है। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निदेशक मंडल की सभी बैठकों मेंस्थाई आमंत्रितोंकी उपस्थिति संभवत: बहुत जरूरी नहीं होती है, समिति सिफारिश करती है कि उन बैठकों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं जिनमें ''स्थाई आमंत्रितगणों '' की उपस्थिति आवश्यक होती हैं। दिशानिर्देशों में उनको दिए जाने वाले पारिश्रमिक, उनके पदावधि, उनकी शक्तियां,उत्तरदायित्व, उनके विचारणीय विषयों, इत्यादि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

2.4 समिति को इस विषय में भी आशंका है किक्या स्थाई आमंत्रितगणों के माध्यम से जनसंपर्कताका कोई प्रयोजन भी सिद्ध हुआ है विशेष रूप से जब सीसीएल ने स्वयं ही यह कहा हो कि पर्यावरणीय और वानिकी स्वीकृतियों,स्वामित्व का अंतरण इत्यादि के अभाव में उनकी प्रमुख परियोजनाएं कई वर्षों से बुरी तरह अटकी पड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए परियोजनाएं,

अर्थात, मगध ओ.सी, आम्रपाली ओ.सी, कोनार ओ.सी जो वर्ष 2006 में ही चालू हो जानी चाहिए थी, वे वस्तुत:आठ/नौवर्षों के विलंब के साथ वर्ष 2014-15 में शुरू हुई। इसी प्रकार चंद्रगुप्त ओ.सी.पी, संघमित्रा ओ.सी.पी, कोटरेबसंतपुर पंचमो ओसी.पी. इत्यादि परियोजनाओं में मुख्यतः पर्यावरणीय और वन संबंधी स्वीकृतियों के अभाव में विलंब हो रहा है। अतः समिति इस बात से चिंतित है कि स्वीकृतियां प्राप्त करनेभूमि अधिग्रहणों,औद्योगिक संबंधों कानून एवंव्यवस्था, पुनर्स्थापन, इत्यादि में आने वाली बाधाओं के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने में 'स्थाई आमंत्रितगण' कितने कारगर सिद्ध हुए हैं। अत: समिति की यह सुविचारित राय है कि विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों को शीघ्रता से दिलाने और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के कार्य पर सार्थक प्रभाव डालने में 'स्थाई आमंत्रितगणों' की भूमिका और अधिक कारगर होनी चाहिए और इसलिए समिति सिफारिश करती है कि निदेशक मंडल में नियुक्त किए जाने वाले 'स्थाई आमंत्रितगणों' का प्रभावी और लाभकारी ढंग से उपयोग करने के लिए मंत्रालय एक उपयुक्त तंत्र विकसित करे।

3. सी.सी.एल का भौतिक कार्य निष्पादन

3.1 वित्तीयवर्ष 2018-19 सहित वर्ष 1975-76 में कंपनी के गठन से लेकर अब तक इसके कार्य निष्पादन का तुलनात्मक आंकड़ा यह दर्शाता है कि कंपनी के प्रचालन के विगत 45 वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन जो वर्ष 1975-76 में 22.72मिलियन टन था, में वर्ष 2018-19में मात्र तीनगुणा अर्थात 68.7 मिलियन टन की वृद्धि हुयी है। इसी प्रकार डिस्पैच जो वर्ष1975-76 में 21.15 मिलियन टन था, वर्ष 2018-19 में लगभग तीन गुणा बढ़कर 68.4 मिलियन टन हो गया है। तथापि,'आउटपुट पर मैन शिफ्ट (ओ.एम.एस) के हिसाब से उत्पादकता में आठगुना से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। प्रति टन के हिसाब से बिक्री मूल्य भी 24 गुना अर्थात, 61.5 रुपये प्रति टन से वर्ष 2018 -19 में 1498 रुपये टन बढ़ा है। आंकड़ों काविश्लेषणयह भी दर्शाता है कि कंपनी को अपने उत्पादन जो वर्ष 1975-76 में 22.72 मिलियन टन था, को दो गुणा अर्थात वर्ष 2009-10 में 47 मिलियन टन तक पहुंचाने में लगभग 35 वर्ष लगे । तत्पश्चात वर्ष 2012-13तक अगले तीनवर्षों में उत्पादन 47/48 मिलियन टन के स्तर पर स्थिर बना रहा। तत्पश्चात वर्ष 2012-13 में कथित रूप से शासन का कायाकल्प मॉडल केकेएमजी शुरू करने के बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई ।वर्ष 2013-14 से कंपनी में वर्ष 2017-18को छोड़कर उत्पादन, डिस्पैच, उत्पादकता, बिक्री और लाभ में निरंतर सुधार दिखाई दिया है। वर्ष 2017-18में लाभ में गिरावट कथित रूप से इवैकयुएशनसंबंधी बाधाओं के कारण थी । समिति ने यह पाया कि विगत 45 वर्षों में इसके प्रचालन के दौरान यद्यपि उत्पादकता में आठगुणा से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सी.सी.एल ने अपना उत्पादन मात्र तीन गुणा बढ़ाया है जो कि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उत्पादन में वृद्धि उत्पादकता में वृद्धि के अनुपात में भी नहीं है। कंपनी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकारोक्ति दी है कि (एक) सीसीएल की अधिकांश खानें पुरानी हैं और उनके उपस्कर भी बहुत पुराने हो चुके हैं और इसने हाल ही में बहुत ही कम खानें खोली हैं। (दो) बहुत ही कम खानों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है । (तीन) खानों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है जिसके कारण इनकी व्यवस्था में भ्रष्टाचार और अक्षमता पनपने की संभावना बनी रहती है (चार)आठघंटे की पारी में कर्मचारी औसतन चारघंटे ही काम करते हैं। कंपनी द्वारा उल्लेखित समस्या जो कंपनी के और अधिक उत्पादक और लाभकारी बनने के मार्ग में बाधा डाल रही हैं, का निर्भिक आकलन किए जाने की सराहना करते

हुए समिति यद्यपि इस बात से क्षुब्ध है कि सीसीएल द्वारा समस्याग्रस्त क्षेत्रों की स्पष्ट रूप से पहचान किए जाने के बाद भी इन मुद्दों का समय पर समाधान करने के लिए कोई भी कारगर उपाय नहीं किए गए हैं।यहां तक कि ऐसा प्रतीत होता है कि केकेएमजी के पास भी ऊपर उल्लिखित कमजोरियों को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं है। अतः समिति सिफारिश करती है कि सीसीएल निम्नलिखित कदम तत्काल उठाएं:- (एक) अपनी मशीनरी और उपस्करोको उन्नत बनाए(दो) अपने खनन प्रचालनों में वैश्विक मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करे(तीन)सभी प्रभागों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं का व्यापक रूप से उपयोग करे (चार)भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सतर्कता को सुदृढ़ करे(पांच)श्रम शक्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण उपाय शुरू करे (छह) मानव संसाधनों का उपयोग करने के लिए तंत्र विकसित करे; और (सात) श्रम शक्ति को प्रेरित और अनुशासित बनाने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन और हतोत्साहन की पहलें शुरू करे। समिति चाहतीहै कि उसे इस संबंध में सीसीएल द्वारा की गई ठोस कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

4. सीसीएल का वित्तीय कार्य निष्पादन

4.1 समिति ने यह पाया कि सी.सी.एल. ने अपने सकल कारोबार जो वर्ष 2014-15 के 11781 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 13659 करोड़ रुपये , वर्ष 2016-17 में 14533 करोड़ रुपये, 2017-18 में 15729 करोड़ रुपये और वर्ष 2018-19 में 16344 करोड़ रुपये हो गया, में लगातार बढ़ोतरी की है । तथापि, समिति का विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि कंपनी के निवल मूल्य और लाभ में ऐसा पैर्टन नहीं दिखाई दिया । इन वर्षों के दौरान इन दोनों प्रमुख संकेतकों में उतार चढ़ाव दिखाई दिया है । कंपनी का निवल मूल्य वर्ष 2014-15 में 5812.38 करोड़ रुपये के स्तर से गिरकर वर्ष 2018-19 में 5142.72 करोड़ रुपये हो गया । कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण से यह देखा जा सकता है कि जब वर्ष 2012-13 में कोयला उत्पादन 48 मिलियन टन था तो कंपनी का निवल लाभ 1886 करोड़ रुपये रहा लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब कोयला उत्पादन में वर्ष 2018-19 में 43% की वृद्धि हुयी और यह 68.7 मिलियन टन तक पहुंच गया तो कंपनी के लाभ में गिरावट आई और यह 1704 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया जो कि वर्ष2012-13 के आंकड़ों की तुलना में 9.6 प्रतिशत की गिरावट बैठती है । समिति ने यह भी पाया है कि विगत 10 वर्षों के दौरान कंपनी के कोयला उत्पादन, कोयले के उठान, आउटपुट प्रति मैन शिफ्ट के हिसाब से उत्पादकता और सकल कारोबार में लगातार वृद्धि होती दिखाई दे रही है लेकिन पुन: कंपनी की लाभकारिता में इसी प्रकार का पैर्टन नहीं दिखाई देता क्योंकि कंपनी के व्यवसाय प्रचालनों के प्रमुख मानदण्डों संबंधी आंकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि वर्ष 2009-10 में सकल कारोबार 6292 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2018-19 में 16344 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है, कंपनी का निवल मूल्य वर्ष 2011-12 में 343738 करोड़ रुपये था जो वर्ष2018-19 में 5142.72 करोड़ रुपये के स्तरपर पहुंच गया । इसी प्रकार 'आउटपुट पर मैन शिफ्ट'जो वर्ष 2009-10 में 3.66 थी, वर्ष 2018-19 में बढ़कर 8.09 के स्तर पर पहुंच गई लेकिन लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल जो वर्ष 2016-17 में 56.60 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में 48.93 प्रतिशत आ पहुंचा है और खजाने में दिया गया अवदान जो वर्ष 2016-17 में 7167.11 करोड़ रुपये था, वर्ष 2018-19 में घटकर 6512.02 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गया है । इस प्रकार समिति यह समझ पाने में असमर्थ है कि कंपनी किस कारणवश इस अवधि के दौरान अपने ' निवल लाभ ' और ' लगाई

गई पूंजी पर प्रतिफल ' में उतनी ही अनवरत वृद्धि प्राप्त नहीं कर सकी जब कार्य निष्पादन के अन्य प्रमुख संकेतकों में अनवरत वृद्धि का रुझान दिखाई देता है । अत: समिति इच्छा व्यक्त करती है कि सीसीएल न केवल अपने व्यवसाय प्रचालनों से अपनी कमाई में उच्चतर वृद्धि प्राप्त करने अपितु कंपनी के सकल कारोबार में वृद्धि के अनुरूप अपनी लाभकारिता के अनुपात को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने के उद्देश्य से विशेष रूप से विगत कई वर्षों से अपनी निवल कमाई और लाभकारिता के ऐसे असमान पैटर्न रहने के पीछे सही सही कारणों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन कराए ।

5. डाटा रख-रखाव प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

5.1 समिति ने यह पाया है कि उसके समक्ष प्रस्तुत डाटा में कर से पहले लाभ (पीबीटी) और करके बाद लाभ के मामले में दो प्रथक दस्तावेजों में अंतर है । प्रारंभिक सामग्री में दिए गए डाटा के अनुसार वर्ष 2017-18, 2016-17 और 2015-16 में पीबीटी को क्रमश: 1344 करोड़ रुपये, 2374 करोड़ रुपये और 3119 करोड़ रुपये दर्शाया गया है । तथापि, दिनांक 13.11.2019 को चर्चा के दौरान समिति के समक्ष प्रस्तुत डाटा में वर्ष 2017-18, 2016-17 और 2015-16 के पीबीटी को क्रमश: 1387 करोड़ रुपये, 2371 करोड़ रुपये और 3103 करोड़ रुपये दिखाया गया है । इसी प्रकार समिति के समक्ष प्रस्तुत पीएटी केडाटा में वर्ष 2017-18, 2016-17 और 2015-16 के लिए पीएटी को क्रमश: 790 करोड़ रुपये,1389 करोड़ रुपये, और 1915 करोड़ रुपये दिखाया गया है लेकिन दिनांक 13 नवंबर 2019को चर्चा के दौरान समिति के समक्ष प्रस्तुत डाटामें वर्ष 2017-18, 2016-17 और 2015-16 के लिए पीएटी को क्रमश: 808 करोड़ रुपये, 1387 करोड़ रुपये और 1923 करोड़ रुपये दिखाया गया है । समिति यह देखकर चिंतित है कि दो भिन्न अवसरों पर समिति के समक्ष सीसीएल द्वारा प्रस्तुत डाटा में अंतर है । समिति का यह दृढ़ मत है कि ऐसे उदाहरण कंपनी कीडाटा रखरखाव प्रणाली की विश्वसनीयता को संदेहास्पद बनाते हैं । अंत: समिति मंत्रालय/सीसीएल को निदेश देती है कि वह दो भिन्न अवसरों पर पीबीटी और पीएटी पर दो तरह के अलग-अलग डाटा प्रस्तुत करने के कारणों सहित एक स्पष्टीकरण संबधी नोट प्रस्तुत करने और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुधारात्मक उपाय करे ।

6. जनशक्ति प्रबंधन

6.1 समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि वर्ष 2009-10 में 53,305 के स्तर से वर्ष 2018-19 में 40,000 के स्तर तक जनशक्ति की संख्या में कटौती किए जाने के बावजूद अपने कोयला उत्पादन जो वर्ष 2010 में 47 मिलियन टन के स्तर पर था, को वर्ष 2018-19 में 68.7मिलियन टन के स्तर तक बढ़ाने में सफल रहा है। समिति यह जानकर भी प्रसन्न है कि 'आउटपुट पर मेन शिफ्ट' जो वर्ष 2009-10 में 3.66 था वर्ष 2018-19 में बढ़कर 8.09 हो गया है और इस उपलब्धि का कारण 'ग्रीनफील्ड परियोजनाओं' में और अधिक यंत्रीकृत और पूंजी सघन प्रक्रियाओं को अपनाना है। समिति के विश्लेषण में भी यह बताया गया है कि सीधी भर्ती के माध्यम से नियोजित जनशक्ति के अलावा रोजगार और काश्तकारों को भी दिया गया है

जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है और कुछ कार्य आउटसोर्स भी किए गए हैं ।समिति ने यह भी पाया है कि कंपनी के प्रचालनों को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में कुशल जनशक्ति मुहैया कराने के उद्देश्य से कौशलों के उन्नयन हेतु तकनीकी और प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इस संबंध में 15 जुलाई 2016 को सीआईएल की सभी कंपनियों में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है। सीसीएल के प्रबंधन द्वारा जनशक्ति की संख्या में कटौती किए जाने के बावजूद 'आउटपुट पर मैन शिफ्ट 'कोयला उत्पादन और सकलकारोबार में सफलतापूर्वक बढ़ोतरी किए जाने की सराहना करते हुए समिति इच्छा व्यक्त करती है कि सीसीएल निम्नलिखित कार्य करें:- (एक) अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक यंत्रीकृत प्रक्रियाओं को शुरू करने की संभावना तलाशे ताकि मानवीय प्रक्रियाओं पर निर्भरता को कम किया जा सके; और (दो) प्रभावकारीक्षमता वर्धन उपाय शुरू करे ताकि मानव संसाधनों का उपयोग करके उनसे बेहतर और बढ़ी हुई उपलब्धि प्राप्त की जा सके ।

7. धोवनशालाओं कोशुरूकरना/कार्य निष्पादन

7.1 समिति नोट करती है कि सीसीएल की चार कोकिंग कोल धोवनशालाएं और तीन गैर-कोकिंग कोल धोवनशालाएं हैं ।सीसीएल की धोवनशालाओंने वर्ष 2018 19 के दौरान कंपनी के समग्रलाभ में 253.90 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। समिति यह भी नोट करती है कि धुले हुए मध्यम कोकिंग कोल डब्ल्यूएमसीसी के उत्पादन के आंकड़े वर्ष 2017-18में 11.15 लाख टन की तुलना में वर्ष 2018-19के दौरान 8-04 लाख टन रहे । डब्ल्यूएमसीसी के उत्पादन आंकड़े संभावित ग्राहकों की तरफ से मांग नहीं होने के कारण अप्रैल 2018 से लेकर जुलाई 2018 तक की अवधि के दौरान कम रहे । तीनगैर-कोकिंग कोल धोवनशालाओं में से एक धोवनशाला, अर्थात, कारगाली धोवनशाला कोवर्ष 2016-2017 और वर्ष 2017-2018 के दौरान बंद कर दिया गया था और यह अप्रैल 2018 में पुन: शुरू हुई। 2018-19 के दौरान कारगालीधोवनशाला ने 1.12 लाख टन गैर-कोकिंग कोल का उत्पादन किया। समिति नोट करती है कि शेष दो गैर-कोकिंग कोल धोवनशालाओं में से गिडी धोवनशाला ने 1 लाख टन से भी कम धुले हुए गैर कोकिंग कोल का उत्पादन किया और सीसीएल अपनी एक प्रमुख गैर-कोकिंग कोल धोवनशाला, अर्थात, पीपरबाड़ धोवनशाला पर पूरी तरह से निर्भर है जिसने वर्ष 2018-19 के दौरान 64.30 लाख टन घुले हुए गैर-कोकिंग कोल का उत्पादन किया । रोचक बात यह है कि आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सीसीएलका लाभ जो इसने धोवनशालाओं के माध्यम से कमाया हे उसमें से अधिकांश लाभ अकेली पीपरखाड़ गैर-कोकिंग कोल धोवनशाला द्वारा कमायागया है । यह इस तथ्य से साबित होता है कि गैर-कोकिंग कोल धोवनशालाओं (अधिकांशत: पीपरवाड़) ने 376.73 करोड़ रुपये के लाभ का योगदान दिया और चार कोकिंग कोल धोवनशालाओं ने 122.82 करोड़ रुपये के घाटे का योगदान दिया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 के दौरान सीसीएल को अपनी धोवनशालाओं से 253.91 करोड़ रुपये का निवल लाभ प्राप्त हुआ । कोकिंग कोल धोवनशालाओं का उत्पादन प्रतिशत 35.69% रहा जबकि यह गैर-कोकिंग कोयले के मामले में 97.96% रहा । अत: समिति यह सिफारिश करती है कि सीसीएल कोकिंग कोल धोवनशालाओं के इतनें कम उत्पादन के कारणों की जांच करे और कोकिंग कोल धोवनशालाओं के संस्थापित क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए शीघ्र आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए ताकि इन धोवनशालाओं से न केवल बेहतर उत्पादन मिले बल्कि बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त

स्वेदेशी उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके जिससे आयात पर हमारी निर्भरता अधिक से अधिक कम हो पाएगी।

7.2 समिति यह भी नोट करती है कि सीसीएल बिल्ड ओन एंड ऑपरेट (बीओओ) संकल्पना के आधार पर 7 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम टी वाई) की क्षमता वाले 2 कोकिंग कोल धोवनशालाओं और 8 एम टी वाई क्षमता के 3 नॉन कोकिंग कोल धोवनशालाओं को लगाने की प्रकिया में है। समिति को सूचित किया गया है कि नई कोकिंग कोल धोवनशालाओं के निर्माण के साथ-साथ मौजूदा पुरानी कोकिंग कोल धोवनशालाओं को बदलने के पश्चात सीसीएल 14-15% राख की मात्रा के साथ वाश्ड कोकिंग कोल उत्पादन की योजना बना रहा है जो इस्पात उत्पादन में प्रयोग होता है। चूंकि कोयले की अपेक्षित गुणवत्ता का घरेलू उत्पादन इस्पात क्षेत्र की मांग से कम है अत: 14-15% राख की मात्रा के कोकिंग कोल का आयात किया जाता रहा है। आयतित कोयले की मात्रा 2018-19 में 52 एमटी थी। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2018-19 के दौरान कोकिंग कोल धोवनशालाओं में 122.82 करोड़ रुपए की हानि हुई और साथ ही अप्रैल 2018 से जुलाई 2018 तक वाश्ड मिडियम कोकिंग कोल की कोई मांग नही थी, समिति यह समझने में असमर्थ है किऐसा किस प्रकार हुआ कि एक तरफ देश प्रचुर मात्रा में वाश्ड कोकिंग कोल का आयात कर रहा है और दूसरी ओर उसकी स्वदेशी मांग में कमी आ रही है।अत: समिति चाहती है कि सीसीएल इस अजीब स्थिति का पूरा विश्लेषण करे और वाश्ड कोकिंग कोल की वास्तविक मांग और संभावित उपभोक्ताओं का वास्तविक मूल्यांकन करे ताकि कोयला धोवनशालाओं की संस्थापित क्षमता का इष्टतम उपयोग हो सके और नई कोयला धोवनशालाओं में निवेश के बेहतर लाभ मिल सके । समिति का यह मत है कि इन परियोजनाओं की वांछित मात्रा में कोयले की आयात निर्भरता को कम करने में बड़ी भूमिका है और अत: यह सिफारिश करती है कि इन कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल धोवनशालाओं को संचालित करने और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र इष्टतमक्षमता उपयोग के साथ चलाने की आवश्यकता है। समिति का यह मत है कि स्वदेशी कोयला कंपनियों द्वारा कोयले के घरेलू उत्पादन और विद्युत कंपनियों द्वरा उनका तापीय ऊर्जा उत्पादन में उपयोग न केवल बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित करते हैं, जीडीपी में योगदान करते हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। अत: समिति यह महसूस करती है कि कोयले के आयात के विनियमन में इस प्रकार नीतिगत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है कि हमारे कोयले के भंडारों का इष्टतम उपयोग हो सके और कोयले का घरेलू उत्पादन भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो सके और साथ ही तापीय ऊर्जा और इस्पात क्षेत्र के उत्पादों का मूल्य आयातित कोयले के उपयोग के कारण न बढे। समिति यह आशा करती है कि सरकार इस संबंध में शीघ्र पहल करेगी।

8. उच्च क्षमता वाली परियोजनाओं की समय पर समाप्ति की मॉनीटरिंग

8.1 समिति यह नोट करती है कि सीसीएल की पांच नई उच्च क्षमता वाली परियोजनाएं यथा संघमित्रा, चंद्रगुप्त, कोट्रे-बसंतपुर-पाचमो, पत्रातु एबीसी और पीपरवार फेज-1 शुरु होने वाली है। तथापि समिति यह देखती है पूर्व की कई ग्रीनफील्ड परियोजनाएं विभिन्न कारणों से विलंबित हुई हैं। एनऊरीमरी जैसी ग्रीनफील्ड परियोजना जिसे अप्रैल 2005 में लगाया जाना था, को 8 वर्षों से अधिक के विलंब के बाद अक्तूबर 2013 में स्थापित किया गया । इसी प्रकार, मगध,

आम्रपाली, कोनल नामक ग्रीनफील्ड परियोजना को 2006 में स्थापित किया जाना था, को लगभग 9 वर्षों के विलंब के बाद 2014/2015 में स्थापित किया गया। इन उच्च क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए मॉनीटरिंग तंत्र के बारे में पूछे जाने पर समिति को यह सूचित किया गया कि निगरानी प्रणाली विद्यमान है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नवत शामिल है: (i) परियोजना मॉनीटरिंग टीम द्वारा परियोजनाओं के प्रारंभ करने और पूर्ण होने से संबंधित कार्यकलापों की निगरानी (ii) सीसीएल बोर्ड की प्रत्येक बैठक में चल रही परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा (iii) कोयला सचिव द्वारा 150 करोड़ रूपए से अधिक अथवा 3 एम टी वाई क्षमता से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की तिमाही समीक्षा और

(iv) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी पी आई आई टी) के परियोजना मॉनीटरिंग ग्रुप और साथ ही सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय (एम ओ एस पी आई) द्वारा परियोजना कार्यान्वयन की समीक्षा।समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से करने हेतु बहुआयामी मॉनीटरिंग प्रणाली विद्यमान है और यह आशा करती है कि इस प्रणाली से वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। तथापि सीसीएल की पूर्व उच्च क्षमता वाली परियोजनाओं के निष्पादन में अनावश्यक विलंब को नोट करते हुए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि पर्यावरण, वन, भूमि अधिग्रहण आदि जैसे मुद्दों पर सभी सांविधिक/ विनियामक अनापत्ति की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सुनियोजित तंत्र बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और यदि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन/ निष्पादन की प्रक्रिया में कोई अपरिहार्य समस्या उत्पन्न होती है जिससे परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब हो, तो उन समस्याओं को पदक्रम के उच्चतम स्तर पर लिया जाना चाहिए ताकि समस्याओं का समय पर समाधान हो सके ओर अनावश्यक विलंब न हो।

9 कोयला उत्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग लौंगवॉल प्रौद्योगिकी

9.1 समिति ओपन कास्ट खानों में सरफेस माइनरों को अपनाने, निरंतर माइनरों और लौंगवॉल माइनिंग, कोयला हैन्डलिंग संयंत्रों (सीएचपी)/ खानों में सिलों के माध्यम से रैपिड लोडिंग प्रणाली शुरू करने, रेलवे साइडिंग स्थापित करने आदि जैसे विभिन्न अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को नोट करती है जिससे सीसीएल को अपने उत्पादन, खनिज पदार्थों के संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता मिली है। समिति उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से यह पाती है कि आज की तिथि के अनुसार पूरे विश्व में लौंगवाल प्रौद्योगिकी सबसे अधिक लाभकारी है। हालांकि ओपन कास्ट खनन प्रणाली एक निश्चित गहराई तक के कोयला डिपॉजिट के लिए किफायती है परंतु लौंगवॉल प्रौद्योगिकी गहरे कोयला भंडारों को अधिक क्षमता के साथ प्रभावी रूप से निष्कर्षण करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त,यह प्रौद्योगिकी यह सुनिश्चित करती है कि ओवरबर्डन के लिए किसी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता न पड़े और यह इन्कलाइन के माध्यम से कोयले तक आसानी से पंहुच जाती है जिससे निवेश करने पर शीघ्र लाभ मिलता है और साथ ही उस क्षेत्र की भूमि वनस्पति और जीव-जन्तुओं को कम-से-कम हानि पंहुचती है। समिति को यह सूचित किया गया है कि सीसीएल लौंगवॉल प्रौद्योगिकी को पत्रातु एबीसी में अपने प्रस्तावित उच्च क्षमता वाले अंडरग्राउंड माइन परियोजना में लगाने वाला है। लौंगवॉल प्रौद्योगिकी के ओपन कास्ट खनन की तुलना में लाभों को देखते हुए समिति यह सिफारिश

करती है कि कंपनी और संरक्षा के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लौंगवॉल प्रौद्योगिकी का अन्य अंडरग्राउंड खानों में उपयोग करने की संभाव्यता पर भी विचार करे।

10. हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचई एम एम)

क) एच ई एम एम की उपलब्धता

10.1 समिति का विश्लेषण यह दर्शाता है कि सीसीएल का 99% से अधिक कोयला उत्पादन ओपन कास्ट माइनिंग से आता है और वर्ष 2018-19 में कंपनी के पूरे ओपन कास्ट कोयला उत्पादन में 32% सरफेस माइनिंग का योगदान था। समिति नेयह पाया कि ओपन कास्ट माइनिंग में लगाए गए शोवल, डम्पर, डोजर और ड्रिल जैसे हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एच ई एम एम) पर्यावरण-अनुकूल और प्रदूषण कम करने वाले उपकरण हैं। उदाहरणतया ड्रिलिंग मशीन में इनबिल्ट डस्ट सप्रेशन प्रणाली होती है जो ओपन कास्ट माइनिंग में प्रदूषण कम करता है। सीसीएल द्वारा शोवल, डम्पर, डोजर और ड्रिल जैसे हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एच ई एम एम) की उपलब्धता केक आंकड़े दर्शाते हैं कि इन्हें कमोबेश कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है । उदाहरणतया शोवल, ड्रिल, डोजर और डम्पर, की मानदंड के अनुसार 80%, 78%, 70% और 67% उपलब्धता की तुलना में इन मशीनों की वास्तविक उपलब्धता प्रतिशतता में क्रमश: 75.2%, 82.3%, 73% और 72.9% थी जो कि शोवल जिसमें थोड़ी कमी थी, को छोड़कर लगभग सभी श्रेणियों में निर्धारित मानदंडो से अधिक है।

ख) एच ई एम एम का कम उपयोग

10.2 तथापि समिति ने यह भी पाया कि इन मशीनरी की नियमानुसार उपलब्धता होने के बावजूद वर्ष 2018-19 में इनका वास्तविक उपयोग निर्धारित मानदंडों से काफी कम था। उदाहरणतया शोवल, डम्पर, डोजर और ड्रिल के संबंध में क्रमश: 58%, 50%, 45% और 40% के उपयोग मानदंडों की तुलना में वर्ष 2018-2019 में वास्तविक उपयोग केवल 40.9%, 35.4%, 20.8% और 28.2% था। डोजर का वास्तविक उपयोग मानदंडों से 50% से भी कम था और अन्य उपकरणों के लिए यह उपयोग मानदंडों के केवल 60-70% के बीच था । समिति यह पाती है कि यद्यपि एच ई एम एम की उपलब्धता कमोबेश मानदंडों के अनुसार है परंतु उनके उपयोग में काफी सुधार की आवश्यकता है।समितिपिछले पांच की अवधि के दौरान एचईएमएम के इतने कम उपयोग के कारणों का ब्यौरा एचईएमएम की वर्ष वार उपलब्धता के साथ जानना चाहती है और साथ ही एचईएमएम के इतने कम उपयोग का कंपनी के उत्पादन पर प्रभाव के बारे में जानना चाहती है। समिति सिफारिश करती है कि सीसीएल द्वारा एचईएमएम के विभिन्न उपकरणों की उपयोगिता दरों को बढाने के लिए आवश्यक उपाय करे। समिति यह भी सिफारिश करती है कि सीसीएल की मशीनरी को, यदि वर्ष की किसी निश्चित अवधि के दौरान उन्हें आवश्यकता न हो तो उसे अन्य प्रयोगकर्ताओं को किराए पर दिया जा

सकता है ताकि न केवल वह मशीनरी उपयोग में रहे बल्कि सीसीएल को भी उससे कुछ राजस्व प्राप्त हो।

ग) एचईएमएम पर व्यय की गई लागत

10.3 सीसीएल द्वारा प्रस्तुत डाटा के समिति के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान संयंत्रों और उपकरणों को किराए पर लेने के लिए 859 करोड़ रूपए खर्च किए। कंपनी ने यह सूचित किया कि एचईएमएम को किराए पर लेने अथवा इन उपकरणों को खरीदने की तुलनात्मक लागत प्रभाविता के मूल्यांकन के लिए कोई स्वतंत्र अध्ययन नहीं कराया गया। यह ध्यान में रखते हुए कि 859 करोड़ का इतना बड़ा खर्च एक वर्ष में संयंत्र और उपकरणों को किराए पर लेने के लिए किया गया विशेषत: तब जब सीसीएल के अपने उपकरणों का कुछ मामलों में पूरी क्षमता तक उपयोग नहीं किया जा रहा जो इस बात से स्पष्ट है कि एचईएमएम की उपयोगिता वर्ष 2018-19 के दौरान निर्धारित मानदंडों के 50% से भी कम थी, समिति यह सिफारिश करती है कि समिति को एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया जाए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपकरणों को किराए पर लेने के कारण बताए जाएं जबकि सीसीएल के अपने उपकरण काफी हद तक उपयोग नहीं किए जा रहे और साथ ही एचईएमएम को किराए पर लेने और स्वयं खरीदने की तुलनात्मक प्रभाविता और अन्य संबंधित मुद्दों को स्पष्ट बताया जाए।

11. पर्यावरण संबंधी समस्याएं

11.1 समिति यह देखती है कि खनन कार्यकलापों से खनन क्षेत्रों के आस-पास पर्यावरण, मानव जीवन, वनस्पति और जीव- जंतुओं पर काफी प्रभाव पड़ता है । समिति कोयला मंत्रालय और सीसीएल द्वारा एकीकृत परियोजना आयोजना, प्रदूषण कम करने; प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने, पारिस्थितिकी का पुनर्गठन करने; अपशिष्ट के उचित निपटारे आदि के माध्यम से खानों के आसपास के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों को नोट करती है । समिति यह अपेक्षा करती है कि इन उपायों को और अधिक एकीकृत और संरचनात्मक तरीके से जारी रखा जाएगा ताकि पर्यावरण संबंधी समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल किया जा सके ।

12. वृक्षारोपण

12.1 समिति यह देखती है कि वर्ष 2017, 2018 और 2019 के दौरान क्रमशः 202957, 128025 और 112500 पौधे लगाए गए । कंपनी ने सूचित किया कि वृक्षारोपण कार्यकलापों को राज्य वन विभाग से आउटसोर्स किया जाता है और नियमित सेंसिंग सर्वेक्षण और पर्यावरण अनुवीक्षण सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) द्वारा किया जाता है । समिति को सूचित किया गया कि राज्य वन विभाग रख-रखाव के दूसरे वर्ष के बाद 60% और

अधिक जीवित बचे पौधों के प्रतिशत के साथ वृक्षारोपण कार्य को आगे रख-रखाव के लिए सौंपता है । समिति का विश्लेषण यह दर्शाता है कि सीसीएल ने पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 11.76 करोड़ रुपये वृक्षारोपण पर खर्च किए हैं और सीसीएल के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे यह सुनिश्चित हो कि अधिकांश लगाए गए पौधे जीवित रहें और अपना पूरा जीवन जीएं । समिति का यह दृढ़ विचार है कि जब तक कंपनी 2 वर्षों के रख-रखाव की अवधि के बाद उन्हें सौंपे गए पौधों के जीवित रहने को सुनिश्चित नहीं करते, वृक्षारोपण से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे । अतः समिति यह सिफारिश करती है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन कराया जाए जिससे कि एक निश्चित अवधि जैसे पांच से दस वर्षों के बाद लगाए गए पौधों की संख्या और उनमें से वास्तविक रूप में जीवित बचे पौधों की संख्या से संबंधित डाटा का विश्लेषण कर वृक्षारोपण योजना की सफलता का मूल्यांकन किया जा सके और कंपनी ऐसे अध्ययन की खोज के आधार पर एक संरचनात्मक रख-रखाव प्रणाली बनाए ताकि अधिक से अधिक लगाए गए पौधों को जीवित रखना सुनिश्चित किया जा सके ।

13. स्लरी प्रबंधन

13.1 समिति को यह बताया गया कि स्लरी से कोयले की प्रभावी प्राप्ति के लिए फाइन कोल सर्किट की योजना बनाई गई है जिसमें फिल्टर प्रेस, फ्लोटेशन सेल बैंक और टीटर बेड सेपरेटर शामिल हैं । इससे प्राप्त फाइन वाश्ड कोल को मेन सर्किट द्वारा उत्पादित वाश्ड कोकिंग कोल के साथ मिलाया जाएगा । इन आधुनिक फाइन कोल सर्किटों की प्रभाविता का मूल्यांकन करने के बाद इन प्रौद्योगिकियों को अन्य भावी कोकिंग कोल वाशरियों में शामिल किया जाएगा । सीसीएल द्वारा उठाए गए इन भावी कदमों का स्वागत करते हुए समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि स्लरी को सरल सक्शन प्राद्योगिकी के द्वारा प्रबंधित किया जाए जिसमें वैक्युम के साथ पाइप/पंप लगे हों जो स्लरी को बाहर निकालेंगे जैसा कि कई विकसित देशों में किया जा रहा है ।

14. रिजेक्ट्स की रिसाइक्लिंग

14.1 समिति यह नोट करती है कि वाशरियों में निर्मित `रिजेक्ट्स' और 'एशेज` की ई-नीलामी के माध्यम से ईंट व्यापार में लगे छोटे-छोटे स्थानीय व्यवसायों के लिए किसी भी लिंकेज नीति के अभाव में ई-नीलामी की जाती है । समिति यह देखती है कि सीसीएल की वॉशरियों ने प्रत्येक माह 0.3 लाख टन रिजेक्ट्स और 0.28 लाख टन `स्लरी` का उत्पादन किया और कंपनी ने इस अवधि के दौरान ई-नीलामी के द्वारा 5.97 लाख टन रिजेक्ट और 2.8 लाख टन स्लरी का विक्रय किया । समिति सिफारिश करती है कि एक लिंकेज नीति विकसित की जाए और साथ ही एक अध्ययन कराया जाए कि कंपनी प्रति माह कितनी मात्रा में ऐश और रिजेक्ट्स का उत्पादन करती है और खपत हेतु मांग कितनी है ताकि कंपनी द्वारा उत्पादित ऐश और रिजेक्ट्स के लिए उपयुक्त बाजार और संभावित विक्रेताओं को ढूंढा जा सके ।

15. थोरियम आधारित विद्युत संयंत्र

15.1 समिति देखती है कि इस विषय पर जांच के दौरान कोयला मंत्रालय / सीसीएल से यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि वे समिति को थोरियम आधारित विद्युत संयंत्र के बारे में अवगत कराएं । यह उल्लेख किया गया है कि यह सूचना परमाणु ऊर्जा विभाग से मांगी गई है । समिति यह देखती है कि थोरियम भावी ऊर्जा आपूर्ति में विश्व भर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और कनाडा पिछले कई वर्षों से इस पर बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है । अतः समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि अब समय आ गया है कि हम देश में बड़ी मात्रा में थोरियम डिपोजिट को वाणिज्यिक दोहन के लिए उपयोग करने की संभाव्यता को तलाशें और इस प्रयोजनार्थ कनाडियन तकनीक काफी मददगार सिद्ध हो सकती है । समिति मंत्रालय से यह इच्छा व्यक्त करते हुए कि वे परमाणु ऊर्जा विभाग से शीघ्र सूचना एकत्र करें और उसे यथाशीघ्र समिति के समक्ष प्रस्तुत करे । समिति यह भी चाहती है कि उसे वाणिज्यिक प्रयोग के लिए देश में बड़ी मात्रा में थोरियम डिपोजिट का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए ।

16. पुनः स्थापन, पुनर्वास और मुआवजे के मुद्दे

16.1 समिति यह देखती है कि सीसीएल की अपनी कोई भूमि अधिग्रहण नीति नहीं है । सीसीएल के लिए भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम अथवा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत अधिगृहीत किया जाता है । समिति को प्रस्तुत सूचना के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान सीसीएल ने 1326.18 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया । तथापि अभी भी उक्त भूमि का प्रमाणीकरण जिला प्राधिकारियों द्वारा किया जाना बाकी है । परिणामस्वरूप परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) जिन्हें 1326.18 एकड़ अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा मिलना है, की कुल संख्या को अभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान, सीसीएल ने 1933 प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को मुआवजा संवितरित किया । इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में 1282 प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को मुआवजा दिया गया । समिति इस बात को समझती है कि जिन व्यक्तियों/परिवारों को अपनी भूमि से अलग कर दिया जाता है जहां वे वर्षों से रह रहे थे और जीविकोपार्जन कर रहे थे तो उन्हें दर्दनाम, शारीरिक, वित्तीय और मानसिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जब तक कि उनका उपयुक्त पुनर्वास नहीं हो जाता । इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए समयबद्ध पुनर्वास और मुआवजे की अत्यंत आवश्यकता है । अतः समिति यह सिफारिश करती है कि एक सुनियोजित नीति लाई जाए ताकि प्रभावित लोगों से संबंधित पुनर्वास और मुआवजे के मुद्दों को समयबद्ध रूप से निपटाया जा सके ।

16.2 समिति ने यह भी पाया कि अकसर मुआवजे और पुनर्वास में कई कारणों से विलंब होता है जैसे कि 2018 में 1326 एकड़ अधिगृहीत भूमि के लिए परिवारों को मुआवजा देने में हुआ । समिति का यह मत है कि लोगों का पुनर्वास भूमि लेने से पहले होना चाहिए । अतः समिति यह सिफारिश करती है कि सीसीएल और सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अच्छे घरों के लिए शहरी विकास मंत्रालय को सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं को एक

साथ लाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि सही मायनों में उनका पुनः स्थापन हो सके और प्रभावित लोगों का उचित पुनर्वास हो सके । प्रभावित लोगों को तकनीकी कौशल सिखाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए जिससे उन्हें लाभप्रद रोजगार मिलने में आसानी हो । प्रभावित लोगों के रहन-सहन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति का यह दृढ़ मत है कि उचित वित्तीय योजना बनाई जाए और प्रभावित व्यक्तियों को बेहतर मार्गदर्शन भी दिया जाना चाहिए ताकि वे मुआवजे की राशि का उपयोग अपने परिवार को गुणवत्तापरक सहयोग, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, अपनी दैनिक कमाई से नए उद्यम शुरू करने और अपनी कमाई के बेहतर स्रोत सृजित करने में कर सकें । समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि सभी खानों जहां से अब कोयला नहीं निकाला जा रहा, को सिटी सेंटर या टाउनशिप के रूप में विकसित करें जो पीएपी के लिए घर बन सकता है और आगे कंपनी बायो-फ्यूल संयंत्र लगाने, कई सरकारी कल्याण योजनाओं को अपने क्षेत्र में एक साथ लाने के प्रयास करे, सीएसआर कार्य करे और विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करे ।

17. सतर्कता पहलें

17.1 समिति कंपनी के प्रचालनों और प्रबंधनों की विभिन्न प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सीसीएल द्वारा उठाए गए विभिन्न सतर्कता पहलों को देखती है । तथापि समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि इन पहलों के बावजूद प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है । यद्यपि, पिछले पांच वर्षों के दौरान सीसीएल ने अपने एक्जिक्यूटिव्स पर 63 बड़े और 102 लघु दंड लगाए हैं और अपने नॉन एक्जिक्यूटिव्स पर 30 दंड लगाए हैं फिर भी वर्ष 2018-19 में ही लगभग 405 शिकायतें प्राप्त हुई हैं । समिति आगे यह देखती है कि 405 शिकायतों में से एक बड़ी संख्या में शिकायतें अर्थात् 92 शिकायतें गुमनाम / छद्म नाम से प्राप्त और दायर हुई हैं । शेष 267 शिकायतों में से 138 शिकायतों को एचओडी / जीएम के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया गया और 175 शिकायतों पर अभी भी कार्रवाई की जानी है । समिति का यह दृढ़ मत है कि सतर्कता प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे संगठन के कर्मचारियों के कार्यों को ठीक प्रकार से करवाया जाना और सभी लेन-देन को प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित होता है जिससे भ्रष्टाचार, कदाचार /प्राधिकार और निधियों का दुरूपयोग कम होता है । समिति यह भी मानती है कि जब अधिक संख्या में गुमनाम / छद्म नाम से शिकायतें प्राप्त होती हैं तो इससे यह प्रतिपादित होता है कि संगठन की सतर्कता प्रणाली या उससे जुड़े अधिकारियों पर से विश्वास कम हो रहा है क्योंकि गुमनाम शिकायतें दायर करने का एक मुख्य कारण यह हो सकता है कि शिकायतकर्ता प्रतिकूल परिणामों के भय में है अथवा शिकायतकर्ता वास्तविक व्हिसलब्लोअर है जिसकी पहचान सामने आने पर उसकी जान या उसके परिवार को खतरा हो सकता है । तथापि, समिति यह चाहती है कि गुमनाम शिकायतों की विषय वस्तु और उनमें लगाए गए आरोपों की भी पूर्णरूपेण जांच की जाए और उन्हें सारहीन पाए जाने पर इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार फाइल किया जाए ।

18. समाधान केंद्र

18.1 समिति नोट करती है कि सीसीएल के पास भी 'समाधान केंद्र' नामक एक प्रणाली है जिसे कंपनी के कर्मचारियों और हितधारकों की शिकायतों के निवारण हेतु वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। हालांकि, सतर्कता विभाग को विसल ब्लोअर पॉलिसी के अंतर्गत सामान्य प्रक्रिया के दौरान और समाधान केंद्र के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों की प्रकृति और उनके बीच के अंतर के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। समिति पाती है कि सतर्कता विभाग को प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या और समाधान केंद्र के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या के बीच अंतर है। वर्ष 2018-19 के दौरान समाधान केंद्र के माध्यम से 307 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जबकि उसी वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग को 405 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसलिए समिति जानना चाहेगी कि क्या इन दोनों स्थानों पर प्राप्त हुई शिकायतें एकसमान या एक ही थी अथवा यह अलग- अलग थी। ऐसी स्थिति में जब दो विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुई शिकायतें एक ही नहीं थी तो शिकायतों की कुल संख्या काफी अधिक होगी जो कर्मचारियों/ विभागों के कार्यकरण के संबंध में गंभीर चिंतन करने को मजबूर करती है। समिति आगे यह नोट करती है कि समाधान केंद्र द्वारा शिकायत निवारण की प्रतिशतता वर्ष 2012 - 13 के से घटकर वर्ष 2018-19 में 89% हो गई है। समिति 2018-19 में शिकायत निवारण की दर में हुई कमी के कारणों को भी जाना चाहेगी। समिति यह भी चाहती है कि 'समाधान केंद्र' के कार्यकरण को और सुदृढ़ बनाया जाए ताकि निकट भविष्य में सीसीएल को शून्य शिकायत वाली कंपनी बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

19. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना

19.1 समिति का विचार है कि सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं कार्यबल से अधिक आउटपुट हासिल करने के अलावा संगठन के कार्यकरण में दक्षता और पारदर्शिता लाती हैं। इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि सीसीएल को उत्पादन, बिक्री, उत्पादकता और लाभ के संदर्भ में तथा कार्यबल के कार्यकरण की प्रभावी निगरानी के संदर्भ में भी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के कार्यनिष्पादन में वांछित वृद्धि हासिल करने के मद्देनजर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में ही अपेक्षित आईटी अवसंरचना विकसित करने हेतु निधियों का पर्याप्त आवंटन करना चाहिए। समिति अभी अनुरोध करती है कि खनन गतिविधियों और सीसीएल के अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों में उन्नत और अद्यतन आईटी तकनीकों के प्रयोग हेतु इस संबंध में वैश्विक पद्धतियों का अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

20. सुरक्षा मुद्दे

20.1 समिति पाती है कि सीसीएल के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखना तथा कोयला के दुर्घटना मुक्त खनन का प्रयास करना है। जैसा कि समिति को बताया गया है, खान सुरक्षा संबंधित खतरों की पहचान करके और उसके पश्चात चार कदमों को अपनाकर उन खतरों को दूर करके हासिल की जाती है जिनमें अभियांत्रिकी नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण, प्रतिस्थापन और विलोपन शामिल है। यह भी बताया गया है कि तीन सुरक्षा समितियों यथा (एक)पिट सेफ्टी कमिटी (दो) त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति (तीन) द्विपक्षीय सुरक्षा समिति का गठन किया गया है तथा विभिन्न अन्य सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। तथापि समिति यह पाती है कि विभिन्न सुरक्षा मानदंडों जैसे मृत्यु, गंभीर चोटों, मृत्यु दर/एमटी, गंभीर चोट दर/एमटी प्रति 3 लाख 'मैन शिफ्ट' मृत्यु दर और प्रति 3 लाख 'मैन शिफ्ट' गंभीर चोट दर के संदर्भ में सीसीएल का प्रदर्शन वर्ष 2018-2019 में बिल्कुल संतोषजनक नहीं रहा है क्योंकि जहां वर्ष 2017-18 में संबंधित दुर्घटनाओं में कमी आई थी वही वर्ष 2018-19 में इनमें वृद्धि देखने को मिली है। उदाहरणार्थ पिछले 4 वर्षों की तुलना में जहां मृत्यु और गंभीर चोटों वाले मामले 1 अंक में थे वही वर्ष 2018-19 में यह मामले बढ़कर 2 अंकों में अर्थात क्रमशः 10 और 16 हो गए हैं। समिति चाहती है कि उसे वर्ष 2018-19 में मृत्यु और गंभीर चोटों के मामलों में हुई वृद्धि के विशिष्ट कारणों तथा सीसीएल द्वारा अपने कार्यबल के बहुमूल्य जीवन को बचाने हेतु सुरक्षा मानदंडों को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए उपायों से भी अवगत कराया जाए।

20.2 समिति इस तथ्य पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है कि वर्ष 2010-11 को छोड़कर वर्ष 2008-09 से सुरक्षा उपकरणों की खरीद और उनके अनुरक्षण के निमित्त बजटीय प्रावधानों का पूर्णरूपेण उपयोग नहीं कर सकी जिसकी परिणति निधियों को वापस लौटाने के रूप में हुई। यदि वर्ष 2010-11 को छोड़ दिया जाए जब इसने संबंधित प्रयोजनार्थ बजटीय आवंटन का 162% खर्च किया था, वर्ष 2008-09 से पूंजीगत व्यय 76% से अधिक नहीं हुआ है। वर्ष 2008-09 से शेष वर्षों में सुरक्षा उपकरणों की खरीद और उनके अनुरक्षण हेतु किया गया खर्च अत्यंत कम रहा है उदाहरणार्थ यह वर्ष 2009-10 में 2.50%, 2018-19 में 4.17%, 2013-14 में 13.99% और 2014-15 में 75.58% रहा। विगत वर्षों में आवंटित निधियों के अत्यल्प उपयोग के बावजूद, बाद के वर्षों में बढ़े हुए आवंटन किए गए और इस प्रकार इनका पूरा प्रयोग नहीं हो पाया। समिति इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है कि निधियों का कम उपयोग किया जाना सिर्फ गलत बजटीय प्राक्कलनका ही सूचक नहीं है बल्कि इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि प्रबंधन ने खान श्रमिकों की सुरक्षा को कम महत्व दिया है। सीसीएल द्वारा दिए गए उत्तर में वर्ष 2008-09 से सुरक्षा उपकरण हेतु आवंटित निधियों के अत्यल्प उपयोग के विशिष्ट कारणों के संबंध में जानबूझकर चुप्पी साधी गई है और टालमटोल किया गया है। समिति इस महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में सीसीएल द्वारा अपनाए गए ढुलमुल रवैये को गंभीरता से नोट करती है क्योंकि इस मुद्दे का खान श्रमिकों की सुरक्षा एवं सरक्षा और खानों के कार्यनिष्पादन पर सीधा असर है।इस प्रकार समिति का मानना है कि यदि आवंटित निधियों का सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए पूरा उपयोग किया गया होता तो मृत्यु और गंभीर चोट

के मामलों से भले ही पूरी तरह नहीं बचा जाता लेकिन उन्हें काफी हद तक कम किया जा सकता था । इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय और सीसीएल इस मुद्दे के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पण प्रस्तुत करें। समिति आगे सिफारिश करती है कि सीसीएल को एक सुदृढ़ बजटीय प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे कि ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए आवंटित निधियों का फायदेमंद रूप से उपयोग हो सके और वांछित परिणाम हासिल हो सकें ।

21. सीएसआर पहलें

21.1 समिति पाती है कि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व दिशानिर्देशों के अनुसार, सीसीएल को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर अपने लाभ का 2% खर्च करने का दायित्व था। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि वर्ष 2015-16 के दौरान 213 करोड रुपए का सीएसआर व्यय सर्वाधिक था जो कि उस वर्ष के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) का 6.8% था । हालांकि, उत्तरवर्ती वर्षों में व्यय सीएसआर दिशानिर्देशों में निर्धारित पीबीटी के 2% के बुनियादी न्यूनतम आवंटन से काफी कम रहा जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि कंपनी ने 2014-15 के दौरान सीएसआर पर मात्र 1.8%, 2016-17 के दौरान मात्र 1.3%, और 2018-19 के दौरान 1.57% व्यय किया। समिति नोट करती है कि वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी द्वारा किया गया 172.11 करोड़ रुपए का बड़ा व्यय स्वच्छता पर किया गया था | समिति कंपनी के उत्तर से यह पाती है कि वर्ष 2015-16 में स्वच्छता पर किया गया इतना बड़ा व्यय स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में शौचालय के निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुदेश पर किया गया था । समिति पाती है कि बोर्ड अपने द्वारा किए जाने वाले सीएसआर कार्यकलापों की प्रकृति के बारे में निर्णय लेने में सक्षम था परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अग्रिम में कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई और सीएसआर कार्यों को करने से पहले लक्षित लाभार्थियों अथवा हितधारकों के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया और इसके परिणाम स्वरूप वर्ष-दर-वर्ष सीएसआर निधियां अप्रयुक्त पड़ी रही और काफी लाभार्थी उन लाभों से वंचित रह गए जिन्हें वे निधियों का पूर्ण उपयोग किए जाने पर पा सकते थे। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सीएसआर कार्यकलापों को अपेक्षाकृत अधिक सुगठित तरीके से अंजाम देने हेतु एक सुसंगत तंत्र विकसित किया जाए जिससे कि सीएसआर हेतु निर्धारित निधियों का पूर्ण उपयोग हो सके और जिससे जरूरतमंद और निर्धन लोग सर्वाधिक रूप से लाभान्वित हो सकें । समिति यह भी चाहती है कि सीएसआर योजनाओं के अंतर्गत सीसीएल को अद्यतन प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से पानी के संदूषण के रोकथाम, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु जलशोधन संयंत्रों की स्थापना, पाइप द्वारा जल आपूर्ति मुहैया कराना और निकट क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराना जैसे कार्य लेना चाहिए।

21.2 तथापि, समिति सीएसआर वित्तपोषण के अंतर्गत शुरू किए गए कुछ कार्यकलापों में सीसीएल की उपलब्धियों की प्रशंसा करती है। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि एक जनजातीय लड़की जिसने सीसीएल के स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, ने यूरेशियन एथलेटिक मीट में स्वर्ण पदक जीता तथा इस एकेडमी के अन्य कैडेटों ने विभिन्न चैंपियनशिप में 182 स्वर्ण पदक सहित 405 मेडल जीते। 'सीसीएल के लाल' और

'सीसीएल की लाडली' के अंतर्गत कंपनी की अन्य सीएसआर पहल जिसमें समाज के कमजोर वर्गो के अनेक विद्यार्थियों ने आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला प्राप्त की है, भी प्रशंसनीय है। विशेष रुप से निर्धनतम परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और सुविधाएं मुहैया कराने हेतु बुरकु और धोरी स्थित कायाकल्प पब्लिक स्कूल भी प्रशंसनीय है। समिति आशा व्यक्त करती है कि कंपनी की भावी योजनाएं यथा (1) खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत तीन खेलकूद केंद्र स्थापित करना (2) भस्मक सहित सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाना (3) सीसीएल क्षेत्रों के 150 स्कूलों में सेनेटरी पैड्स की आपूर्ति और (4) सीसीएल की वर्तमान/ परित्यक्त खानों से निकट के गांव में शोधित जल की आपूर्ति करना इत्यादि भी वांछित परिणामों के साथ सफल होंगी। तथापि समिति चाहती है कि स्थानीय रोजगार सृजित करने और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के मद्देनजर सीसीएल को केले और बांस के पत्तों आदि जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल के प्रयोग से बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स बनाने हेतु स्थानीय लोगों को वित्तीय सहायता और अन्य कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराने के माध्यम से एक फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। समिति चाहती है कि इस संबंध में सीसीएल द्वारा की गई ठोस कार्यवाही से उसे अवगत कराया जाए।

21.3 कंपनी के कार्यों की प्रकृति तथा अगल-बगल के क्षेत्रों के निवासियों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए समिति चाहती है कि कंपनी अपनी प्रचालनगत खानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों और उनके परिवारों के लाभार्थ सक्रिय रुप से सीएसआर परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सीसीएल को सीएसआर गतिविधियों हेतु कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित मात्र न्यूनतम दायित्वों को पूरा करने हेतु सीएसआर निधि खर्च भर नहीं करनी चाहिए बल्कि खानों के अगल-बगल रहने वाले समुदायों/ परिवारों विशेषकर गरीबों और समाज के वंचित वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वयमेव अधिक से अधिक सीएसआर कार्यकलाप शुरू करने चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि भौतिक आस्तियों के नियमित अनुरक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए स्कूलों में निर्मित शौचालय जैसी भौतिक आस्तियों का, यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित रूप से अनुरक्षण किया जाना चाहिए कि वे आने वाले समय में भी प्रयोग करने की स्थिति में बने रहें। इस संदर्भ में समिति चाहती है कि सीसीएल स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत उनके द्वारा निर्मित शौचालय के अनुरक्षण हेतु किए गए उपायों से उसे अवगत कराएं। समिति चाहती है कि सीएसआर व्यय की बुकिंग के संबंध में सचिवीय लेखापरीक्षा में की गई टिप्पणियों पर प्रतिबद्ध आधार के बजाय वास्तविक आधार पर ध्यान दें और उसका अनुपालन करें।

21.4 समिति पाती है कि कायाकल्प पब्लिक स्कूल जो निर्धनतम परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु निःशुल्क सुविधाएं मुहैया करा रहा है, अन्य राज्यों से भी निशुल्क सुविधाओं की जरूरत रखने वाले 700 और विद्यार्थियों को संबंधित सुविधाएं मुहैया कराने वाला है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को इस मद में सीएसआर व्यय को पूरा करने हेतु अपनी अनुषंगी कंपनियों की सीएसआर निधियों के साथ अपनी स्वयं की सीएसआर निधियों को पूल करने की संभावना तलाशनी चाहिए। यदि सीआईएल पर्याप्त सीएसआर निधियां जुटाने में असफल रहती है तो सरकार को केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को अपनी सीएसआर निधियों को पूल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने पर होने

वाले व्यय को पर्याप्ततः पूरा किया जा सके। समिति चाहती है कि कंपनी यह सुनिश्चित करें कि उसके सीएसआर कार्यकलापों के लाभ सुदूर क्षेत्रों विशेषकर आकांक्षा जिलो में रह रहे परिवारों और लक्षित निर्धनतम लोगों/ परिवारों तक पहुंचे।

नई दिल्ली;

07 जनवरी, 2021

17 पौष, 1942 (शक)

मीनाक्षी लेखी
सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

परिशिष्ट-एक

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2019-2020) की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को 1450 बजे से 1630 बजे तक समिति कक्ष "बी', भूमितल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - **सभापति**

सदस्य

लोकसभा

2. कुंवर दानिश अली
3. डॉ. हिना विजय कुमार गावीत
4. श्री कानुमुरू रघुराम कृऐणराजू
5. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
6. श्री जनार्दन मिश्र
7. प्रो.सौगत राय
8. श्री रामदास तडस

राज्यसभा

9. मोहम्मद अली खान
10. श्री महेश पोद्दार

सचिवालय

1. श्रीमती ममता केमवाल **निदेशक**
2. श्री जी.सी.प्रसाद **अपर निदेशक**

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रतिनिधि

1.	श्री गोपाल सिंह	सीएमडी
2.	श्री वी.के.श्रीवास्तव	निदेशक तकनीकी (प्रचालन)
3.	श्री आर.एस.महापात्र	निदेशक (कार्मिक)

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) के प्रतिनिधियों का सीसीएल की व्यापक जांच के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने हेतु आयोजित की गई बैठक में स्वागत किया। तत्पश्चात सभापति ने उनका ध्यान संसदीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की गोपनीयता बनाए रखने संबंधी ''अध्यक्ष के निदेशों'' केनिदेश 55(1) की ओर आकृष्ट किया।

3. सीसीएल के सीएमडी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने समिति को अपना परिचय दिया तथा विषय पर पावर पाइंट प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें कंपनी की पृष्ठभूमि, इसके कमांड क्षेत्र में प्रचालित कोलफील्ड्स, उत्पादन, कच्चे कोयले का भंडार, रोजगार सृजन, सुरक्षा संबंधी कार्य-निष्पादन, भावी उत्पादन योजना, चालू परियोजनाएं, और कंपनी की विशेऐ उपलब्धियां, प्रदूऐाण कम करने हेतु ग्रीनफील्ड्स परियोजनाओं को चालू करना, पर्यावरण को बनाए रखना, कारपोरेट सामाजिक दायित्व आदिशा मिल थे। सीसीएल के प्रतिनिधियों और समिति के सदस्यों ने सीसीएल के विभाजन के इतिहास तथा सिंगरौली और महानदी कोलफील्ड्स के पृथक्करण के दौरान जनशक्ति और आस्तियों का बराबर बंटवारा न किए जाने के कारणों, कोकिंग और गैर-कोकिंग को लके भिन्न-भिन्न उपयोगों, भारतीयखानों में राख की तुलना में कोयले की गुणवत्ता, कोयले में राख को कम करने में धोवनशालाओं की भूमिका, धोवनशालाओं और स्लरीपांड्स का विकास, बरसात में ऐसे पांड्स से ओवर स्पिलिंग को रोकने हेतु समय पर उपाय करने, बेकार राख का पुनर्चक्रण करने,वर्तमान पर्यावरण संबंधी चिंताओं के मद्देनजर पारंपरिक ड्रिलिंग/ब्लास्टिंग तकनीक की तुलना में सतह खनन पर जोर देने, सीसीएल में खनन संबंधी गतिविधियों और अन्य कार्यों में जनशक्ति की आउटसोर्सिंग पर भी चर्चा की।

4. तत्पश्चात, सभापति ने सीसीएल द्वारा रक्षित खनन, इंधन आपूर्ति समझौता के द्वारा लिंकेज, खनन में आधुनिक तकनीकों जैसे कोयले का लिक्विफैक्शन, कार्बन ''कैप्चर'' प्रौद्योगिकी आदि के बारे में जानकारी मांगी। सभापति ने इच्छा व्यक्त की कि सीसीएल द्वारा निर्माण उद्योगों में उपयोग किया जा सकता है,धोवनशालाओं में उपयोग किए गए पानी के पुनर्चक्रण,सतह खनन के संबंध में अउमोदित नीति संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता,कंपनी द्वारा नई तकनीकी का उपयोगता कि पारंपरिक ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग द्वारा पर्यावरण को कम क्षति हो, के विशेष संदर्भ में धोवनशालाओं में काम में न आने वाले राख के मूल्य वर्धन हेतु अनुसंधान और विकास,पर अधिक ध्यान दिया जाए विशेऐा कर सीसीएल को सुझाव दिया गया कि इस बारे में विकसित देशों की नीतियों को अपनाया ।इसके अलावा सभापति ने हाल ही में श्रम कानूनों में बदलावों के बारे में भी सीसीएल अधिकारियों के विचार जानने चाहे।

5. तत्पश्चात्सदस्यों ने कोयला आयात में कमी की आवश्यकता,जहां तक संभव हो नई प्रौद्योगिकी युक्त नई धोवनशालाओं को तत्काल स्थापित करना,सीसीएल द्वारा सृजित कुल रोजगार में अधिक ठेकाश्रम/आउटसोर्सिंग,स्लरी प्रबंधन,झारखंड में कोयला धोवनशालाओं के स्त्राव से नदियों और नदी तल में प्रदूषण के संबंध में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार,खानों में दुर्घटनाओं के कारण हताहत होने की घटनाएं,भूअधिग्रहण,परियोजनाओं का स्थानीय विरोध आदि जो कंपनी के नियंत्रण के बाहर हैं जैसे अनेक बाह्य दबावों के कारण रूकी हुई ग्रीना फील्ड्स परियोजनाओं का प्रचालन तथा कंपनी के कारपोरेट सामाजिक दायित्व आदि के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे।

6. सीसीएल प्रतिनिधियों ने कुछ मुद्दों का स्पऐटीकरण दिया जिनके संबंध में उनके पास जानकारी उपलब्ध थी ।जिन प्रश्नों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी,सभापति ने उन्हें इस संबंध में समिति सचिवालय को 15 दिनों के अन्दर लिखित उत्तर भेजने के निदेश दिए।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड अलग से रखा गया है।

तत्पश्चात्समिति की बैठक स्थगित हुई।

.....

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति(2019-2020) की दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 17 फरवरी, 2020 को 16.05 बजे से 16.30 बजे तक समिति कक्ष. "बी', भूमितल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती मीनाक्षी लेखी -**सभापति**

सदस्य

लोकसभा

2. कुंवर दानिश अली
3. डॉ.हिना विजय कुमार गावीत
4. श्री जनार्दन मिश्र
5. प्रो.सौगत राय
6. श्री रवनीत सिंह
7. श्री सुशील कुमार सिंह

राज्यसभा

8. श्री प्रसन्न आचार्य
9. मोहम्मद अली खान

सचिवालय

1.	श्री आर.सी.तिवारी	**संयुक्तसचिव**
2.	श्रीमती ममता केमवाल	**निदेशक**
3.	श्री खाखाई जोऊ	**अपरनिदेशक**
4.	श्री जी.सी.प्रसाद	**अपरनिदेशक**

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के प्रतिनिधि

1.श्री वी.के.श्रीवास्तव निदेशक(तकनीकी/प्रचालन)

2.श्री आलोक कुमार सिंह मुख्य प्रबंधक(खान)

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.(सीसीएल) के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया जिसमें सेन्ट्रल कोल फील्ड लि. (सीसीएल) विषय की जांच के संबंध में मौखिक साक्ष्य लिया जाना था ।तत्पश्चात सभापति ने सबका ध्यान संसदीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की गोपनीयता बनाए रखने संबंधी ''अध्यक्ष के निदेशों''के निदेश 55(1)की ओर आकृष्ट कराया।

3.निदेशक(तकनीकी/प्रचालन),सीसीएल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले स्वयं का समिति को परिचय कराया। तत्पश्चात्माननीय सभापति ने स्लरी प्रबंधन,धोवनशालाओं का प्रबंधन और बी ओ ओ मॉडल के अंतर्गत सीसीएल में अवसंरचना आधुनिकीकरण, खान मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु इत्यादि जैसे विशिष्ट मुद्दों को उठाया। सीसीएल के प्रतिनिधियों को अन्य बातों के साथ-साथ एक पुरानी धोवनशाला को बंद करना,कुछ अन्य का पुनरुद्वार करना,विभिन्न उत्पादकारी कार्यकलापों हेतु''रिजेक्ट्स''सामग्री का उपयोग करना,पानी का पुनः चक्रण तथा सीसीएल में दुर्घटनाओं में जान की क्षति रोकने हेतु किए गए उपायों के बारे में बताते हुए उनके प्रश्नों का उदाहरण देते हुए समाधान किया।

4. तत्पश्चात्सभापति और सदस्यों ने कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगे जिसमें सीसीएल में स्थायी और अस्थायी मुख्य कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई,तैयार की जा रही परियोजनाएं, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की तुलना में ऐसे प्रस्तावों की प्रकृति,प्रौद्योगिकी और उत्पादन क्षमता,सीसीएल में विभिन्न ई-पहलों की कार्यान्वयन स्थिति,गवर्नेंस का''कायाकल्प''मॉडल,ग्रीनफील्ड परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति और भूमि प्रमाणनों में तेजी लाना इत्यादि से संबंधित मुद्दे शामिल थे।उन्होंने परियोजना प्रभावित लोगों को दिए गए मुआवजे,कैप्टिवमाइनिंग,उद्योगों में स्वचालन,पुरानी और नई धोवनशालाएं,तत्संबंधी स्थापित मानक,विहितपूंजी परिव्यय इत्यादि शामिल थे।

5. सदस्यों ने इस के बाद कार्य अध्ययन,सीसीएल में भर्ती,परियोजना-प्रभावित लोगों को सीसीएल में रोजगार किए जाने के प्रावधान के संबंध में नीति का कथित उल्लंघन,जनजातीय लोगों को प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगें।

6. सीसीएल के प्रतिनिधियों में उन कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया जिसके संबंध में उनके पास जानकारी तत्समय उपलब्ध थी। जिन प्रश्नों के संबंध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं

थी, उनके विऐाय में सभापति ने प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि तत्संबंधी लिखित उत्तर एक सप्ताह के भीतर सचिवालय को भेजे जाएं।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड अलग से रखा गया है।

तत्पश्चात्समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट-तीन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति(2019-2020) की बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 02 मार्च, 2020 को 16.35 बजे से 18.00 बजे तक समिति कक्ष. "बी', भूमितल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

<u>उपस्थित</u>

श्रीमती मीनाक्षी लेखी -**सभापति**

सदस्य

लोकसभा

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री सी.पी.जोशी
4. श्री कानुमुरू रघुराम कृष्ण राजू
5. श्रीमती पूनम बेन हेमत भाई माडम
6. श्री अर्जुन लाल मीणा
7. श्री जनार्दन मिश्र
8. श्री अरविन्द कुमार शर्मा
9. श्री रवनीत सिंह
10. श्री सुशील कुमार सिंह
11. श्री रामदास तडस

राज्यसभा

12. श्री प्रसन्न आचार्य
13. मोहम्मद अली खान
14. श्री ओम प्रकाश माथुर
15. श्री महेश पोद्धार

सचिवालय

1.	श्री आर.सी.तिवारी	संयुक्तसचिव
2.	श्रीमती ममता केमवाल	निदेशक
3.	श्री खाखाई जोऊ	अपर निदेशक
4.	श्री जी.सी.प्रसाद	अपर निदेशक

कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधि

1.श्री अनिल कुमार जैन	सचिव, कोयला मंत्रालय
2.श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल	चेयरमेन और प्रबंध निदेशक, सीसीएल
3.श्री गोपाल सिंह	चेयरमेन और प्रबंध निदेशक, सीसीएल

2. सर्वप्रथम,माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों तथा कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया जिसमें सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि. (सीसीएल) विषय पर कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया जाना था । तत्पश्चात सभापति ने सबका ध्यान संसदीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की गोपनीयता बनाए रखने संबंधी''अध्यक्ष के निदेशों''केनिदेश 55(1)की ओर आकृष्ट कराया।

3.सर्वप्रथम, कोयला मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने समिति को अपना परिचय दिया । तत्पश्चात् माननीय सभापति ने बोर्ड में राज्य सरकार के अधिकारियों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए डीपीई दिशानिर्देश, उच्च क्षमता वाली खानों को शुरु करने में विलंब, लौंगवॉल प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करने की व्यवहार्यता, सीएसआर क्रियाकलापों का अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित करना,'दिशा' समितियों के साथ सीएसआर क्रियाकलापों को एकीकृत करने की संभावना, भारत में थोरियम-आधारित विद्युत उत्पादन की संभाव्यता, पीएसयू द्वारा मुकदमों का बेहतर प्रबंधन, कोयला क्षेत्र में 100% एफडीआई पर विचार आदि जैसे विशेष मुद्दे उठाए । कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने प्रश्नों के उदाहरण सहित उत्तर दिए और साथ ही विभिन्न मुद्दों जैसे धोवनशालाओं का निर्माण, भूमि विवादों का निपटारा मुआवजे के निपटारे में जिला भूमि प्राधिकारियों के पास भूमि रिकॉर्डों की अनुपलब्धता; उच्च क्षमता वाले मानक ट्रको और ट्रिपर की कमी, अन्य कोयला अनुषंगी कंपनियों की तुलना में सीसीएल की काफी कम लाभ मार्जिन के कारण आदि पर स्पष्टीकरण दिया । कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को कोयला क्षेत्र और विशेषत: लाभप्रदता, कोयला भंडार, नवीकरणीय ऊर्जा, स्ट्रिपिंग अनुपात, कोयले का ग्रेडेशन, पर्यवेक्षण और निगरानी तंत्र, खनिको की मजदूरी और स्वास्थ्य, सीआईएल की भूमिका, लौंगवॉल प्रौद्योगिकी पर स्पष्टीकरण आदि के संबंध में सीसीएल के बारे में व्यापक जानकारी दी ।

4. तत्पश्चात्सदस्यों ने कोयले की चोरी की घटनाएं, राज्य सरकार और कोयला अनुषंगी कंपनियों के बीच कोयला रॉयल्टी का विवादग्रस्त मुद्दा, संविदा कर्मचारियों/मजदूरों की खराब स्थिति, आरएंडआर नीति में कमियां, वृक्षारोपण विसंगतियां, लंबित न्यायिक मामले, तुलन पत्र मुद्दे, संभावित भावी देयताओं हेतु तुलन-पत्र का प्रावधान न होना आदि जैसे विभिन्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा । उन्होंने जनजातीय लोगों को दिए गए मुआवजे, ग्रामीण समुदायों द्वारा विरोध, उच्च ओवरहेड लागत को कम करने, सीसीएल में वीआरएस और 2 एकड़ खंड के आधार पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को काफी कम संख्या में रोजगार दिए जाने के मुद्दे पर भी सूचना मांगी।

5. कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया जिसके बारे में उनके पास सूचना तत्काल उपलब्ध थी । सभापति ने कोयला मंत्रालय के अधिकारियों को निदेश दिया कि वे जिन विषयों के संबंध में उनके पास सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं थी उन पर एक सप्ताह में लिखित उत्तर सचिवालय को प्रस्तुत करें ।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड अलग से रखा गया है।

तत्पश्चात्समिति की बैठक स्थगित हुई।

/......./

परिशिष्ट- चार

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2020-2021) की सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति गुरुवार, 7 जनवरी, 2021 को 1210 बजे से 1310 बजे तक समिति रूम '3', ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक ए, पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी एक्सटेंशन (नई बिल्डिंग), नई दिल्ली में बैठी ।

वर्तमान

श्रीमती मीनाक्षी लेखी - अध्यक्षा

सदस्य

<u>लोकसभा</u>

2. श्री अर्जुनलाल मीणा
3. श्री जनार्दन मिश्र
4. प्रोफ. सौगात रॉय
5. डॉ. अरविंद कुमार शर्मा
6. श्री सुशील कुमार सिंह
7. श्री उदय प्रताप सिंह
8. श्री रामदास चंद्रभानजी तड़स

<u>राज्यसभा</u>

9. श्री प्रसन्न आचार्य
10. श्री बीरेंद्र प्रसाद बैश्या
11. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री आर .सी. तिवारी	संयुक्त सचिव
2.	श्री श्रीनिवासालु गुंडा	निदेशक
3.	श्री जी .सी. प्रसाद	अतिरिक्त निदेशक

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के प्रतिनिधि

1.	*****	-	*****
2.	*****	-	*****
3.	*****	-	*****
4.	*****	-	*****
5.	*****	-	*****
6.	*****	-	*****

2. शुरुआत में, माननीय अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठने के एजेंडे से अवगत कराया। पहले एजेंडा आइटम के रूप में, अध्यक्ष ने निम्नलिखित विषयों पर मसौदा रिपोर्टों पर विचार और अपनाने के लिए प्रस्ताव दिया: -

(i) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)

(ii) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)

(iii) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)

(iv) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एच ए एल)

(v) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

vi) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा "नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण" पर सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति की बीसवीं रिपोर्ट (16 वीं रा.स.) में शामिल टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई (निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर) 2015 की No.12)"।

(vii) सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की चौबीसवीं रिपोर्ट (16 वीं रा.स.) में शामिल टिप्पणियों / अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई "नुकसान की समीक्षा करने वाले सीपीएसयू की समीक्षा"।

3. समिति ने तब उपरोक्त मसौदा रिपोर्टों पर विचार किया और इसे बिना किसी बदलाव / संशोधनों के अपनाया। तत्पश्चात समिति ने संबंधित मंत्रालय / विभाग द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया और संसद के सत्र में नहीं होने के कारण माननीय अध्यक्ष को रिपोर्ट पेश करने पर विचार किया।

(एनटीपीसी के प्रतिनिधियों को अंदर बुलाया गया)

4.	****	****	****
5.	****	****	****
6.	****	****	****
7.	****	****	****

समिति ने फिर स्थगित कर दिया।

(कार्यवाही का एक रिकॉर्ड अलग से रखा गया है)।

/----------/